157

लोक सभा वाद विवाद का

हिन्दी संस्करण

खंण्ड 10

अंक 11 - 20

21 नवम्बर से 4 दिसम्बर

1962

पी एल

M
177

तृतीय माला, खण्ड १०—अंक ११

बुधवार, २१ नवम्बर, १९६२
३० कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

Chamber Fumigated 18/X/13

3rd Lok Sabha

P-75
H
15-1-63

Preservation Unit
14-5-94
Fumigated
On 8-12-83
Parliament Library

(खण्ड १० में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या २९० से ३००, ३०२ से ३०६ और ३०८ ११४७--७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ३०१, ३०७ और ३०९ से ३१८ . ११७४—७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६९७ . . . ११७९—१२०१

चीनियों द्वारा युद्ध विराम के कथित प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य . . १२०१--०५

श्री जवाहरलाल नेहरू . . १२०१--०५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२०५--०७

राज्य-सभा से सन्देश १२०७

लोक लेखा समिति १२०७

दूसरा प्रतिवेदन . १२०७

सीमा शुल्क विधेयक १२०७--३१

विचार करने का प्रस्ताव १२०७

श्री बड़े . . . १२०७--१०

श्री फतहसिंहराव गायकवाड १२१०

श्री शंकरय्या . १२१०--११

श्री हरि विष्णु कामत . १२१२-१३

श्री मु० इस्माइल . . . १२१३-१४

श्री ब० रा० भगत . . . . . १२१४—१८

खंड ३ से १०१, १०३ से १२२, १२४ से १३०, १३२ से १६१ और खंड २, १०२, १२३, १३१ तथा १ . . १२१८--३१

पारित करने का प्रस्ताव . .

श्री ब० रा० भगत . . .

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक . १२३१—३७

विचार करने का प्रस्ताव . .

श्री अ० कु० सेन . . . . १२३१—३४

श्री रंगा १२३५

सभा का कार्य ११३७-३८

दैनिक संक्षेपिका १२३९--४५

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १०, १९६२/१८८४ (शक)

[२१ नवम्बर से ४ दिसम्बर १९६२ / ३० कार्तिक से १३ अग्रहायण १८८४ (शक)]

तीसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड १० में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[तृतीय माला, खण्ड १० —अंक ११ से २०—२१ नवम्बर से ४ दिसम्बर, १९६२/३० कार्तिक से १३ अग्रहायण १८८४ (शक)]

अंक ११ — बुधवार, २१ नवम्बर, १९६२ / ३० कार्तिक १८८४ (शक)— पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९० से ३००, ३०२ से ३०६ और ३०८ . ११४३—७३

अप्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०१, ३०७ और ३०९ से ३१८ . . ११७४– ७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४२ से ६९७ . . . ११७९—१२०१

चीनियों द्वारा युद्ध विराम के कथित प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य . १२०१—०५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १२०५—०७

राज्य सभा से सन्देश १२०७

लोक लेखा समिति—

दूसरा प्रतिवेदन १२०७

सीमा शुल्क विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १२०७—१८

खंड ३ से १०१, १०३ से १२२, १२४ से १३०, १३२ से १६१ और खंड २, १०२, १२३, १३१ तथा १ . . . १२१८

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . १२१८—३१

भारत का प्रतिरक्षा विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . १२३१—३७

सभा का कार्य . १२३७–३८

दैनिक संक्षपिका . . . . १२३९—४५

अंक १२— मंगलवार २२ नवम्बर, १९६२ / १ अग्रहायण १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ३२१ से ३२३ / ३२५, ३२७ से ३३६ और ३३८ . . . . .. १२४७—७०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२०, ३२४, ३२६, ३३७ और ३३९ . .	१२७०—७२
अतारांकित प्रश्न संख्या ६९८ से ७०० और ७०२ से ७७१ . .	१२७२—१३०६
भारत चीन सीमान्त पर युद्ध-विराम के बारे में . .	१२०६—०८
सभा-पटल पर रख गये पत्र . . .	१२०८—१०
लोक लेखा समिति—	
तीसरा प्रतिवेदन . .	१३१०
सदस्य की गिरफ्तारी	१३११
अनुपस्थिति की अनुमति	१३११
पांडिचरी (प्रशासन) विधेयक . . .	१३११—१४
विचार करने का प्रस्ताव	१३११—१४
खंड २ से २० तथा १	१३१४
पारित करने का प्रस्ताव	१३१४
सभा का कार्य	१३१४
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव	१३१५—१८
खंड १ और २	१३१८
पारित करन का प्रस्ताव	१३१८
सत्र की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में . . .	१३१८—२२
भारत की प्रतिरक्षा विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१३२२—४८
दैनिक संक्षेपिका	१३४९—५५

अंक १३ — शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९६२ /२ अग्रहायण , १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४१ से ३६१ और ३६३ .	१३५७—८५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . .	१३८५—८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४०, ३६२ और ३६४ से ३६९ . .	१३८६—८९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ८५७ . .	१३९०—१४२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४२६—२९

विषय	पृष्ठ
राज्य सभा से संदेश	१४२९
प्राक्कलन समिति--	
ग्यारहवां प्रतिवेदन . . .	१४२९
सभा का कार्य	१४२९—३१
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक . .	१४३१
(२) बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक . . .	१४३१–३२
(३) संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ .	१४३२
(४) वस्त्र समिति विधेयक	१४३२–३३
चीनियों के आक्रमण के संबंध में प्रचार पर टिप्पण के बारे में .	१४३३—४२
भारत का प्रतिरक्षा विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१४३३—४२
आपातकाल में मितव्ययता के बारे में संकल्प .	१४४२—६५
आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में संकल्प .	१४६५—६७
दैनिक संक्षेपिका .	१४६८—७५
अंक १४—सोमवार, २६ नवम्बर, १९६२/५ अग्रहायण, १८८४ (शक)	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दिल्ली में पटाखा विस्फोट .	१४७७–७८
सभा पटल पर रखे येग पत्र . .	१४७८–७९
राज्य सभा से संदेश	१४७९
मनीपुर (मोटर स्पिरिट और स्नेहक तेलों की बिक्री) करारोपण विधेयक—पुरस्थापित	१४७९
युद्ध विराम के बारे में . .	१४७९—८१
भारत की प्रतिरक्षा विधेयक	१४८१—१५२८
खंड २ और ३	१५२८
दैनिक संक्षेपिका	१५२९
अंक १५—मंगलवार, २७ नवम्बर, १९६२/६ अग्रहायण १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . .	१५३१–३२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१५३२–३३
भारत की प्रतिरक्षा विधेयक—	

विषय	पृष्ठ
खंड ३, ४, ७ से १२, १६, १७, ५, ६, १३, १४, १५ और १८ .	१५३३—५१
गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के बारे में प्रस्ताव	१५५१—८०
दैनिक संक्षेपिका .	१५८१–८२
अंक १६—बुधवार, २८ नवम्बर, १९६२/७ अग्रहायण १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . .	१५८३—८६
युद्ध-विराम के बारे में .	१५८६
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	१५८६–८७
राज्य सभा से संदेश	१५८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति— ग्यारहवां प्रतिवेदन . . .	१५८७
भारत की प्रतिरक्षा विधेयक—	
खंड १८ से नये खंड ४९ और १ . .	१५८७—१६०१
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव .	१६०१—१२
सदस्य की गिरफ्तारी . . .	१६१२
राज्य सहयोजित बैंक (विविध उपबंध) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१६१३—१६
खंड २ से ६ और १	१६१६
पारित करने का प्रस्ताव	१६१६
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—	
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव .	१६१७—२५
खंड १ और २	१६२५
पारित करने कम प्रस्ताव	१६२५—२७
भांडागार निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१६२७–२८
दैनिक संक्षेपिका	१६२९–३०
अंक १७—गुरुवार, २९ नवम्बर, १९६२/८ अग्रहायण, १८८४ (शक)	
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१६३१
राज्य सभा से सन्देश	१६३२
हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रुप में सभा पटल पर रखा गया .	१६३२

विषय	पृष्ठ
भांडागार निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१६३२—६२
खंड २ से ४३ और १ . . .	१६५८—६२
पारित करने का प्रस्ताव	१६६२—६५
कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	१६६५—७३
दैनिक संक्षेपिका	१६७४–७५
अंक १८—शुक्रवार, ३० नवम्बर, १९६२/९ अग्रहायण, १८८४ (शक)	
सभा पटल पर रखा गया पत्र	१६७७
सभा का कार्य	१६७७–७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्ताव की ओर ध्यान दिलाने के बारे में	१६८१
कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१६७९—८७, १६९०—९३
खंड २ से १२ और १	१६९४–९५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . .	१६९५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत और पाकिस्तान के बीच काश्मीर पर वार्त्ता . .	१६८७—९०
बहु एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक . .	१६९५—९८
विचार करने का प्रस्ताव	१६९५–९७
खंड २, ३ और १	१६९७–९८
पारित करने का प्रस्ताव	१६९८
परिसीमन आयोग विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१६९९–१७००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
ग्यारहवां प्रतिवेदन	१७००
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) समवाय (संशोधन) विधेयक (धारा १५, ३० आदि का संशोधन) [श्री प० ला० बारुपाल का] . .	१७००
(२) आयकर (संशोधन) विधेयक (धारा २ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का] . . .	१७०१

विषय	पृष्ठ
संविधान (संशोधन) विधेयक—	
(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) [श्री दी० चं० शर्मा का]—	
अस्वीकृत हुआ . . .	१७०१—०२
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७०१—०२
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक—	
धारा १४ से २० का संशोधन तथा नयी धारा ४८ का रखा जाना) [श्री नवल प्रभाकर का]—वापस लिया गया	१७०२, १७१७—१८
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७०२—१८
दैनिक संक्षेपिका	१७१९—२०

अंक १९—सोमवार, ३ दिसम्बर, १९६२/१२ अग्रहायण, १८८४ (शक)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—	
(१) आसाम और नेफा में चीनी जासूसों के जाल बिछे होने का कथित समाचार . .	१७२१—२४
(२) डा० गोपाल पर किया गया कथित आक्रमण . .	१७२४—२६
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१७२६
तीसरे परमाणु बिजली-घर के स्थान के बारे में वक्तव्य	१७२६—२७
युद्ध विराम के बारे में . . .	१७२८—३०
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) दिल्ली मोटर गाड़ी करारोपण विधेयक, १९६२ .	१७३०
(२) व्यक्तिगत-घाव (आपातकालीन उपबंध) विधेयक, और	१७३०—३१
(३) भारतीय प्रशुल्क (दूसरा संशोधन) विधेयक .	१७३१
परिसीमन आयोग विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७३१—७०
खंड २ से ११ और ११.	
संशोधित रूप में, पारित करने का प्रस्ताव।	
सदस्य की नजरबंदी	१७७१
दैनिक संक्षेपिका	१७७२—७३

अंक २० — मंगलवार, ४ दिसम्बर, १९६२/१३ अग्रहायण, १८८४ (शक)

प्नों के मौखिक उत्तर	
अल्पसूचना प्रश्न संख्या ४ और ५ . . .	१७७५—७८

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना	१७७९—८३
(१) मिग विमानों का संभरण	१७७९—८२
(२) चीन द्वारा भारतीय सैनिकों पर गोली चलाया जाना	१७८२—८३
कथित रेलवे दुर्घटना के बारे में	१७८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७८४
राज्य सभा से संदेश	१७८४
उपहार कर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१७८४—९९
खंड २ से ३६ और १—	
पारित करने का प्रस्ताव	१८००
करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१८००
भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१८०१—३०
कार्य मंत्रणा समिति—	
दसवां प्रतिवेदन	१८३०
दैनिक संक्षेपिका	१८३१—३२

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न की सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GMGIPND—LS III—2420 (A.) LSD—12-1 63—140

लोक-सभा

बुधवार, २१ नवम्बर, १९६२
३० कार्तिक, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

+

†*२९०. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी नेता सम्मेलन की कार्यवाही-परिषद् के महासचिव ने अभी हाल अपने एक वक्तव्य में यह बताया है कि रोजाना लगभग एक हजार पाकिस्तानी वैध यात्रा-अनुमतिपत्रों के बगैर शेलो सीमा और खासी पहाड़ियों के पास से हो कर भारतीय प्रदेश में चले आ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस अवैध प्रवेश को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). इस बारे में समाचार पत्रों में कुछ प्रकाशित हुआ है । तथापि, सरकार को उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनवरी से सितम्बर, १९६२ तक की अवधि में केवल ९७२ पाकिस्तानी राष्ट्रजन आसाम-पूर्व पाकिस्तान सीमा में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए पकड़े गये । पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के अवैध प्रवेश को रोकने के लिये राज्य सरकारों ने पर्याप्त उपाय किये हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या इन व्यक्तियों से पूछताछ की गयी है ; यदि हां, तो क्या मैं जान सकती हूं कि बगैर नियमित पासपोर्ट के भारत में आने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है ?

†**श्री दातार** : आसाम के मुख्य मंत्री ने इस प्रश्न का उत्तर दिया था और उन्होंने बताया था वे मुख्यत: जीविका कमाने आते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

2309(Ai) LSD—1.

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या इनमें से किसी को किसी राष्ट्र-विरोधी कार्यवाही में भाग लेने का अपराधी पाया गया है ?

†**श्री दातार** : मुझे पक्का पता नहीं है कि क्या इन ९७२ व्यक्तियों में से कुछ ऐसे हैं परन्तु, जैसा मैं ने बताया है, इन में से अधिकांश पर मुकदमा चलाया गया और लगभग सभी को भारत से बाहर निकाल दिया गया ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि हाल में चीन के आक्रमण से जो नयी स्थिति पैदा हुई है, क्या उस के बाद पाकिस्तान से आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है या कमी ?

†**श्री दातार** : इस प्रश्न का उत्तर मैं कई बार दे चुका हूं। हम ने देखा कि आसाम में मुस्लिम जनता में बहुत वृद्धि हो गयी, इसके अतिरिक्त . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या हाल की कार्यवाही से . . .

†**श्री दातार** : संकट के बाद ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हां ।

†**श्री दातार** : जी, नहीं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जैसा मंत्री महोदय ने श्री भक्त दर्शन के उत्तर में अभी बताया है, अवैध प्रवेश में वृद्धि हुई है या कमी हुई है ?

†**श्री दातार** : यह कहना बहुत कठिन है कि कमी हुई है या वृद्धि हुई है परन्तु सरकार सतर्क है ।

पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

\+

*२९१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री ब० कु० दास :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० प० मंडल :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री हेम बरुआ :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री लखमू भवानी :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० के० देव :
श्री तन सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री बेरवा कोटा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में जो पाकिस्तानी राष्ट्रजन अवैध रूप से प्रवेश कर गये हैं, उन्हें हटाने की दिशा में अब तक और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के कारण त्रिपुरा की जनसंख्या में पिछली जनगणना में ७८.७१ प्रतिशत वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या दृढ़ पग उठाने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) इधर जो सूचना मिली है उसके मुताबिक ऐसे पाकिस्तानी, जो गैर-कानूनी तरीके से भारत में आये और जो सन् १९६२ में फिर पाकिस्तान वापस चले गये, अपनी मरजी से या यहां के आदेशानुसार, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

असम ८,६०० (सितम्बर तक)
त्रिपुरा लगभग १०,०००
पश्चिम बंगाल ७७६ (अप्रैल तक)

(ख) जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक सन् १९५१ से १९६१ तक त्रिपुरा की मुस्लिम आबादी में लगभग ६७.९६ प्रतिशत बढ़ोतरी हुई ।

(ग) मौजूदा संकटकाल में एक विशष स्थिति पैदा हो गयी है । लेकिन फिर भी प्रान्तीय सरकार आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगी । भारत सरकार स्वभावतः प्रान्तीय सरकार से इस सम्बन्ध में निकट सम्पर्क बनाय रखेगी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतवर्ष में चीन के आक्रमण से जो नयी स्थिति उत्पन्न हुई है, उस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन पाकिस्तानी नागरिकों को, जो कि यहां आ कर बस गये हैं, निकालने के कार्य को कुछ ढीला कर दिया है या उस में तेजी लाई है ?

†**श्री दातार** : जैसाकि माननीय सदस्य ने बताया है, संकट की स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता है । जहां तक अवैध प्रवेश करने वालों के प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार नीति का पालन कर रही है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जो पाकिस्तानी नागरिक असम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल में आ गये हैं, उन के कारण विशेष रूप से असम की आन्तरिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वह किसी समय भी सरकार के लिये भय का कारण बन सकती है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार

†मूल अंग्रेजी में

को कुछ ऐसे भी सुझाव प्राप्त हुए हैं कि जब तक यह संकट-कालीन स्थिति रहे, तब तक असम का शासन केन्द्र को अपने हाथ में ले लेना चाहिये ? यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

†**श्री दातार** : जिस तरह वे चाहते हैं, उस प्रकार प्रश्नों का उत्तर देना उचित नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या कोई सुझाव आये हैं ।

†**श्री दातार** : जी हां । यह एक सुझाव है जो स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

श्री जगदेव सिद्धान्ती : जब त्रिपुरा में पूर्वी पाकिस्तान से अवैध रूप से कुछ पाकिस्तानी घुसे थे, तो उस समय भारत सरकार ने उन को बाहर निकालने का विचार प्रकट किया था । इस पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा था कि अगर ऐसा किया गया, तो हम इस मामले को सुरक्षा परिषद् में ले जायेंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस बारे में कोई प्रगति की है, या वह मामला वहीं पर है ।

†**श्री दातार** : एक बार प्रधान मंत्री जी ने सदन में इस प्रश्न का उत्तर दिया था । इस प्रश्न पर बातचीत की जा रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में यह कहा गया है :

"वर्तमान संकटकाल में एक विशष स्थिति पैदा हो गयी है लेकिन फिर भी प्रान्तीय सरकार आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगी । भारत सरकार स्वभावतः प्रान्तीय सरकार से इस सम्बन्ध में निकट सम्पर्क बनाये रखेगी ।"

आसाम में और अवैध प्रवेश को रोकने के लिये राज्य सरकार ने क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार अवैध प्रवेश रोकने के लिये उत्सुक है । प्रश्न यह है कि जो लोग वहां पर हैं, उनके बारे में क्या कार्यवाही की जाय । मैं इस सदन में बता चुका हूं कि सरकार इस बारे में कदम उठा रही है ।

†**श्री कोया** : क्या सरकार यह देखने के लिये कदम उठायेगी कि वास्तविक नागरिकों को कठिनाई न हो ?

†**श्री दातार** : जी हां । सरकार को इस बात पर ध्यान देना है ।

†**श्री यशपाल सिंह** : क्या यह ठीक है कि जो पाकिस्तानी सिटिजन्स एक एक महीने के परमिट लेकर आये थे, उनके एक-एक महीने के पासपोर्ट एक एक साल तक बढ़ाये गये है ? यदि हां, तो उनकी कितनी तादाद है ?

†**श्री दातार** : जी, नहीं । बाज़ दफ़ा वे सीमित अवधि पासपोर्ट पर आते है । फिर वे वह अवधि बढ़ा लेते हैं, जब सरकार उनको पकड़ने के लिय कार्यवाही करती है ।

†**श्री हेम बरुआ** : एक पूर्व अवसर पर हमें बताया गया था कि प्रधान मंत्री जी ने इस देश में अवैध प्रवेश करने वाले पाये जाने वाले पाकिस्तानियों के निर्वासन के तरीके में ढील देने के लिय आदेश दिये है । क्या वे आदेश अभी भी लागू हैं अथवा वह पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इस धमकी से सम्बद्ध हैं कि यदि उन्हें निर्वासित किया गया तो वे भी ऐसा ही करेंगे ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : जहां तक भारत के प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत का सम्बन्ध है,इस प्रश्न का यहां पर उत्तर दिया गया था जबकि प्रधान मंत्री जी ने यह बताया था कि लंदन में उनके साथ ५ मिनट की वार्ता में इसका मामूली सा उल्लेख हुआ था। जहां तक सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार को इस प्रश्न पर विचार करना है कि इस इच्छा को ध्यान में रखते हुए कि स्थानीय व्यक्तियों को कोई कठिनाई हुए बिना इन अवैध प्रवेश करने वालों को यथा संभव शीघ्र कैसे भेजा जाये।

†**श्री भक्त दर्शन** : एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार मामले पर बिचार कर रही है। इससे उनका क्या तात्पर्य है ? क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह क्या ब्यौरा चाहते है ?

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या इस मामले में कोई विशेष कदम उठाये गये है ? और वे भविष्य के लिये क्या करेंगे ?

†**श्री दातार** : मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। जो कुछ मैंने बताया वह यह है कि एकदम उनको निर्वासित करने की बजाय निर्वासन का निर्धारित कार्यक्रम होगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : जो कुछ विवरण में दिया गया है, क्या उससे यह मतलब निकलता है कि ऐसे व्यक्तियों के आने जाने पर प्रतिबन्ध लगाये जायेंगे ?

†**श्री दातार** : सरकार इस बारे में सब आवश्यक कदम उठा रही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : त्रिपुरा में मुस्लिम जनसंख्या में लगभग ६८ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जब कि सामान्य वृद्धि केवल १०–१२ प्रतिशत होनी चाहिये थी परन्तु केवल १०,००० व्यक्तियों को भारत से जाने के नोटिस दिये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार और आसाम सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाये है ताकि अवैध प्रवेश करने वाले ये सभी व्यक्ति यथा संभव शीघ्र वापस चले जायें ?

†**श्री दातार** : जैसा मैंने बताया, सरकार अवैध प्रवेश करने वाले इन सभी व्यक्तियों को यथा संभव शीघ्र वापिस भेजने को उत्सुक है। उसी समय, सरकार यह भी देखने को उत्सुक है कि स्थानीय जनता को कोई कष्ट न हो। अतः समूचा निर्वासन एक विशेष आधार पर किया जाना है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने निर्दिष्ट कार्यक्रम का उल्लेख किया है। इसका क्या मतलब है ?

†**श्री दातार** : इसका मतलब यह है कि उन्हें फौरन एक दल में नहीं भेजा जायगा परन्तु यह कई दलों में किया जायेगा।

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : तीन महीनों की अवधि में पाकिस्तान को कितने व्यक्ति वापस भेजे गये है ?

†**श्री दातार** : किस राज्य से ?

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : सभी तीनों राज्यों से।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** जहां तक आसाम का सम्बन्ध है, खाली करने के नोटिस दिये जाने के बाद लगभग ८६०० व्यक्ति चले गये हैं। त्रिपुरा से लगभग १०,००० व्यक्ति जा चुके हैं। थोड़े से पश्चिम बंगाल से गये हैं।

†**श्री कमल नयन बजाज :** आनरेबिल मिनिस्टर ने कहा है कि जो लोग पाकिस्तान से आते हैं और उनको एक महीने के लिये जो परमिशन दी जाती है, अगर वे उसको एक्सटेंड करते है, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको क्या पनिशमेंट दी जाती है और मैक्सिमम तथा मिनिमम पनिशमेंट क्या है ?

†**श्री दातार :** न्यूनतम सजा जुर्माना है। अधिकतम सजा कैद है। अवधि समाप्त होने पर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है।

श्री तुलशीदास जाधव : मैं जानना चाहता हूं कि उनका नम्बर कितना है जो अवैध रूप से आए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब उन्होंने अभी दिया है।

श्री शिव नारायण : मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त कैद में कितने हैं ?

†**श्री दातार :** वहां पर संख्या बहुत थोड़ी है।

गुजरात तेल शोधक कारखाना

+

†*२९२. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मरारका :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री वारियर :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री २१ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३९८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है ; और

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिय अब तक और क्या कदम उठाये गये है ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या):** (क) जी नहीं। मेसर्ज तियाज प्रोमएक्सपोर्ट, मास्को यह तयार कर रहे है।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७०]**

श्री यशपाल सिंह : आज की जरूरियात को देखते हुए इस कारखाने को एक्सपीडिइट करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री तिम्मय्या : रिपोर्ट रशिया से इस महीने आ सकती है। उसके आने के बाद काम होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह : सरकार ने क्या देख लिया है कि डिफेंस प्वाइंट आफ व्यू से, मिलिटरी प्वाइंट आफ व्यू से यह जगह कहीं ऐसी साबित तो नहीं होगी, जैसे कि असम साबित हुआ है ?

खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : यह कोयली जगह जो है बड़ौदा के पास है । वहां तो कोई खतरा नहीं है ।

दिल्ली में पटाखों का विस्फोट

+
*२९३. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री द्वा० ना० तिवारी : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन लोगों का पता लगाने में सफल हुई है जिनका पिछले कई वर्षों से दिल्ली में पटाखों के विस्फोट में हाथ था ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). अब तक २७ मामले चलाये गये हैं जिनमें से २० को सजा हुई है, २ छोड़ दिये गये हैं और ५ पर मुकदमा चल रहा है । अन्य मामले चलाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

श्री विभूति मिश्र : पिछली दफ़ा गृह मंत्री जी ने बताया था कि सरकार इसके बारे में बड़ी सजग है । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कहां से इनका सूत्रपात होता है, इसका क्या पता लगा लिया है ?

†**श्री दातार :** सरकार ने इस कार्य के लिये एक विशेष दस्ता नियुक्त किया है ; लेकिन ये सब प्रश्न इस धारणा पर होते हैं कि इन सब मामलों के पीछे किसी समान अभिकरण का हाथ है । उस समान अभिकरण का पता नहीं लगा है । दूसरे, बड़ी संख्या में मामले मामूली हैं ।

श्री विभूति मिश्र : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने पूछा था उसका जवाब नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कांस्पिरेसी में कौन हैं और किनके ज़रिये से विस्फोट होते हैं, उनका क्या सरकार ने पता लगाया है और अगर लगाया है तो क्या बात मालूम हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसके पीछे कोई एक बाडी नहीं है जिसने सारे जुर्म किये हों । बीस को सज़ा हुई है । दो छट गये हैं और कोई ऐसी बाडी नहीं निकली है जिसने कांस्पिरेसी करके सारे केसेस किये हैं ।

श्री विभूति मिश्र : कोई न कोई तो होगी जो इतने दिनों से इनको करती आ रही है । अगर बाडी नहीं है तो पचास या कुछ कम या ज्यादा आदमी होंगे । क्या सरकार ने पता लगाया है कि क्या कोई इस तरह का संगठन है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम:** हाल में विस्फोटक पदार्थों का एक बड़ा भंडार बनाया गया था और यह पकड़ा भी गया था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उस भंडार से कोई सुराग मिला है कि ये विस्फोटक पदार्थ कहां से लिये गये ह ?

†**श्री दातार :** सामान्य रूप से समाज विरोधी तत्वों के बारे में सुराग मिला है और उन सब के लिये समान तत्व के बारे में नहीं।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसके बारे में एक विशेष स्क्वेड नियुक्त किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष कितने मामले हुए थे, इस वर्ष में क्या उनमें कोई कमी हुई है ? यदि नहीं हुई तो इसका क्या कारण है ?

†**श्री दातार :** दस्ता नियुक्त किये जाने के बाद गम्भीर घटनायें बहुत कम हुई हैं।

श्री भागवत झा आजाद : बड़ी संख्या में दोष-सिद्ध किये जाने की सराहना करते हुए क्या हम यह जान सकते है कि (समान अभिकरण) से मंत्री जी का क्या तात्पर्य है और क्या इन सब मामलों के पीछे किसी अभिकरण का हाथ है ?

†**श्री दातार :** मैंने भी यही बात स्पष्ट की है। प्रश्न पूछने वाले अधिकांश सदस्यों का मत है कि इन सभी विस्फोटों के पीछे किसी समान अभिकरण का हाथ र। उस बारे में कोई सुराग पता नहीं लगा है।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी :** क्या इन अभिकरणों में से किसी को किसी विदेश के साथ सम्बन्धित पाया गया है ?

†**श्री दातार :** इस प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि यह कहना बहुत कठिन है कि कुछ विदेशी तत्वों का इसमें हाथ है और सम्भव है कि उनकी तरफ से भी ये किये जा रहे हों। लेकिन इसी विभाग के माननीय मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने पिछले अधिवेशन में इस बात को स्वीकार किया था कि .....

अध्यक्ष महोदय : लम्बा चौड़ा सवाल न करें। जो सवाल आपको पूछना हो पूछें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : सवाल करने के लिये यह कहना आवश्यक है .....

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिये, पिछली कहानी न बताइये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार बार बार इस प्रकार की घोषणायें करती रहती है कि विदेशी तत्वों का हाथ भी हो सकता है, राजनीतिक दलों का हाथ भी हो सकता है, तो यह क्या वह अपनी असफलताओं को छिपाने के लिये करती है अथवा सरकार अभी तक किसी तथ्य पर पहुंच नहीं पाई है ?

†**श्री दातार :** जो कुछ बताया गया था वह यह था कि गृह मंत्री को अनेकों सुझाव मिले हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह यह जानना चाहते हैं कि मंत्री महोदय के इस कथन को ध्यान में रखते हुए कि यह कहना संभव नहीं है कि उसमें किसी विदेशी सार्थ का हाथ है, क्या सरकार उस अभिकरण का पता नहीं लगा सकी अथवा कोई अभिकरण नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : जी, नहीं । इसलिये कि उसमें किसी विदेशी तत्व का हाथ है, मामले में छानबीन करने की हमारी असफलता का कोई प्रश्न नहीं है । उस सुराग का भी पता लगाया जा रहा है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : एक पूर्व अवसर पर हमें सभा में बताया गया था कि पटाखे फेंकने के अपराध के लिये एक तेज रफ्तार मोटरकार का शक है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इससे कोई सुराग मिला है ?

†**श्री दातार** : मैं बता चुका हूं कि उस सुराग का भी पता लगाया जा रहा है ।

शारीरिक शिक्षा और युवक कल्याण सम्बन्धी समन्वय समिति

+

*२६४. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री २६ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारीरिक शिक्षा मनोरञ्जन व युवक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के समन्वय के लिये सुझाव देने के लिये नियुक्त समिति ने इस बीच अपना काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति की रिपोर्ट अथवा उसके द्वारा की गई सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) यदि अभी तक उस समिति का काम पूरा नहीं हुआ है, तो देर के क्या कारण हैं ; और

(घ) समिति अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत कर देगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अध्यक्ष की बीमारी के कारण ।

(घ) इस समिति के कार्य को पूरा करने के लिये कोई तारीख निश्चित करना कठिन है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इसका यह अर्थ लगाया जाये कि जैसी विषम परिस्थिति पैदा हो गई है, उस में इस कमेटी का कार्य बिल्कुल समाप्त हो गया है, अर्थात् इसको सदैव के लिये स्थगित कर दिया जायेगा ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : इस समिति की कई बैठकें हुई । उसने विभिन्न राज्यों और संस्थाओं का भी दौरा किया । समिति की हाल की एक बैठक में उन्होंने प्रतिवेदन तैयार करने का काम एक सदस्य को सौंप दिया है । अब यह सभापति के आने की प्रतीक्षा में हैं । जैसे ही सभापति अच्छे हो जायेंगे, समिति प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दे देगी ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस कमेटी के चेयरमैन, जो एक आदरणीय व्यक्ति हैं, उनके होते हुये भी क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि जब वह इतने दिनों से बीमार थे तो क्यों नहीं किसी दूसरे व्यक्ति को इसका अध्यक्ष नियुक्त करके इसकी रिपोर्ट प्राप्त की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : क्यों कि आस है कि वह जल्दी अच्छे हो जायेंगे।

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : क्या, वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये, सरकार इस समिति को राइफल प्रशिक्षण और असैनिक सुरक्षा के प्रश्नों पर भी सरकार को एक समकित प्रतिवेदन देने को कहेगी और यदि हां, तो कब ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : यद्यपि समिति ने अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है, सरकार शारीरिक शिक्षा और राष्ट्रीय अनुशासन योजना को सुदृढ़ करने के लिये कई उपाय करेगी। वास्तव में, इस समय हम देश की सभी शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा और राष्ट्रीय अनुशासन योजना को अनिवार्य तौर पर लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।

†**श्री महेश्वर नायक** : समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बगैर क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस समय देश की सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्यक्रम करती रहेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं उस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, वह आदरणीय व्यक्ति होते हुये भी और बीमार होते हुये भी और कितनी कमेटियों के अध्यक्ष हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस मामले में मुझे कुछ पता नहीं है। जैसा मैंने बताया, हमारे काम में किसी प्रकार भी इस कारण फर्क नहीं पड़ा है कि समिति की रिपोर्ट आने में देरी हुई है। जैसा मैंने अभी बताया, सरकार राष्ट्रीय अनुशासन योजना और शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिये आवश्यक कदम उठा रही है। जैसा मैंने बताया, इस समय हम देश भर में अनिवार्य रूप से शारीरिक शिक्षा और राष्ट्रीय अनुशासन योजना लागू करने पर विचार कर रहे हैं।

सीमित आई० ए० एस० परीक्षा

+

†*२९५. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमित आई० ए० एस० प्रतियोगी परीक्षा के सम्बन्ध में इस बीच कोई अंतिम निश्चय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उपर्युक्त परीक्षा कब तक करने का उसका [illegible]ार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). योजना अभी विचाराधीन है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह बताया जा सकता है कि देर से देर कब तक इस बारे में फैसला हो जायगा ?

†**श्री दातार** : इसमें कुछ महीने लगेंगे। हमें राज्य सरकारों से भी परामर्श करना पड़ेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह बतलाने की कृपा की जायेगी कि किस आधार पर यह विशेष भरती की जा रही है यानी कौन सी इस में विशेषतायें होंगी ? अर्थात् जो साधारण रिक्रूटमेंट होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन के द्वारा, उस में और इस में क्या अन्तर होगा ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य का ध्यान केन्द्रीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन की ओर दिलाता हूं । उन्होंने सुझाव दिया था, कि वार्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं के अतिरिक्त द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के राज्य और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये एक सीमित प्रतियोगी परीक्षा की जानी चाहिये ताकि उच्च स्तर पर हमें अनुभवी व्यक्ति मिल सकें ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या राज्य सरकारों ने इस योजना पर अपनी राय व्यक्त कर दी है ?

†**श्री दातार** : हमें अभी सभी राज्य सरकारों की राय प्राप्त नहीं करनी है । कुछ राज्य सरकारें इसके पक्ष में हैं ।

श्री राधे लाल व्यास : मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी जो लोग आलरेडी सर्विस में हैं, उनमें से जो लोग लिये जाते हैं उन के अनुपात को बढ़ाया क्यों नहीं जाता है ?

†**श्री दातार** : जैसा माननीय सदस्य को ज्ञात है वर्तमान की तरह हमने सीधे भर्ती किये जाने वालों की संख्या बढ़ा दी है । दूसरे लगभग २५ प्रतिशत हम राज्य सेवाओं से भी लेते हैं । यह समझा गया कि एक तीसरा साधन भी खोला जाये ताकि अधिक आयु के और अधिक अनुभवी व्यक्ति लिये जा सकें ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : कुछ समय पहले यह घोषणा की गयी थी कि चिकित्सा और आर्थिक सेवायें भी अखिल-भारत सेवा के रूप में की जायेंगी, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन सेवाओं के लिये परीक्षायें करेगी ?

†**श्री दातार** : यह प्रश्न भारतीय प्रशासन सेवा के बारे में है और चिकित्सा और आर्थिक सेवा के बारे में नहीं ।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** : क्या यह सच है कि विभिन्न विभागों में आयु की छूट भिन्न है और केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों से लोगों के आयु नियम भिन्न हैं ?

†**श्री दातार** : भिन्नता का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री अब्दुल गनी गोनी** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विभिन्न राज्यों के लिये स्थान सुरक्षित रखे गये हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने लोक सेवा आयोग को विभिन्न राज्यों मे चुने जाने के लिये विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित करने के लिये कोई निदेश जारी किये हैं ?

†**श्री दातार** : जहां तक विभिन्न राज्यों में श्रेणियों का सम्बन्ध है, हम उनकी आवश्यकताओं का पता लगा कर संख्या निर्धारित कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

गोहाटी तेल शोधक कारखाना

†*२९६. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यु० द० सिंह :
श्री पें० वें० कटासुब्बया :
श्री लखमू भवानी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाटी तेल शोधक कारखाने में काम करने वाले रूमानिया के विशेषज्ञों को वापिस बुला लेने का विचार है ;

(ख) क्या उनकी जगह काम करने वाले कर्मचारियों को काफी प्रशिक्षण दिया जा चुका है ;

(ग) क्या तेल शोधक कारखाने के विस्तार पर विचार किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) जी, हां । वे धीरे धीरे १९६३ के मध्य तक चले जायेंगे ।

(ख) और (ग). जी, हां ।

(घ) तेल शोधक कारखाने के विस्तार के बारे में आयल इंडिया लिमिटेड के साथ बातचीत की जा रही है जो तेल क्षेत्रों में नवीनतम विकास को ध्यान में रखते हुये कच्चे तेल की उपलब्धता के प्रश्न की जांच कर रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस तेल शोधक कारखाने में कितने रूमानिया के विशेषज्ञ हैं और उनमें से कितने जा रहे हैं क्या उनमें से कुछ कुछ समय के लिये यहां ठहरेंगे ?

†**श्री तिम्मय्या** : रूमानिया के ४८ विशेषज्ञ थे । अब केवल १४ विशेषज्ञ रह गये हैं जिन्हें भी धीरे धीरे वापस भेज दिया जायेगा और वर्ष १९६३ के मध्य तक सब को वापस भेज दिया जायेगा ।

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : कुछ समय पूर्व हमारा यही इरादा था । अब यह स्थिति अथवा कार्यक्रम है । इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस तेल शोधक कारखाने में अथवा अन्यत्र विभिन्न श्रेणी के तेल शोधक विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री तिम्मय्या** : हमारे पदाधिकारियों को निरन्तर प्रशिक्षण दिया जाता है । अब वहां लगभग ५३ पदाधिकारी हैं जिन्हें प्रशिक्षित किया गया है और वे रूमानिया के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्हिटले परिषदें

+

*२९७. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री बसुमतारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये व्हिटले परिषदें स्थापित करने के बारे में अंतिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) ग्रस्त मामले बड़े पेचीदा हैं और अन्तिम निर्णय करने से पूर्व उन पर बड़ा ध्यानपूर्वक विचार की आवश्यकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : संकट की स्थिति में, औद्योगिक मेल–मिलाप की बड़ी आवश्यकता है। इस मामले में अन्तिम निर्णय कब किया जायेगा ?

†**श्री दातार** : इसके शीघ्र किये जाने की संभावना है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने पहले बताया था कि अन्तिम निर्णय करने से पहले अथवा परिषदों के गठन को मंजूर करने से पहले, यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघों से परामर्श लिया जायेगा। क्या वह अब भी उस आश्वासन पर स्थिर हैं ?

†**श्री दातार** : यह उचित समझा गया कि श्रम और रोजगार मंत्री सेवा संस्थाओं के साथ और बातचीत करें। यह अनौपचारिक परामर्श पूरा हो गया है और अब इस मामले को अन्तिम रूप दिया जाना है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : रेलवे और अन्य केन्द्रीय सरकारी संस्थानों में स्थायी बातचीत व्यवस्था के तौर पर विवाद सुलझाने के बारे में मान्यता प्राप्त संघों के ऊपर इन व्हिटले परिषदों को स्थापित करने के लिये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष बात क्या है और कर्मचारी संघों अथवा संगठित श्रमिक संघों के निदेश पद क्या हैं ?

†**श्री दातार** : सरकार इस प्रश्न के समाधान के लिये अधिकतम समन्वय करने का प्रयत्न कर रही है। इसीलिये इस मामले पर जोर दिया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इन व्हिटले परिषदों को बनाने की वेतन आयोग ने कब सिफारिश की और इसमें इतना विलम्ब क्यों किया गया है ?

†**श्री दातार** : यही मैं बता रहा हूं। सरकार ने सोचा कि एक सामान्य समझौता करने के लिये सेवा संस्थाओं से परामर्श करना उचित होगा।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : उन्होंने इसकी सिफारिश कब की थी?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि युद्ध की विषम स्थिति होते हुए भी इस मामले को जल्दी से जल्दी तय किया जायेगा और ये कौंसिलें बनाई जायेंगी?

†**श्री दातार** : मैं सामान्य तौर पर यह आश्वासन देता हूं।

†**श्री भांगवत झा आजाद** : वेतन आयोग की सिफारिश के बाद और विभिन्न विभागों में बातचीत व्यवस्था के बारे में अपने अनुभव के आधार पर इस मामले पर विचार करने के बाद, सरकार और किन तरीकों पर विचार करेगी? मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य कृपया कुछ महीने प्रतीक्षा करें।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक व्हिटले परिषदें नहीं बनी हैं, क्या इस समय सरकार और इसके कर्मचारियों के बीच किसी विवाद को सुलझाने के लिये भारत सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

†**श्री दातार** : जहां तक वर्तमान व्यवस्था का सम्बन्ध है, हमारे यहां कर्मचारी परिषदें हैं—जूनियर कर्मचारी परिषदें और सीनियर कर्मचारी परिषदें—जहां पर सामान्य हित के प्रश्नों पर सदैव विचार किया जाता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मंत्री महोदय ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि माननीय सदस्य कुछ महीने प्रतीक्षा करें। संकट की स्थिति होने और विधेयक पास किये जाने से संघ हड़ताल नहीं करेंगे और इस प्रकार औद्योगिक मेल बना रहेगा। मैं इसलिये यह जानना चाहता हूं कि जब हम इस पर दो वर्ष लगा चुके हैं, तो इसको अन्तिम रूप देने में कुछ महीनों की क्या आवश्यकता है ?

†**श्री दातार** : सरकार हाल ही में किये गये परामर्शों को ध्यान में रखते हुए अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये भरसक प्रयत्न कर रही है।

दिल्ली में मोटल

†*२९८. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

†मूल अंग्रेजी में

श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री माते :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कम्पनी का दिल्ली में कुछ मोटल स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या वह योजना अंतिम रूप से तैयार कर दी गई है;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन ने यह योजना मंजूर कर ली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में शीघ्रता करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) इस समय दिल्ली में मोटल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

खेल कूद जांच समिति की रिपोर्ट

+

†*२९९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्र० के० देव :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेलकूद में सुधार के बारे में रिपोर्ट देने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में अपाहिजों के लिये शिक्षण सुविधाओं के सुधार के बारे में क्या मुख्य मांगें की गयीं; और

(ग) क्या सरकार ने तृतीय योजना में इस कार्य के लिये कोई व्यापक योजना शामिल की है ; और यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, नहीं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह प्रश्न इस सदन के सामने कई बार आ चुका है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर कुछ प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि आखिर इस देरी का कारण क्या है? श्री जयपाल सिंह भी आज मोजूद नहीं हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी से जल्दी इसे पूरा किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : यह समिति अखिल भारतीय खेल–कूद परिषद द्वारा बनाई गयी थी न कि भारत सरकार द्वारा। इसको प्रतिवेदन तैयार करने के लिये भी बहुत समय दिया गया। इसने कई राज्यों का दौरा किया और अपना प्रतिवेदन देने का आश्वासन दिया। दुर्भाग्यवश अभी तक प्रतिवेदन नहीं दिया गया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या गवर्नमेंट इस बात को अनुभव करती है कि रोम में जो हमारी पराजय हुई थी और उसके बाद जकार्ता में भी हमें हार का मुंह देखना पड़ा, और अब दूसरे इंटरनेशनल गेम्स होने वाले हैं, ऐसी हालत में जब इसमें इतनी देरी की जा रही है तो कब रिपोर्ट आयेग और कब उस पर अमल किया जायेगा?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : अखिल भारत हाकी फेडरेशन ने हाकी टीम को सुदृढ़ बनाने के लिये सभी संभव कदम उठाये हैं। यदि प्रतिवेदन दे दिया गया, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बड़ा फर्क पड़ेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : अखिल भारत खेल–कूद परिषद के अतिरिक्त, क्या सरकार ने स्वयं इस बात की पूछताछ की कि एशियाई खेलों में हमारे दल की इतनी बुरी असफलता के क्या कारण हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह भिन्न प्रश्न है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्योंकि प्रतिवेदन देने में काफी समय लग रहा है, क्या समिति को, विशेषतः हाकी में असफलता के बारे में, एक अन्तरिम प्रतिवेदन देने को कहा जायेगा?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में पूछ रहा हूं।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मंत्री महोदय को पता है कि प्रतिवेदन देने में विलम्ब के कारण भारत के हाकी संघ में और अन्य संस्थाओं में एक विवाद चल रहा है और हाकी के खेल को बहुत हानि हो रही है?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानकारी दे रही हैं।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल** : जिस बारे में इस समिति से सिफारिशें मिलने की आशा है, सरकार, किस क्षेत्र में, क्या सुधार करेगी?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : अखिल भारतीय हाकी संघ एक स्वतंत्र संगठन है और उसने रोम ओलम्पिक में अपने प्रदर्शन पर विचार किया है। उस संबंध में उन्होंने विभिन्न सुधार किए हैं। विस्तृत प्रशिक्षण किया गया था और उन्होंने नवयुवकों को छांट लिया है। दुर्भाग्य–वश जाकार्ता में हमारा एक खिलाड़ी घायल हो गया था और हम उससे अच्छा नहीं खेल सके।

†**श्री फतहसिंहराव गायकवाड़** : क्या यह सच है कि कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों ने इस समिति के सामने आने से इन्कार कर दिया था और यदि हां, तो क्यों?

†**श्री मं० रं० कृष्ण** : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि समिति का प्रतिवेदन अभी सरकार के सामने नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या राजकुमारी कोचिंग योजना अभी भी चालू है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उसका इससे कोई संबंध नहीं है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यह भी खेलकूद का मामला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह खेलकूद का मामला नहीं है। यह तो एक समिति का मामला है।

दिल्ली स्कल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर के छात्रों द्वारा हड़ताल

\+

*३००. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर के छात्रों ने पिछले अगस्त में हड़ताल की थी ;

(ख) क्या वह हड़ताल वापिस ले ली गयी थी ; और

(ग) क्या छात्रों की शिकायतों के बारे में कोई जांच पड़ताल की गयी है और उन की शिकायतें दूर की गयी हैं ?

†**वैज्ञानिक अनसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी हां।

(ख) २८ सितम्बर, १९६२ को।

(ग) छात्रों ने हड़ताल करने से पहले कोई शिकायत नहीं की थी परन्तु कथित शिकायतों का बिना हस्ताक्षर का एक ज्ञापन बाद में परिचालित किया था। स्कूल के बोर्ड आफ गवर्नर ने एक चार व्यक्तियों की समिति नियुक्त की है जो आर्किटेक्चर विभाग के साथ साथ स्कूल के कार्यवहन की जांच करेगी और उस से ठीक तरह से कार्यवहन के बारे में सुझाव देगी।

†**श्री भगवत झा आजाद** : अध्यापकों तथा छात्रों में अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने के लिये क्या इस चार व्यक्तियों की समिति ने कोई सिफ़ारिश की है और यदि हां, तो क्या उन को लागू कर दिया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : समिति अभी जांच कर रही है और उसने अभी अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या कोई ऐसी व्यवस्था की गयी है कि भविष्य में ऐसी घटनायें न होने पायें ?

श्री हुमायून् कबिर : जैसा मैं ने बतलाया, इसकी पहले से कोई इत्तला नहीं दी गयी थी। स्टूडेंट्स ने यह नहीं बतलाया कि उनका क्या ग्रीवांस है और कुछ स्टूडेंट स्ट्राइक पर चले गये। वह लोग अब अच्छी तरह काम कर रहे हैं। लेकिन आयन्दा स्ट्राइक न हो इस के लिये कमेटी नियुक्त की गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : छात्रों द्वारा दिये गये बिना हस्ताक्षर वाले ज्ञापन में क्या मुख्य बातें थीं ?

†**श्री हुमायून्कबिर** : तीन बातें थीं । एक यह थी स्कूल का प्रबन्ध सीधे दिल्ली प्रशासन करे । दूसरी यह थी कि वह प्रिंसिपल से सन्तुष्ट नहीं हैं । तीसरे वह अध्यापकों से भी संतुष्ट नहीं थे ।

श्री राम सेवक यादव : मैमोरैंडम की जो तीन शिकायतें अभी मंत्री महोदय न बतायीं उनकी जो अब तक जांच हुई है क्या उससे पता चलता है कि उनमें कुछ सत्य है ?

श्री हुमायून कबिर : इसमें जो पहली बात है वह सच नहीं है । वह दिल्ली यूनिवरसिटी से एफिलिएटेस हैं, और जैसे दूसरे कालिजों में गवरनिंग बाडी होती है वैसे ही उसमें भी जिसमें यूनिवरसिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं । अब कोई स्कूल या कालिज डाइरेक्ट यूनिवरसिटी के अंडर में रहें, यह मामला स्टूडेंट्स का नही है, यह मामला तो अथारिटीज और यूनिवरसिटी का है । दूसरी जो दो शिकायतें टीचर्स और प्रिंसिपल के सिमपैथैटिक न होने की है उनके बारे में कोई एवीडेंस नही है मेरे खयाल में वे बिल्कुल गलत हैं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि अभी भी विद्यार्थियों में असंतोष है और उन्होंने अक्तूबर में भी एक रिप्रेजेंटेशन दिया था ?

श्री हुमायून् कबिर : जैसा मैं ने कहा, वह खत्म हो गया और वे क्लासों में काम कर रहे हैं । अब इस मामले को उकसाइए मत । वे अच्छी तरह काम कर रहे हैं और उनको बतला दिया गया है कि स्टूडेंट्स के लिये स्ट्राइक से खराब कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती । वे लोग दो बार मुझ से मिले थे और मैं ने उनको बताया कि उनके लिये स्ट्राइक से ज्यादा गलत कोई चीज नहीं हो सकती क्योंकि इसमें उनका ही नुक्सान होता है, किसी दूसरे का नुक्सान नहीं होता । उन्होंने इस बात को मान लिया है, अब इसको मत उकसाइए ।

सिंगरौली कोयला खान में कोयला

+

†*३०२. { **श्री विश्वनाथ राय** :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरौली क्षेत्र में कोयले की खोज के सम्बन्ध में कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या वहां पर हाल में किसी नयी महत्वपूर्ण कोयला पट्टी का पता लगाया गया है ?

†**खान और इंधन मंत्री क सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा खोज की गई ड्रिलिंग से मालूम हुआ है कि लगभग ७४ मीटर मोटी कोयले की नई पट्टी वहां है ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या कोयले के निक्षेपों को खोदने के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

†**श्री तिम्मय्या** : भारत के भूतत्वीय परिमाप ने दो ड्रिलिंग मशीनें वहां पर लगाई हैं और भविष्य में चार ड्रिलिंग मशीनें यहां पर काम में लाई जायेंगी ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या कोयला निक्षेपों को खोदने का काम आरम्भ करने के लिये कोई समय निश्चित किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिम्मय्या** : जी नहीं ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस खान की खुदाई के लिये और अधिक धन की मांग की है जिसमें केवल कोयले की स्थिति में ही नहीं अपितु उत्तर से कोयले का अनावश्यक लदान न हो ?

†**श्री तिम्मय्या** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसका आप निर्णय करेंगे अथवा मंत्री महोदय ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका निर्णय मंत्री महोदय ने नहीं किया है । उन्होंने मुझे अपनी राय दी है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अध्यक्ष के प्रति और अधिक सम्मान दिखाया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न था कि क्या आन्ध्र प्रदेश ने धन मांगा है । ठीक उत्तर तैयार नहीं होगा । अगला प्रश्न ।

प्रश्न ३०३ के बारे में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान मेरा एक औचित्य प्रश्न है । श्री वी० टी० कृष्णमाचारी का प्रतिवेदन योजना मंत्री ने सभा पटल पर रखा था । मैं ने सूचना दी कि उस पर विचार किया जाये । उसका उत्तर भी योजना मंत्री ने दिया । परन्तु इस प्रश्न का उत्तर गृह-कार्य मंत्री दे र हैं । हम नहीं जानते कि काम का वितरण किस प्रकार है । प्रश्न गृह-कार्य मंत्री से पूछा जाना चाहिये अथवा योजना मंत्री से ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अभी कार्य वितरण सूची देख कर बताऊंगा ।

प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी का प्रतिवेदन

+

†*३०३. { **श्री दाजी** :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री सोनावने :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के प्रतिवेदन की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में कोई निर्णय किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : प्रतिवेदन के भाग १ से गृह-कार्य मंत्रालय का सम्बन्ध है । उसमें दी गई विभिन्न सिफारिशों पर की गई कार्यावही दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल टी०--५७२/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह श्री माथुर द्वारा उठाई गई आपत्ति का उत्तर दे सकते हैं ?

†**श्री दातार** : हमें यह प्रश्न मिला और हमें पता लगा कि प्रश्न का भाग १ गृह-कार्य मंत्रालय से सम्बन्धित है और हमने उसका उत्तर दे दिया । यदि यह प्रश्न अब योजना आयोग को सौंप दिया जाये तो मुझे आपत्ति नहीं है ।

†**श्री दाजी** : इसको योजना आयोग को सौंपना ठीक होग क्योंकि तब ठीक उत्तर मिलेगा । केवल एक भाग का उत्तर दिया गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखूंगा कि, हमने दूसरे भाग का क्या किया है ।

†**श्री दाजी** : क्या इन तीनों बातों को लागू कर दिया गया है ? पहली बात का क्या हुआ ? यह क्यों विचाराधीन है ?

†**श्री दातार** : जिसका हम से सीधा सम्बन्ध है वह है अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु को बढ़ाना । दूसरी बात है राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के लिये सलाहकार परिषद् बनाना । इस सम्बन्ध में सरकार ने स्वीकार कर लिया है कि ऐसी सलाहकार परिषद् बनाई जानी चाहिये । सरकार रिफ्रेशर कोर्स बनाने के बारे में भी विचार कर रही है । जहां तक सेवा-निवृत्ति की आयु का सम्बन्ध है । यह बड़ा प्रश्न है और सरकार को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में विचार करना है । तब राज्य सरकार के परामर्श से इस पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री दाजी** : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । मेरा प्रश्न सरल तथा स्पष्ट है । केवल दो बातें स्वीकार की गई हैं और शेष विचाराधीन हैं । मेरा प्रश्न था कि जो बातें स्वीकार की गई हैं क्या उनको लागू कर दिया गया है ।

†**श्री दातार** : लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने पूछा है कि क्या स्वीकृत बातों को स्वीकार कर लिया गया है?

†**श्री दातार** : सरकार स्वीकृत बातों को लागू करने के बारे में कार्यवाही कर रही है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने बताया कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की सवा निवृत्ति आयु ५५ से ५८ करने की शिफारिश थी । मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने केन्द्रीय सेवाओं के बारे में इसे स्वीकार कर लिया है अथवा क्या वह राज्य सरकारों के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

†**श्री दातार** : प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका था । गृह-कार्य मंत्री ने सभा में तथा राज्य सभा में बताया था कि सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि सेवा निवृत्ति की आयु को ५५ से ५८ करना चाहिये । उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ बातें बताई थीं । सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं किया है और अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की सेवा निवृत्ति आयु के प्रश्न पर तब विचार होगा जब सरकार निर्णय ले लेगी और निर्णय लेने के समय राज्य सरकारों का भी परामर्श लिया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री ने सभा में बताया कि सरकार का क्या करने का विचार है । इस सभा में कुछ सदस्यों ने बताया था कि इस संकट काल के कारण कुछ योग्य व्यक्ति सेवा निवृत्त हो जायेंगे इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि यह निर्णय कब तक लिया जायेगा और क्या इस को भूतलक्ष प्रभाव से लागू किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : जब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब तक वह कैसे बता सकते हैं कि भविष्य में उनका क्या करने का विचार है ?

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अभी बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के रिटायर होने, अर्थात् उनके अवकाश ग्रहण करने, की आयु को बढ़ानें के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, लेकिन कुछ ही दिन पहले माननीय गृह-मंत्री जी यह घोषणा कर चुके हैं कि अवकाश ग्रहण करने की आयु को बढ़ाने के बारे में करीब करीब निश्चय हो चुका है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने देश की बेरोजगारी और इस निर्णय का राज्यों के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन पहलुओं पर विचार कर लिया है।

†**श्री दातार** : माननीय मंत्री ने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी थी और जो पक्ष में थे वह कुछ बातें भी बता दी थीं और बताया था कि अभी अन्तिम निर्णय लेना बाकी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य केवल तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं और नयी जानकारी नहीं पूछ रहे हैं।

†**श्री भागवत झा आजाद** : केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने का प्रभाव राज्य सरकारों पर भी होगा तो क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार स्वयं निर्णय करेगी अथवा राज्य सरकारों का परामर्श लेकर निर्णय करेगी ?

†**श्री दातार** : मैं प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उत्तर दे चुके है कि राज्य सरकारों का परामर्श लिया जायेगा।

†**श्री भागवत झा आजाद** : माननीय मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ा दी जायेगी और तब राज्य सरकारों का परामर्श उनके कर्मचारियों के बारे में लिया जायेगा। क्योंकि इस का असर राज्यों के कर्मचारियों पर भी होगा तो क्या राज्य सरकांरों का परामर्श लिया जायगा अथवा नहीं ?

†**श्री दातार** : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में केन्द्रीय सरकार निर्णय ले सकती है। अखिल भारतीय सेवा के सम्बन्ध में राज्य सरकारों का परामर्श लिया जायेगा परन्तु सामान्यत : इन सभी मामलों में राज्य सरकारों के विचार जाने जाते हैं।

श्री विभूति मिश्र : माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में बताया है :

"ग्राम्य विकास को आधार पाठ्यक्रम में एक विषय बनाया जाना चाहिये। भारत दर्शन के कार्यक्रम में दो अथवा तीन दिन तक योजना आयोग के अध्ययन और एक अथवा दो ग्राम्य विकास केन्द्रों का दौरा शामिल किया जाना चाहियें"

मैं यह जानना चाहता हूं कि चूंकि रूरल डेवलपमेंट का काम बहुत महत्वपूर्ण है, इससिये क्या इस कोर्स से ही काम चल जायेगा, या सरकार इस में इजाफा करेगी, ताकि गांव वालों को वह पूरी मदद दे सके।

†**श्री दातार** : सरकार का विचार इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने का है। वह चाहते हैं कि ऐसा पाठ्य-क्रम होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** पहले का अनुभव है कि जिन सरकारी कमचारियों की सेवावृद्धि की गई थी उन्होंने काम में रूचि लेना बन्द कर दिया था क्योंकि वह उन मंत्रियों अथवा व्यक्तियों का ही ध्यान रखते हैं जिनके साथ वह लगे रहते है ? इस लिये क्या सरकार इस का ध्यान रखेगी कि यह वृद्धि सभी व्यक्तियों को तथा स्वविवेक अथवा दक्षता के आधार पर न हो ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है ।

†**श्री दाजी :** क्या राज्य सरकारों को भेजी गयी यह बातें लागू करने के लिय है अथवा क्या राज्य सरकारें इन पर विचार करके इसको अस्वीकार भी कर सकती है ?

†**श्री दातार :** कुछ राज्य सरकारों का इससे सीधा सम्बन्ध है तथा वह वहां पर स्वयं कार्यवाही करते है ।

†**श्री त्यागी :** संभवत: मेरा प्रश्न समझा नहीं गया । में जानना चाहता हूं कि क्या सभी कर्मचारियों की सेवावृद्धि की जायेगी अथवा क्या वह सरकार के स्वविवेक पर छोड़ दिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** पहले जब माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था तो यह केवल सुझाव मात्र था । इस लिये मैंने उसको सुझाव कह दिया था । अब उन्होंने प्रश्न पूछा है ।

†**श्री त्यागी :** क्या यह सभी कर्मचारियों पर लागू होगा ?

†**श्री दातार :** सेवा निवृत्ति की आयु के बारे में ये ब्योरे हैं । मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह कुछ समय तक प्रतीक्षा करें ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** भारतीय प्रशासन सेवा में कितनी कमी है और सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ा देने के बाद यह कमी कितनी दूर हो जायेगी ?

†**श्री दातार :** कुछ कमी थी और इसी लिये संख्या पूरी बढ़ाई गई है । माननीय सदस्य जानते है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में हम कार्यवाही कर चुके हैं । संख्या बढ़ी दी गई है । १९५९ में हमने भारतीय प्रशासन सेवा में ७३ व्यक्ति लिये थे और १९६१ में ९९ और लिये । अभी भी बहुत कमी है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** श्रीमान्, में अपने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर चाहता हूं । में जानना चाहता हूं कि यह कमी सेवा निवृत्ति आयु बढ़ा कर कितनी पूरी की जा सकती है । यह हमें बताया जाना चाहिये ।

†**श्री दातार :** सरकार उचित समय पर इस पर विचार करेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका अर्थ है कि सरकार ने इस पर अभी विचार नहीं किया है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** प्रश्न सेवा निवृत्ति की आयु बढाने के सम्बन्ध में है । माननीय मंत्री ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि यह वैकल्पिक होगा अथवा अनिवार्य होगा । यह प्रश्न किस प्रकार उत्पन्न होता है । जब सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जा रही है तो यह अनिवार्य ही होगी ।

†**श्री दातार :** इस प्रश्न के कई पहलू हैं । क्या सेवा निवृत्ति की आयु सभी सरकारी कर्मचारियों की बढ़ जायेगी अथवा क्या इसके बढ़ायें जाने से पहिले कुछ शर्तें रखी जानी चाहिये ।

†**श्री त्यागी :** यदि इसको स्वविवेक पर छोड़ दिया गया तो इससे पूरे प्रशासन में गड़बड़ी आ जायेगी । इस लिये क्या में जान सकता हूं कि क्या अन्तिम निर्णय लेने से पहिले सभा को इस बारे में बतायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति—श्री हरिश्चन्द्र माथुर ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में राज्य सरकारों से परामर्श लिया जायेगा । क्या उन्होंने राज्य सरकारों का परामर्श ले लिया है और यदि हां, तो सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया जान ली गई है ?

†**श्री दातार** : मैंने स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के बारे में निर्णय लेने के बाद अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में राज्य सरकारों का परामर्श लिया जायेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अभी तक उनका परामर्श नहीं लिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न अनिश्चित काल तक नहीं लिया जा सकता है । यदि विवाद चाहते ह तो विवाद किया जा सकता है । माननीय मंत्री के पास जो कुछ था वह उन्होंने बता दिया है । यदि माननीय सदस्य इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हैं तो वह जानते हैं कि चर्चा किस प्रकार उठाई जा सकती है ।

†**श्री त्यागी** : श्रीमान्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । क्या अन्तिम निर्णय लेने से पूव माननीय मंत्री सभा की राय लेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सभा की इसके बारे में राय ली जायेगी ?

†**श्री दातार** : यह सामान्य प्रश्न है अथवा सेवा निवृत्ति की आयु के बारे में है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सेवा निवृत्ति की आयु के बारे में है ।

†**श्री दातार** : इसका सम्बन्ध श्री कृष्णमाचारी की रिपोर्ट से है । सेवा निवृत्ति की आयु के बारे में सरकार समय पर निर्णय लेगी ।

†**श्री त्यागी** : मैंने सभा की राय के बारे में पूछा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या संसद की राय ली जायेगी ।

†**श्री दातार** : मैं समझता हूं कि यह संभव नहीं होगा ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में बताई गई सिफारिश संख्या १२ में बताया गया है कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी ज़िले का भार सात वर्ष की सेवा के बाद ले सकेंगे । क्या यह सच है कि बहुत सी राज्य सरकारें सिफारिश संख्या १२ के अनुसार काम नहीं कर रही ह जिसके परिणामस्वरूप ज़िले के स्तर पर प्रशासन में अदक्षता आ जाती है ?

†**श्री दातार** : मुझे रिपोर्ट कुछ महीने पहले मिली थी और हमने राज्य सरकारों का परामर्श लिया है । यह तो राज्य सरकारों पर है कि अपने उत्तर भेजें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अपाहिजों की शिक्षा

†*३०४. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री श्याम लाल सर्राफ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारत बधिर संघ ने दिल्ली में सितम्बर, १९६२ में हुई एक बैठक में अपाहिजों के लिये शिक्षण सुविधाओं की अपर्याप्तता पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में अपाहिजों के लिये शिक्षण सुविधाओं के सुधार के बारे में क्या मुख्य मांगें की गयीं ; और

(ग) क्या सरकार ने तृतीय योजना में इस कार्य के लिये कोई व्यापक योजना शामिल की है ; और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौदरम रामचन्द्रन)**: (क) और (ख). बहरों के पांचवें अन्तर्राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाने के लिए संघ ने २३ सितम्बर को एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में स्वीकृत संकल्प भारत सरकार को नहीं बताये गय है ।

(ग) तीसरी योजना के केन्द्र क्षेत्र में अपाहिजों की शिक्षा की योजनाओं का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७१]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : बहरों तथा अपाहिजों के लिये तीसरी योजना में कितनी धन राशि रखी गई है ? क्या इसको सभी राज्यों में वितरित किया जायेगा ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचंद्रन** : जी हां। यह १ करोड़ रुपये से कुछ कम है। इसका कुछ भाग वितरित कर दिया गया है। राज्यों की सभी आवश्यकताओं पर विचार किया जायगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या विभिन्न राज्यों को इस वर्ष अथवा समस्त तीसरी योजना में दी गई सहायता के अलग अलग आंकड़े बताये जा सकते हैं ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचंद्रन** : अलग अलग आंकड़े नहीं हैं। परन्तु योजना अंधों, बहरों तथा अपाहिजों के लिये बनाई गई ह। इसका उपयोग अंधे बच्चों के देहरादून के माडल स्कूल के विकास, महिलाओं के प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार, वयस्क बहरा प्रशिक्षण केन्द्र, स्वयं सेवी संगठनों, अंधों के कारखानों, के लिये किया जायेगा। उचित मांग होने पर हम सहायता देते है। हमने प्रत्येक श्रेणी के लिये अलग अलग राशि नहीं रखी है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मंत्रालय को मालूम है कि देश में कितने अपाहिज हैं ? कितने प्रतिशत अपाहिज शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई राशि से शिक्षा पा रहे हैं ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन** : प्रत्येक श्रेणी के ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हमने उसमें से अपाहिजों को शिक्षा अथवा पुनर्वास पर बहुत कम खर्च किया है। तीसरी योजना में गम्भीर प्रयत्न किया गया था। राज्यों को भी कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा योजना की क्रियान्विति के बारे में योजना भेजनी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : इस धन राशि का वितरण समाज कल्याण बोर्ड द्वारा होगा अथवा राज्य सरकार द्वारा ? यह धन राशि किस आधार पर वितरित की जाती है ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन** : अपाहिजों के कल्याण का काम समाज कल्याण बोर्ड को सौंप दिया जायेगा परन्तु शिक्षा, पुनर्वास, कारखानों का चालन आदि राज्य सरकारें करेंगी । इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों की सिफारिश के अनुसार कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान, छात्र-वृत्ति आदि के लिए धन दिया जाता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या १९५६ में शिक्षा मंत्रालय द्वारा संगठित गोष्ठियों तथा सम्मेलनों में की गई सिफारिशें क्रियान्वित कर दी गई हैं अथवा नहीं ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचंद्रन** : जी हां । एक सिफारिश यह थी कि अपाहिजों के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड बनाया जाये । इस सिफारिश को लागू कर दिया गया है और बोर्ड बनाया गया है ।

पहली बैठक २३ तारीख को होने वाली थी परन्तु दुर्भायवश संकटकाल के कारण उसको रद्द करना पड़ा । हम पुनर्वास के लिये योजना बनाने के लिये विशेषज्ञों को बुला रहे हैं क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : अपाहिजों को प्रशिक्षण के बाद पुनर्वासित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन** : जी हां । नये बोर्ड के सामने कार्यसूची की पहली मद है कि विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों से कहा गया है कि उनको अपने यहां नौकर कर लें । अब भी हमने विभिन्न राज्यों में काम दिलाऊ दफ्तर खोल दिए हैं जिनमें से दिल्ली तथा अन्य राज्यों में हैं । हम सभी प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको काम दिला दिया जाये ।

पंजाब में तेल

+

†*३०५. **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बसुमतारी :
श्री हेम राज :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री ८ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनौरी (पंजाब) में छिद्रण कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ज्वालामुखी में छिद्रण कार्य फिर आरम्भ करने के लिये कोई विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या)**: (क) अक्तूबर १९६१ में जनौरी में कूंवा संख्या १ पूरा हो गया था और तब से कुंएं की जांच हो रही है। अब तक तेल और गैस का पता नहीं लगा है।

(ख) और (ग). ८ अगस्त, १९६२ से स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। मामले पर विचार किया जा रहा है और समय पर निर्णय ले लिया जायेगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : ज्वालामुखी का कार्य क्यों बन्द कर दिया गया और क्या हम अब भी यह विचार कर रहे हैं कि तेल की इतनी अधिक मांग होने के कारण क्या हमें यह कार्य पुनः आरम्भ करना चाहिये ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)**: प्रोग्राम पूरी तरह छोड़ा नहीं गया है। हम गहराई तक तो नहीं गये ह परन्तु यह सम्भावना है कि यदि हम गहरी खुदाई करें तो तेल मिल सकता है। हमें गहरी खुदाई करनी चाहिये या नहीं, इस पर हम अब भी विचार कर रहे हैं। अतः प्रोग्राम पूरी तरह छोड़ा नहीं गया है ..... **(अन्तर्बाधा)**

†**श्री भागवत झा आज़ाद** : प्रश्न के (ख) और (ग) के प्रसंग में क्या हम जान सकते है कि यह मामला अभी उस स्थिति में क्यों है जिस में पिछली बार यहां सभा में उत्तर देने के समय था ? क्या कोई कार्यवाही नहीं की गई, या यदि कार्यवाही की गई थी तो क्या कोई फल नहीं निकला ?

†**श्री हजरनवीस** : हमने ४,५०० मीटर की गहराई तक खुदाई की है। इसी बीच वर्षा आरम्भ हो गई और छिद्रण कार्य जारी नहीं रह सका। लेकिन लगभग एक मास बाद तथ्यों का पुनरीक्षण करने के बाद हम यह निश्चय करेंगे कि हमें और गहराई तक खुदाई करनी चाहिये या नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : दसुआ के पास एक स्थान पर छिद्रण हो रहा था। वहां क्या फल रहा ?

†**श्री हजरनवीस** : उस स्थान का स्थानवृत मुझे पता नहीं है। यह प्रश्न जनौरी कुआं संख्या १ के बारे में है।

छात्रावासों में न रहने वाले विद्यार्थियों के लिये छात्रगृह

†*३०६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों में छात्रावासों में न रहने वाले विद्यार्थियों के लिये 'छात्र गृह' खोलने की संभावना का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही एक समिति बना दी है।

(ख) अभी योजना का ब्यौरा तैयार नहीं हुआ है।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार को यह पता है कि हजारों स्टूडेंट्स को कालिजों की कमी के कारण दाखिला नहीं मिलता है और इसलिए पहले कालिजेज़ बनाने चाहिएं या यह स्टूडेंट्स होम्स बनाने चाहिएं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : सब काम साथ-साथ होने चाहिएं।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्नेहन-तेल संयंत्र[1]

†*३०८. { श्री बिशनचन्द्र सेठ :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक स्नेहन-तेल संयंत्र स्थापित करने के बारे में विचार कर लिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कलोल तेल क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में स्नेहन-तेल पाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सहायक उद्योगों में क्या मूल सामग्री बनाई जायेगी ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) हां, श्रीमान् । सरकारी क्षेत्र में बरौनी तेल शोधक कारखाने के साथ एक स्नेहन-तेल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है ।

(ख) स्नेहन-तेल तेल क्षेत्रों में प्राकृतिक स्थिति में नहीं मिलते परन्तु कलोल क्षेत्र में मिलने वाला कच्चा तेल स्नेहन-तेलों के लिए निश्चित उत्पाद प्रतीत होता है ।

(ग) जहां तक कलोल के कच्चे तेल से स्नेहन-तेलों के उत्पादन की सम्भावनाओं का सम्बन्ध है, अभी प्रश्न प्रारम्भिक विचारावस्था में है और ब्यौरा तैयार करने में कुछ समय लगेगा ।

(घ) विचार यह है कि स्वचालक और औद्योगिक दोनों प्रकार की विभिन्न श्रेणियों वाले स्नेहन-तेल बनाये जायें ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैं पूछना चाहता हूं कि यह जो कार्य हो रहा है वह विदेशी कम्पनी के साथ हमारी सरकार कर रही है या हिन्दुस्तान इस कार्य को स्वतः कर रहा है ?

श्री हजरनवीस : कुछ हम भी कर रहे हैं, भारत सरकार भी कर रही है और कुछ विदेशियों के साथ मिल कर भी कर रहे हैं ।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मैंने यह जानना चाहा था कि जो आगे कार्य कर रहे हैं, वह फारेन कम्पनियों के साथ कर रहे हैं, या भारत की सरकार स्वतः कर रही है ?

श्री हजरनवीस : जैसे मैंने कहा है कुछ हम भी कर रहे हैं, भारत सरकार कर रही है और कुछ विदेशियों के साथ भी कर रहे हैं ।

†**डा० रानेन सेन** : क्या यह सच है कि स्नेहन तेल बनाने के लिए हमारी सरकार रुस सरकार से कोई करार कर रही है ?

†**श्री हजरनवीस** : तेल शोधक कारखाना जो रूस सरकार की सहायता से बनाया जा रहा है, स्नेहन तेल भी बनायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Lubricating Plant.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण

†*३०१. **श्री उमानाथ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण और प्राथमिक स्कूलों के लिए एक से शिक्षाक्रम के संबंध में राज्यों को कोई राय दी गयी है ताकि भावनात्मक एकीकरण और राष्ट्रीय एकता पैदा की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस राय का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई भावनात्मक एकता समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों संबंधी अनेक सिफारिशें हैं। यह अब सरकार के विचाराधीन हैं।

अभिलेख विधान समिति का प्रतिवेदन

†*३०७. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभिलेख विधान समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये विधान लाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस विषय पर सरकार के निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). मामला विचाराधीन है।

(ग) राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों और रूचि लेने वाली संस्थाओं के विचार प्राप्त किये जा रहे हैं।

कोयले का उत्पादन

†*३०९. **श्री प० कुन्हन** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयला उत्पादकों ने उत्पादन बढ़ाने के लिये कई उपाय अपनाये हैं जिनमें सप्ताह में सात दिन काम करना भी शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो अपनाये गये उपायों का क्या ब्योरा है; और

(ग) इन उपायों के फलस्वरूप उत्पादन में कहां तक वृद्धि हुई है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) हां।

(ख) कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कोयला उद्योग ने ७ दिन के आधार पर रात दिन काम करने का निश्चय किया है, मजदूरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और जहां आवश्यक है वहां अधिसमय भुगतान किया जा रहा है। खान अधिनियम के संबंधित उपबन्ध इसे सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने ढीले कर दिये हैं। अन्य कार्यवाही में विद्युत् विस्फोटकों और

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान जैसे सीमेन्ट तथा इस्पात की पर्याप्त उपलब्धि शामिल हैं। इन आवश्यकताओं की सावधानी पूर्वक जांच की जा रही है और इन संभरणों को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयला उद्योग को आवश्यक प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) ऐसे संकेत हैं कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है। निश्चित अनुमान केवल दो मास बाद ही लगाया जा सकेगा जबकि इन कार्यवाहियों का प्रभाव पड़ेगा।

दिल्ली में अपराध

*३१०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री कजरोलकर :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अपराधों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए कोई विशेष कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पुलिस संहिता में कुछ परिवर्तन करने की आशा है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) और (ख). पुलिस के गश्ती दस्तों के लिए गाड़ियों की संख्या पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का निश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पुलिस स्टेशन के पास पिक-अप वेन होगी। पुलिस मोटर साईकल तथा रेडियो संचार गायड़यों के लिए भी प्रबंध किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव है, कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस अथवा इन्स्पैक्टर के अधीन हो, तथा अपराधों की छानबीन यथा-सम्भव ऐसे अधिकारियों द्वारा की जाए, जो सब–इन्स्पेक्टर के पद से कम के न हों।

(ग) जी नहीं।

प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी का स्थानान्तरण

*३११. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ८ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मसूरी से प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी को अन्यत्र हटाने के प्रश्न के सम्बन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): मसूरी से अकादमी को हटाने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है और अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में इंडियन आयल कम्पनी के पैट्रोल के सर्विस स्टेशन

†*३१२. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल कम्पनी ने दिल्ली में सहकारी पट्रोल पम्प और सर्विस स्टेशन बनाने की योजना पेश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कार मालिकों तथा टैक्सी मालिकों ने कितना पसन्द किया है; और

(ग) क्या कोई ऐसी सहकारी समितियां बन भी गई हैं ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) नहीं, श्रीमान। इण्डियन आयल कम्पनी सम्बंन्धित सभी बातों पर विचार करके पेट्रोल के अपने विक्रेता चुनती है और व्यक्तियों की अपेक्षा सहकारी समितियों को प्राथमिकता देती है, वशर्ते कि समितियां सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करती हों।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पन्त स्मारक

†*३१३. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री लखम भवानी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रधान मंत्री के सभापतित्व में प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता श्री गोविन्द बल्लभ पन्त का उचित स्मारक बनाने के लिए कोई समिति बनाई गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : ऐसी समिति बनाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

तेल शोधक कारखाना

†*३१४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान और इंधन** मंत्री १७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े-बड़े तेल शोधक कारखानों के साथ डिस्ट्रिब्यूटिंग कम्पनियों को रुपया कम्पनियों में बदलने के लिए कोई समझौता हुआ है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो शर्तें क्या हैं ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) इन मामलों की अभी जांच हो रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयले के ऊंचे मूल्य

†*३१५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री य० द० सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २४ सितम्बर, १९६२ के टाइम्स आफ इंडिया में "खराब किस्म के कोयले के लिए उपभोक्ताओं को अधिक यूल्य देने पड़े" नामक शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें वर्णित स्थिति के बारे में सरकार का क्या विचार है; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). कोयला और कोक का मूल्य नियंत्रित है और दिल्ली में घरेलू प्रयोग के कोक की पर्याप्त उपलब्धि है। इस कारण उपभोक्ताओं के अधिक मूल्य देने का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्नास्पद शिकायत का सम्बन्ध शायद कोयला और कोक की किस्म से है। कोयला और कोक की प्राप्ति कोटाधारियों को होती है और उचित किस्म का कोयला लेना उनका काम है। कोयला नियंत्रण संगठन यथासंभव निरीक्षण करता है ताकि घटिया किस्म का कोयला न भेजा जाये।

बिहार-बंगाल के कोयला क्षेत्रों में कोयला

†*३१६. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार बंगाल के कोयला क्षेत्रों की वैगनों की मांग अब पूरी की जा रही है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र की कुछ कोयला खानें उनको आवंटित सभी वैगनों में लदान नहीं कर सकीं ; और

(ग) क्या इस कोयला क्षेत्र में अब वैगनों की कमी की समस्या नहीं रह गयी है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). बंगाल तथा बिहार के क्षेत्रों में वैगनों का संभरण काफी बढ़ गया है और औसत यह है कि लगभग मांग की पूर्ण पूर्ति

†मूल अंग्रेजी में

होती है । ऐसे अवसर आये हैं जब कि कोयला खानें अनेक कारणों से सारे वैगनों में कोयला नहीं भर सकीं । परन्तु कोयला खानों के ढीले मौसम में यह बात साधारण होती है । यह मौसम जुलाई से अक्टूबर तक होता है ।

(ग) जुलाई से अक्टूबर तक की अवधि में बिहार-बंगाल क्षेत्रों में वैगनों की कोई कमी नहीं रही ।

ब्रिटिश साम्राज्य तथा राष्ट्रमंडल खेलकूद

†*३१७. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **शिक्षा** मंत्री १७ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन के ब्रिटिश साम्राज्य तथा राष्ट्रमंडल खेलकूद १९६६ में दिल्ली में करने के प्रस्ताव पर अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) ब्रिटिश एम्पायर एण्ड कामनवैल्थ गेम्स फेडरेशन ने क्या शर्तें रखी हैं ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इनको किस हद तक स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार की शर्तें इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन ने स्वीकार कर लीं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) वर्तमान संकट को ध्यान में रखकर भारत ने प्रस्ताव वापस ले लिया है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विज्ञान शिक्षा के विकास के लिये यनैस्को की सहायता

†*३१८. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री भक्त दर्शन :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनैस्को सलाहकार शिष्टमंडल हाल में ही माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के विकास की योजना तथा कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना के बारे में भारत सरकार को सलाह देने के लिये भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस शिष्टमंडल की मुख्य सिफारिशें क्या थीं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां श्रीमान ।

(ख) सलाहकार शिष्टमण्डल की रिपोर्ट अभी यूनैस्को से नहीं आई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जामा मस्जिद के पास विस्फोट

†६४२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १२ फरवरी, १९६२ को दिल्ली में जामा मस्जिद के सामने हरे भरे मजार के पीछे हुए विस्फोट सम्बन्धी जांच पड़ताल की आद्यतन स्थिति क्या है ; और

(ख) यदि वे निश्चित हो गई है, तो उसका परिणाम क्या रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मामले की अभी जांच पड़ताल हो रही है ।

विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये गरीब विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्तियां

†६४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१-६२ में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पंजाब राज्य सरकार को इस कार्य के लिए कितना धन दिया गया कि वह गरीब विद्यार्थियों को उनकी विश्वविद्यालय शिक्षा जारी रखने के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां दे सके ;

(ख) राज्य सरकार ने इसमें से कितना धन व्यय किया ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को पता लगा है कि जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं उनमें से अधिकतर को धन नहीं मिला है हालांकि शिक्षा वर्ष समाप्त होने वाला है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ९२,१०० रु०

(ख) ६३,९९० रु० ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

गांधी दर्शन

†६४४. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने गांधी दर्शन का लोकभाषा में निर्वचन करने की क्या कार्यवाई की है ; और

(ख) उसे जन-साधारण में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय ने दो रचनाएं प्रकाशित की हैं—एक शिक्षा पर गान्धी के विचारों के बारे में है और दूसरी शिक्षा सम्बन्धी उनके विचारों तथा अनुभवों के बारे में है । 'सभी लोग भाई हैं' नामक रचना देश के सभी माध्यमिक स्कूलों को मुफ्त बांटी गई है । इस रचना में गान्धी जी के चुने हुए भाषण हैं और इसका उद्देश्य उनके विचारों को लोकप्रिय बनाना है । सभी भारतीय विश्वविद्यालयों तथा चुने हुए महिला कालेजों को गान्धी साहित्य का एक सेट मुफ्त बांटा गया है । माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अनेक राज्यों तथा संघ प्रशासित राज्य क्षेत्रों में गांधी जी की शिक्षाओं, जीवन के बारे में भाषणों की व्यवस्था की गई है । विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालय भी भारत सरकार की वित्तीय सहायता से गांधी दर्शन पर भाषणों की व्यवस्था कर रहे हैं । गांधी साहित्य अध्ययन संस्था, वाराणसी को अपनी कार्यवाही बढ़ाने के लिए १ लाख रुपया अनुदान दिया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

आन्ध्र प्रदेश में स्कूल तथा कालेजों में आडिटोरियम

†६४५. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ में आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न कालेजों तथा स्कूलों में श्रोताभवन (आडिटोरियम) बनाने के लिए कितनी राशियां दी गईं ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ५८,२५५ रु० ।

(ख)

संस्था का नाम	परियोजना की स्वीकृति का वर्ष	१९६२–६३ में अब तक दिया गया धन
१. लुथेरन बहुप्रयोजन स्कूल, गुन्टूर	१९५८–५९	१९,२५५ रुपये (दूसरी और अन्तिम किस्त)
२. श्री विवेकानन्द उच्च माध्यमिक स्कूल, गिडुलूर	१९५९–६०	१७,००० रुपये (दूसरी किस्त)
३. आन्ध्र जमीया कलाशाला, मसूलीपट्टम	१९६०–६१	१०,००० रुपये (दूसरी किस्त)
४. अक्कीनेनी नगेश्वर राव कालेज, गुड़ीवाड़ा	१९६०–६१	१२,००० रुपये (दूसरी किस्त)

व्यावहारिक प्रशिक्षण

†६४६. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सुपात्र विद्यार्थियों को कैसी छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं ; और

(ख) ऐसी छात्रवृत्तियों के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). माननीय सदस्य का ध्यान "विदेशों तथा स्वदेश में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति" (तीसरा संस्करण, १९६१) नामक पुस्तिका की ओर आकर्षित किया जाता है । यह रचना इस मंत्रालय की है । इसकी एक प्रति संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

वानस्पतिक उद्यान

†६४७. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह है यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी कितने ऐसे वनस्पति उद्यान हैं जिनका रख-रखाव ठीक है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ऐसे सुव्यवस्थित वानस्पतिक उद्यान बनाने के लिए गैर-सरकारी पार्टियों को प्रोत्साहन स्वरूप क्या सहायता दी जाती है ?

†**वैज्ञानिन अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० नास)** :

(क) निम्न वानस्पतिक उद्यानों, पार्कों और कृषि-पुष्प उद्यानों की व्यवस्था राज्य सरकारें, विश्व-विद्यालय तथा स्वयत्तशासी संस्थायें करती हैं :—

(१) उद्यान	१६
(२) पार्क . . .	६
(३) कृषि-पुष्प उद्यान . . .	७

केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कोई वानस्पतिक उद्यान नहीं है ।

गैर्-सरकारी उद्यानों सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान, लखनऊ के द्वारा सलाह देती है और उद्यान बनाने, उन का नक्शा बनाने, किस किस्म के पौदे लगाने चाहियें, बागबानी वानस्पति सम्बन्धी अनुसंधान कार्य, उद्यान कार्य, पौदा, रसायन शास्त्र तथा सम्बन्धित विषयों के बारे में प्रार्थना किये जाने पर सामान तथा साहित्य देती है ।

राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान, लखनऊ सामान्य मूल्य पर गैर-सरकारी पार्टियों को पौदे और पौदों का सामान देता है । इसके अलावा उच्च उद्यान कार्य तथा वनास्पति की ट्रेनिंग देता है ताकि देश में वानस्पति उद्यान बनाने तथा रखने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सकें ।

अपाहिजों के लिये काम दिलाऊ दफ्तर

†६४८. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपाहिजों और लूलों व लंगड़ों के लिये हाल में दिल्ली में खोला गया काम दिलाऊ दफ्तर सफल रहा है ; और

(ख) पिछले छः मास में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) ८४ ।

दिल्ली में स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का संघ

†६४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संघ ने दिल्ली में सरकारी स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) दिल्ली राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी संस्था और प्रयोगशाला सहायक संघ से प्रयोगशाला सहायकों के वेतन क्रम में संशोधन करने के अभ्यावेदन आये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार को प्रयोगशाला सहायकों के वेतन में संशोधन करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह तो हाल में ही द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बदला गया है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

†६५०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्षवार तथा टेक्निकल व अन-टेक्निकल कितने कितने ऐसे पद भरे हैं जिनका वेतन ५०० रु० मासिक है या इससे अधिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त रिक्त स्थानों में से बहुत से स्थानों की प्रेस में विज्ञापन द्वारा या अन्यथा कोई उचित सूचना नहीं दी गई ; और

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में प्रतिनियुक्ति के लिये अधिकारियों को चुनने का क्या सिद्धान्त व व्यवस्था है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) ऐसे टेक्निकल और अन-टेक्निकल पदों की संख्या सम्बन्धी जानकारी, जिनके वेतन-क्रम की उच्चतम सीमा ५०० रु० मासिक या उससे अधिक है और जिन्हें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पिछले तीन वर्षों में भरा है, निम्न है :—

वर्ष	टेक्निकल पद	अन-टेक्निकल पद	योग
१९५९	४०	४	४४
१९६० .	११९	४१	१६०
१९६१	१४६	३९	१८५
योग . .	३०५	८४	३८९

(ख) नहीं, श्रीमान । सभी पदों पर नियुक्तियां जनसाधारण में से की गई थीं और इन्हें प्रेस में विज्ञापित किया गया था । हां, उन पदों का विज्ञापन नहीं दिया गया जिन पर सरकारी अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हुई या जो विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे गये ।

(ग) जिन मामलों में उपयुक्त उम्मीदवार जनसाधारण में से नहीं मिलते, उन के लिये राज्य सरकारों या केन्द्रीय सरकार के उचित विभागों से प्रार्थना की जाती है कि वे अपने अनुभवी अधिकारियों की सेवायें प्रतिनियुक्ति के आधार पर आयोग को दे दें । राज्य सरकारों, आदि द्वारा भेजे गये विशेष उम्मीदवारों सम्बन्धी जानकारी की ध्यानपूर्वक जांच की जाती है और उन की शिक्षा तथा अनुभव को ध्यान में रखकर उपयुक्तता के आधार पर चुनाव किया जाता है ।

अपराधियों की परिवीक्षा[1]

†६५१. **श्री यशपाल सिंह**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्य अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अपराधियों को सुधारने के लिये परिवीक्षा के सिद्धान्त तथा प्रणाली पर कार्य कर रहे हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Probation.

(ख) क्या यह प्रणाली लाभदायक सिद्ध हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस का क्या ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)**: (क) आठ राज्य, अर्थात् आसाम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से अधिनियम के लागू होने की स्थिति के बारे में विचार व्यक्त करने के लिये लिखा गया है और जानकारी प्राप्त होने पर, यथासमय एक विवरण पटल रख दिया जायेगा ।

हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये संस्थायें

†६५२. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये संस्थायें बनाने की योजना पर आगे कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में ऐसी संस्थायें बन गई हैं और उन में कितनी सफलता मिली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) अब तक चार राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेज बने हैं और स्वीकृत प्रोग्रामानुसार इन कालेजों में प्रति वर्ष ३६० हिन्दी अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

विशेष पुलिस संस्थान

†६५३. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष पुलिस संस्थान ने जुलाई, अगस्त और सितम्बर, १९६२ में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कितनी पूछताछ की ;

(ख) इनमें कितने गजेटेड अधिकारी हैं ;

(ग) कितने मामलों में जांच पूरी हो गई है और दण्ड दे दिया गया है ;

(घ) कितने मामले अनिश्चित पड़े हैं और उन्हें शीघ्र निपटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) ऐसे मामलों की संख्या रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २५९ ।

(ख) ५८ ।

(ग) १३ । (दो मामलों में जांच पड़ताल आगे नहीं बढ़ाई गई) । जांच पड़ताल की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्यवाही की जा रही है और अभी तक दण्ड देने की स्थिति नहीं आई है ।

(घ) २४४ । अनिश्चित पड़ी पूछताछों की जांच पड़ताल को यथाशीघ्र पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ङ) इनकी रिपोर्ट प्रशासी सतर्कता विभाग की वर्ष १९६१ की वार्षिक रिपोर्ट में दी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनैतिक पण्य दमन अधिनियम

†६५४. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ में दिल्ली में अनैतिक पण्य दमन अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को दण्ड दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : ४२ व्यक्ति ।

मद्रास संग्रहालय में स्पिट्ज़ प्लेनेटेरियम[1]

†६५५. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मद्रास संग्रहालय में स्पिट्ज़ प्लेनेटेरियम आरम्भ करने के लिए मद्रास सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निश्चय किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

औद्योगिक डिजाइन प्रशिक्षण केन्द्र

†६५६. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि इस देश में औद्योगिक डिजाइन प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के बारे में सरकार को मंत्रणा देने के लिये इंगलैंड से एक औद्योगिक डिजाइन विशेषज्ञ बुलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्या मुख्य सिफारिशें हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी हां । इस विषय में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत एक प्रसिद्ध बृटिश औद्योगिक डिजाइन विशेषज्ञ सर गौर्डन रसल की सेवाएं प्राप्त की गई थीं ।

(ख) उनकी मुख्य सिफारिशें ये हैं कि प्रशिक्षण केन्द्र तभी आरम्भ किये जायें जब इस कार्य के लिये अध्यापक उपलब्ध हो जायें । उन का उचित ढंग से क्रम बनाया जाये ताकि एक वर्ष में एक से अधिक केन्द्र न खोले जायें । दोहरे प्रयत्न को हटाने के लिये प्रत्येक केन्द्र में स्थानीय आवश्यकताओं सम्बन्धी कुछ उद्योगों का विशेषीकरण हो । केन्द्र के प्रमुख को आधुनिकतम विकास का ज्ञान प्राप्त करने के लिये कम से कम छः महीनों के लिये विदेश भेजा जाये ।

इंगलिस्तान की औद्योगिक डिजाइन परिषद् के नमूने का एक राष्ट्रीय संगठन समन्वय करने के लिये स्थापित किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Spitz Planetarium.

कला क्रय समिति[1]

†६५७. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई कला क्रय समिति बना ली है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) दो कला क्रय समितियां हैं, एक राष्ट्रीय संग्रहालय के लिये, दूसरी राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के लिये ।

(ख) इन संस्थाओं के लिये कला सम्बन्धी वस्तुओं को खरीदने के लिये सरकार को सिफारिशें करना ।

आर्थिक तथा सांख्यिकीय सेवा

†६५८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ अप्रैल, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक तथा सांख्यिकी सेवाओं के लिये चुनाव किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या वरिष्ठता आदि सम्बन्धी नियम बनाये जा चुके हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रारम्भ में स्थापना पर भारतीय आर्थिक तथा सांख्यिकी सेवाओं में नियुक्ति के योग्य विभागीय अभ्यर्थियों के ब्यौरे संघ लोक सेवा आयोग को हाल ही में भेजे गये हैं और चुनाव करने में आयोग को कुछ समय लगेगा ।

(ग) इन दोनों सेवाओं में नियुक्त होने वाले अफसरों की वरिष्ठता का विनियम करने के नियम, सेवाओं में नियुक्तियां होने के पश्चात् बनाये जायेंगे । प्रारम्भिक स्थापना पर इन सेवाओं में नियुक्त होने वाले अफसरों के वेतन निश्चित करने के लिये नियम बनाने का प्रश्न विचाराधीन है । अन्य नियम गज़ट आफ इंडिया, असाधारण, दिनांक १ नवम्बर, १९६२ को प्रकाशित किये जा चुके हैं ।

विश्वविद्यालय परीक्षाओं संबंधी समिति

†६५९. **श्री उमा नाथ :**
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालय परीक्षाओं सम्बन्धी समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों एवं राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों और विश्वविद्यालयों ने अपने विचार भेजे हैं और उनके विचार क्या हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Art Purchase Committee.

(ग) किन किन विश्वविद्यालयों ने किन किन सिफारिशों को कार्यान्वित किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). परीक्षा सुधार सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केवल विश्वविद्यालयों को उन के मतों के लिये भेजी गई है। अभी तक केवल आठ विश्वविद्यालयों ने मत भेजे हैं :—

(१) एम० एस० यूनिवर्सिटी, बड़ौदा
(२) पटना ,,
(३) कलकत्ता ,,
(४) दिल्ली ,,
(५) इलाहाबाद ,,
(६) केरल ,,
(७) रुड़की ,,
(८) एस० वी० विद्यालय

वे सामान्यतया समिति की सिफारिशों से सहमत हैं।

(ग) उपकुलपतियों ने ११ से १३ अक्तूबर, १९६२ तक नई दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में सामान्यतया समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, केवल उन को छोड़कर जो (१) स्कूल छोड़ने की परीक्षा में दो अतिरिक्त पर्चे लगाने, (२) उनके लगाने की वर्तमान पद्धति को बदलने, तथा परीक्षा फल घोषित करने में विलम्ब से सम्बन्ध रखती थीं। सिफारिशों को कार्यान्वित करने में कुछ समय लगेगा।

दिल्ली में पुलिस गश्त पद्धति

†६६०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली में लन्दन की पद्धति के समान एक नवीन 'बीट' पद्धति जारी की गई है, जिसके अधीन पुलिस की गश्ती टुकड़ियां एक घंटे के पश्चात् राजधानी के प्रत्येक भाग में घूमेंगी;

(ख) यदि हां, तो इस पद्धति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) किन कारणों से सरकार ने राजधानी में नवीन पद्धति को चालू किया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होता।

सबरूम (त्रिपुरा) के आदिमजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

†६६१. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सबरूम आदिम जाति बोर्डिंग हाउस के आदिम जाति विद्यार्थियों को दी गई मासिक छात्रवृत्तियां उन को नियमित रूप से नहीं दी जातीं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार प्रति मास नियमित रूप से इन का भुगतान करने के लिये क्या उपाय करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां, किन्तु कभी कभी ही ऐसा होता है।

(ख) बिलों की प्राप्ति में कभी कभी विलम्ब होने तथा उनकी जांच में कुछ विलम्ब होने के कारण।

(ग) प्रशासन ने उस महीने से पहले ही बिलों की जांच करना आरम्भ कर दिया है, जिस महीने में छात्रवृत्ति देनी होती है।

मनजास (त्रिपुरा) की सीमाओं का पुनर्सीमांकन

†६६२. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में त्रिपुरा में मनजास की सीमाओं का पुनवर्गीकरण या पुनर्सीमांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिपुरा के आदिमजाति रक्षित क्षेत्र उन्हीं एकांशों में बनाये जाते हैं अथवा विभाजित किये जाते हैं और मापगाओं में शामिल किये जाते हैं जिन में गैररक्षित क्षेत्र भी आते हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार त्रिपुरा के आदिमजाति रक्षित क्षेत्र की सघनता को कायम रखने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां।

(ख) आदिम जाति रक्षित क्षेत्र के गांवों का भी सीमांकन, अन्यत्र गांवों की सीमाओं के सीमांकन पर लागू होने वाले सिद्धान्तों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) एक गांव की भूगौलिक सीमाएं निर्धारित करने का आदिमजाति रक्षित क्षेत्रों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो बिल्कुल ठीक रहते हैं।

आदिमजाति लोगों से गैर-आदिमजाति लोगों को भूमि का हस्तांतरण

†६६३. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि आदिम जाति लोगों से गैर आदिमजाति लोगों को भूमि के हस्तांतरण या सरकार द्वारा हस्तांतरण के द्वारा अथवा अन्यथा, त्रिपुरा के महाराज द्वारा घोषित "आदिमजाति रक्षित" के प्रारम्भ के पश्चात् त्रिपुरा के आदिमजाति रक्षित क्षेत्र में गैर आदिम लोग आ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन भूमियों के सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खोवाई में आदिम जाति छात्रों के लिये होस्टल

†६६४. **श्री दशरथ देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खोवाई की आदिम जाति छात्राओं के लिये होस्टल की व्यवस्था करने के लिये कोई कारवाई की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उन के लिये कब होस्टल सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) महिला विद्यार्थियों के लिये एक होस्टल, खोवाई के लड़कों के वर्तमान स्कूल की चार दीवारी में बनाया जा चुका है । इस होस्टल में निवास तब किया जायेगा जब लड़कों का स्कूल दूसरे स्थान पर बदल दिया जायगा ।

ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्

†६६५. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद को तोड़ने का विचार करती है ;

(ख) यदि हां, तो हमारे शिक्षा के लिये ग्रामीण संस्थाओं के भावी विकास की देखभाल करने के लिये क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किया जा रहा है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में विश्वविद्यालय आयोग से परामर्श किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) और (ख). ग्रामीण शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद के स्थान पर एक स्वायत्त शासी संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है । तथापि अब परीक्षाओं का एक स्वायत्त शासी बोर्ड बनाने का निर्णय किया गया है । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति

६६६. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या गृह-कार्य मंत्री ९ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५४८ और ८ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति की जो सिफारिशें विचाराधीन थीं, उनके बारे में क्या निश्चय किया गया है ;

(ख) उस समिति ने विगत ४ व ५ सितम्बर, १९६१ को जो सिफारिश संख्या ६ की थी, उसके अनुसार नियुक्त की गई छोटी विभागीय समिति ने क्या अपना कार्य पूरा कर लिया हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस छोटी समिति ने औषधियां, श्रंगार व अन्य वस्तुओं का नशे के लिये दुरुपयोग रोकने के बारे में किस प्रकार की सिफारिशें की हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० के उत्तर में कहा गया था, ४, ६, ७, ९, १० और ११ सिफारिशों को लागू कर दिया गया है । जहां तक गांजे के अनौषधिक उपयोग के निषेध से सम्बद्ध सिफारिश ५ का सम्बन्ध है राज्य सरकारों ने बहुत सी कठिनाइयों की ओर ध्यान दिलाया है जिन पर केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति अपनी अगली बैठक में विचार करेगी । १, २, ३ और ८ सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां ।

(ग) विभागीय समिति के प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसे केन्द्रीय मद्य-निषेध समिति की अगली बैठक में विचार के लिये पेश कर दिया जायेगा ।

इंडियन आयल कम्पनी का पैट्रोल डिपो

६६७. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **खान और इंधन** मंत्री २१ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा इंडियन आयल कम्पनी का एक पैट्रोल डिपो खोलने के बारे में इस बीच क्या निश्चय किया गया है ?

खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा इंडियन आयल कम्पनी को नई दिल्ली में एक पैट्रोल पम्प / फुटकर बिक्री को स्थापित करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले निर्णय की अभी कोई सूचना नहीं दी गई है ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश

†६६८. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने अगस्त १९६२ में विश्वविद्यालय के विस्तार की समस्याओं को समझने तथा विविध पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये विद्यार्थियों की भारी भीड़ की आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु उपायों का सुझाव देने के लिये एक विशेषज्ञ समिति बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की पूरक सिफारिशें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) ३ अक्तूबर, १९६१ के शिक्षा सम्बन्धी परिषद संकल्प संख्या १५८ के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एक समिति स्थापित की गई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

प्रगति विद्यालय अगरतला

†६६९. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक होस्टल बनाने या अन्य कामों के लिये आदिमजाति कल्याण निधि में से सहायक अनुदान के तौर पर प्रगति विद्यालय अगरतला (त्रिपुरा) को कुल कितनी राशि अभी तक दी गई है ;

(ख) इस समय इस होस्टल में कितने आदिमजाति विद्यार्थी रह रहे हैं ; और

(ग) होस्टल में आदिम जाति विद्यार्थियों को क्या सुविधायें और विशेषाधिकार दिये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) १५,००० रुपये ।

(ख) ६ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) होस्टल में उपलब्ध साधारण सुविधाओं के अतिरिक्त, वृत्तियां और पुस्तक अनुदान योग्य विद्यार्थियों को दिये जाते हैं ।

पोर्ट ब्लेयर में टुब्बिमन का नाश

†६७०. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिटुमन के बहुत से ढोल, पोर्ट ब्लेयर में दियासलाई फैक्टरी मैनेजर के बंगले के सामने अबरडीन-हड्डो सड़क पर बहुत दिनों से वर्षा और धूप में खुले पड़े हैं ;

(ख) क्या उनमें से अधिकतर को ज़ंग ने खा लिया है और व चू रहे हैं ;

(ग) क्या अकेला भाड़ा कई हजार रुपये हो जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस नाश के लिये उत्तरदायी कौन है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क). बिटुमन के लगभग २७०२ ढोल इन द्वीपों में सड़क आदि बनाने के लिये जमा किये हुये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) किराया लगभग ३९,७५० रुपये है ।

(घ) केवल ८० ढोल थोड़े बहुत चू रहे हैं । जो बिटुमन निकलती है उसे इकट्ठा करके प्रयोग में लाया जाता है । बहुत कम बिटुमन का नाश हुआ है अतः उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

केन नदी (बांदा) में पत्थर

†६७१. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन नदी (बांदा) में सोना और चांदी के आभूषणों के निर्माण में प्रयोग होने वाले बढ़िया किस्म के पत्थर बड़ी संख्या में मिलते हैं ; और

(ख) क्या सरकार वाणिज्यक उद्देश्य के लिय इन पत्थरों की संभव्यिता का पता लगान के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का विचार करती है ?

†**खान और इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस):** (क) और (ख). रोगेटस जिनको स्थानीय तौर पर "बांदा पत्थर" कहा जाता है, बांदा जिला में केन नदी की घाटी में छोटे पत्थरों के रूप में मिलते हैं । ये पत्थर उस नदी के ऊपर के भागों वाली दक्कन की पहाड़ियों के टूटने फूटने से बनते हैं । क्योंकि ये सीमित आर्थिक उपयोग वाले अर्ध-बहुमूल्य पत्थर हैं, कोई विस्तृत खोज करना आवश्यक नहीं समझा जाता ।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

†६७२. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग ने जिन वेतन क्रमों की सिफारिश की है क्या उनमें से कुछ वेतन क्रमों को सरकार बदलने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह परिवर्तन इधर की ओर होगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो किन किन श्रेणियों में ; और

(घ) अंतिम आदेश संभवतः कब जारी किये जायेंगे ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) से (घ). खासकर भारत का सवक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिये वेतन आयोग ने कोई वेतन क्रमों की सिफारिश नहीं की थी। फिर भी सरकार उस विभाग के विभिन्न श्रणियों के कर्मचारियों के वेतनक्रम बढ़ाने की योजना पर विचार कर रही है और उस पर निश्चय करने में संभवतः कुछ समय लगेगा।

एम० बी० बी० कालेज, त्रिपुरा

†६७३. **श्री बीरेन दत्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के एम० बी० बी० कालेज में एल० एल० बी० और एम० ए० की कक्षायें खोलने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन के विषय में क्या निश्चय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) कलकत्ता विश्व विद्यालय के परामर्श से इस विषय पर विचार किया जा रहा है।

त्रिपुरा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये बोर्डिंग हाउस छात्रवृत्तियां

†६७४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गैरसरकारी प्रबन्ध के अधीन, त्रिपुरा के हायर सेंकेडरी स्कूलों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को बोर्डिंग हाउस छात्रवृत्तियां देने के लिये उन्हें धन दिया जाये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी प्रबन्ध के अधीन जो स्कूल हैं वे अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अनेक छात्रों को स्थान नहीं दे सकते ; और

(ग) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी प्रबन्ध के अधीन उन स्कूलों को उपयुक्त प्रयोजन के लिये धन देने का सरकार का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल और कोयले के विकास के लिये रूसी सहयोग

†६७५. **श्री यल्लामंदा रेड्डी** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और कोयले के विकास के सम्बन्ध में और अधिक भारत-रूस सहयोग की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) और (ख). कोयले के सम्बन्ध में, उन परियोजनाओं को छोड़कर जिनपर पहले से ही सहमति प्राप्त हो चुकी है ; अर्थात् खुले मुंहवाली

†मूल अंग्रेजी में

दो खानें, एक भूमिगत खान, कोरबा में एक वर्कशाप और कथारा में एक कोयला धुलाई कारखाना, तीसरी योजना की अवधि में रूसी सहायता से कोई विशिष्ट परियोजना स्थापित नहीं की जानी है।

तेल विकास कार्य-क्रम के सम्बन्ध में भी फिलहाल कोई योजना नहीं है।

बालोपयोगी पुस्तकें

†६७६. **श्री वारियर :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन बालोपयोगी पुस्तकों को प्रकाशित और वितरित करने के लिए, जिन्हें बाल साहित्य समिति ने पुरस्कार के लिए चुना है, कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या परिणाम निकला?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). बाल साहित्य की राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता योजना के अधीन भारत सरकार पुरस्कार विजेता पांडुलिपियों का प्रकाशन नहीं करती। फिर भी वह पुरस्कार विजेता मुद्रित पुस्तकों (और प्रकाशित होने पर पांडुलिपियों) में से प्रत्येक की अधिक से अधिक २,००० प्रतियां संबंधित राज्य सरकारों के जरिये स्कूलों, बच्चों के पुस्तकालयों आदि में बांटने के लिए खरीदती है।

विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना

†६७७. **श्री वारियर :** क्या शिक्षा मंत्री सभा पटल पर एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे कि जिसमें यह बताया गया हो कि १९५९–६० के बाद प्रत्येक वर्ष विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना के अधीन प्रत्येक राज्य से कितने–कितने उम्मीदवार चुने गये?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :**

राज्य का नाम	चुने गये उम्मीदवारों की संख्या	
	१९५९–६०	१९६०–६१
१. जम्मू और काश्मीर	१	–
२. केरल	१	–
३. मद्रास	१	१
४. महाराष्ट्र	३	–
५. पंजाब	१	४
६. उत्तर प्रदेश	४	१
७. पश्चिम बंगाल	–	२
८. दिल्ली	२	२
कुल	१३	१०

१९६१–६२ में और १९६२–६३ में अभी तक कोई छात्रवृत्तियां नहीं दी गयी हैं।

†मूल अंग्रेजी में

रुद्र सागर कुएं में तेल की पाइप लाईन से रिसाव

†६७८ **श्री घोष :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुद्रसागर कूप संख्या ४ में कुछ समय पहले केसिंग पाइप से रिसाव पाया गया था;

(ख) यदि हां तो उनका कारण क्या है ;

(ग) क्या इस कारण उत्पादन परीक्षण कार्य में रुकावट पड़ गयी थी; और

(घ) इस रिसाव के कारण और कितना रुपया और समय खर्च करना पड़ा?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). जी नहीं । केसिंग पाइपों से कोई रिसाव नहीं होता था। फिर भी सीमेन्ट ठीक से न लगाये जाने के कारण कुछ रिसाव केसिंग पाइपों के पीछे के सीमेन्ट से होता था।

(ग) करीब तीन महीनों की अवधि के लिए उत्पादन परीक्षण रुक गया था।

(घ) इस कारण अतिरिक्त व्यय अभी निकाला नहीं गया है।

विश्व प्रजेता प्रतियोगिता क लिये बिलियर्ड्स टीम

†६७९. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिलियर्डस असोसियेशन नियंत्रण परिषद् ने विश्व प्रजेता प्रतियोगिता में भा लेने के लिए एक भारतीय टीम को आस्ट्रेलिया भेजने के लिए सरकार की अनुमति मांगी थी;

(ख) उसमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी;

(ग) उस टीम में कौन कौन थे; और

(घ) विश्व प्रतियोगिता में भारत के सहयोग और दौरे का क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां।

(ख) सरकार ने १,०४० रुपये के बराबर रकम दी थी।

(ग) विलसन जोन्स और एस० एन० बनर्जी ।

(घ) एस० एन० बनर्जी ने भूतपूर्व विश्व प्रजेता टीम क्लिअरी को और न्यूजीलैंड तथा पाकिस्तान को भी हराया। विलसन जोन्स फाइनल में पहुँच गये थे लेकिन आस्ट्रेलिया के बॉब मार्शल ने उन्हें हरा दिया।

भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रशिक्षण

†६८०. **श्री प्र० के० देव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार से यह कहा गया है कि वह भारतीय बैटसमैन को प्रशिक्षण देने के लिए वेस्ट इंडीज पेस बाउलर्स को बुलाने की अनुमति भारत क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड को दे;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वेस्ट इंडीज पेस बाउलर्स को किन शर्तों पर बुलाया जा रहा है; और

(ग) भारत आने का निमंत्रण किस किस ने स्वीकार कर लिया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां। अनुमति दे दी गयी है।

(ख) भारत के क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने हर खिलाड़ी पर निम्नलिखित खर्च उठाना मंजूर कर लिया है :—

(१) १५–१०–१९६२ से पांच महीने के लिए १०० पौंड प्रतिमास;

(२) भारत में पांच महीने तक उनके निवास के दौरान खाना और रहना; और

(३) इकोनामी क्लास से आने जाने का विमान भाड़ा ;

(ग) मेसर्स राय गिलक्रिस्ट, एस० सी० स्टेयर्स, सी० वाटसन और एल० किंग।

संघ लोक सेवा आयोग

†**६८१. श्री कृष्णपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है ;

(ख) उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है ;

(ग) प्रत्येक का वेतन कितना है; और

(घ) कितने सदस्य देहाती इलाकों के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अध्यक्ष सहित नौ सदस्यों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले में इस समय संघ लोकसेवा आयोग के सदस्यों की वास्तविक संख्या आठ है।

(ख) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद ३१६ के उपबन्धों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

(ग) अध्यक्ष को ४००० रुपये मासिक वेतन मिलता है। एक सदस्य को ३,५०० रुपये मासिक वेतन मिलता है क्योंकि आयोग में नियुक्ति के समय वह आई० सी० एस० अफसर था। बाकी तीन सदस्यों में से प्रत्येक को ३००० रुपया माहवार मिलता है जबकि बाकी सदस्यों को उनकी पेन्शन की रकम घटाकर ३००० रुपया माहवार मिलता है।

(घ) कोई नहीं।

अंदमान में बंगला की पढ़ाई

†**६८२. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान में जहां प्रायः सभी बच्चों की मातृभाषा बंगला है उन्हें हाई स्कूलों में उस भाषा में पढ़ने लिखने की अनुमति नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हाई स्कूलों में बांगला सिखाने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). माध्यमिक कक्षाओं में कुल २५५ छात्रों में से केवल २७ छात्रों की मातृभाषा बंगला है और किसी भी कक्षा में बंगला-भाषी छात्रों की संख्या १५ या उससे अधिक नहीं है जो अगस्त, १९६१ में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में जारी किये गये विवरण के अधीन न्यूनतम आवश्यकता है।

आदिम जाति खंडों और क्षेत्रों में कर्मचारी

†६८३. **श्रीमती रेणुका राय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिम जाति खंडों और अन्य आदिम जाति क्षेत्रों में जो लोग नियुक्त हैं उनके लिए अलग प्रशिक्षण और सेवा की शर्तें बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : तीसरी पंचवर्षीय योजाना में आदिम जाति विकास खंड योजना सहित अनुसूचित आदिम जाति कल्याण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने और उनके प्रशासन का उत्तरदायित्व उन उन राज्यों पर है। गृह-कार्य मंत्रालय अनुसूचित आदिम जातियों के लाभ के लिए कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देता है। आदिम जाति क्षेत्रों में काम करने वाले लोग उस उस राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं और वे उनके द्वारा निर्धारित सेवा-शर्तों के अनुसार प्रशासित होते हैं। इसलिए भारत सरकार का इस संबंध में कोई शर्तें निर्धारित करने का विचार नहीं है।

रांची में एक आदिमजाति स्थिति ज्ञान और अध्ययन केन्द्र आदिम जाति विकास खंडों में काम करने वाले खंड विकास पदाधिकारियों, कृषि विस्तार पदाधिकारियों, सामाजिक शिक्षा संगठन कर्त्ताओं और मुख्य सेविकाओं को आदिम जाति स्थिति ज्ञान विषयक प्रशिक्षण देने के लिए काम कर रहा है। एक दूसरा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। प्रत्येक राज्य संघीय राज्य क्षेत्र के आदिम जाति क्षेत्रों में या उनके आसपास स्थित उपयुक्त प्रशिक्षण केन्द्रों में, आदिम जाति विकास खंडों में काम करने के लिए, ग्राम सेवकों और ग्राम सेविकाओं के विशेष प्रशिक्षण के लिए भी व्यवस्था की गयीहै।

त्रिपुरा में भस्मसात् बाजार

†६८४. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० से १९६२ तक प्रत्येक वर्ष त्रिपुरा के कितने बाजार आकस्मिक अग्निकांड में जलकर राख हो गये ;

(ख) इन दुर्घटनाओं से कुल कितना नुक्सान हुआ ; और

(ग) क्या अग्निकांडों से बाजारों को बचाने के लिये त्रिपुरा के सभी शहरों में फायर ब्रिगेड कायम किये जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : **(क) त्रिपुरा में आग से जल गये बाजारों की संख्या :—**

१९६०	१९६१	१९६२
१३	९	९

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कुल हानि

१९६०	१९६१	१९६२	कुल
रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
७,१४,०००	३,४४,०००	२,२५,०००	१२,८३,०००

(ग) त्रिपुरा में अर्थात् अगरतल्ला, उदयपुर और धरमनगर में फिलहाल तीन फायर सर्विस यूनिट हैं। कैलाशशहर, खोवाई और बेलोनिया में एक-एक फायर सर्विस चालू करने की योजनाओं की अभी छान बीन की जा रही है।

दिल्ली के स्कूलों में फ़ीस

६८५. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :

क्या **शिक्षा** मंत्री ६ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के छात्रों से अनधिकृत रूप से जो फीस वसूल करने की शिकायतें थीं उनकी जांच हो गई है ; और

(ख) इस विषय में आगे और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई जांच के परिणामस्वरूप जहां यह पाया गया है कि अनधिकृत रूप से फीस वसूल की गई है, तो इस प्रकार से वसूल किये गये धन को स्कूल को मिलने वाले सहायक अनुदान के हिसाब में सम्मिलित कर लिया गया है।

भारत में रूमानिया के तेल-विशेषज्ञ

†६८६. **श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूमानिया के तेल-विशेषज्ञों का एक दल रूमानिया में बने छिद्रण उपकरणों से कुएं खोदने के लिये भारत आया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कुएं किन किन जगहों पर खोदे जायेंगे ;

(ग) क्या इससे पहले रूमानिया के तेल विशेषज्ञों ने कोई सर्वेक्षण किया था ; और

(घ) वे कहां तक सफल हुए हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) गुजरात राज्य में अहमदाबाद के पास कलोल में और भडोच के पास अंकलेश्वर में।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिन्दी में पत्रव्यवहार

†६८७. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय किया है कि हिन्दी भाषी राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच पत्रव्यवहार की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा भविष्य में हिन्दी होगी; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू होगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). जिन राज्यों ने हिन्दी को अपनी राजकीय भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है उनके साथ पत्र व्यवहार के लिये अंग्रजी के साथ साथ हिन्दी के प्रयोग की अनुमति पहले ही संविधान (राजकीय प्रयोजनों के लिये हिन्दी भाषा) आयोग, १९५५ में (प्रति संलग्न है) दी जा चुकी है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]**

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां

†६८८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में अब तक पंजाब राज्य के अनुसूचित जातियों के छात्रों को केन्द्रीय सरकार की कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी जा चुकी हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : २४४५ ।

चीनियों की जासूसी कार्रवाईयां

†६८९. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी राष्ट्रजन और एजेन्ट खासकर कलकत्ता, गंगटोक और उत्तर भारत के सीमावर्त्ती प्रदेशों में बड़े पैमाने पर गुप्त रूप से जासूसी कामकाज में लगे हुए हैं ;

(ख) भारत की सीमावर्त्ती चौकियों पर चीनी हमले के बाद ऐसे कितने मामले सरकार की नजर में आये हैं ; और

(ग) यह खतरा दूर करने के लिये क्या कोई प्रभावी उपाय किये गये हैं या किये जाने वाले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (ग). सरकार स्थिति के बारे में पूरी तरह सावधान है । जो भी मामले नजर में आये हैं उन में उचित कार्यवाही की जा रही है ।

इंडियन आयल कम्पनी

†६९०. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **खान और खनिज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सिन्धी वाणिज्य और उद्योग मंडल द्वारा मैसूर के मुख्य मंत्री को लिखे गये उस पत्र की ओर दिलाया गया है जिस में इंडियन आयल कम्पनी के प्रशासन विभाग पर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजा वाद और पक्षपात के गहरे आरोप लगाये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन आरोपों की जांच की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जांच से यह पता लगा की आरोप अस्पष्ट हैं और वे सच नहीं हैं ।

हैदराबाद में राष्ट्रीय भू-भौतिकी संस्था

†६९१. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने हैदराबाद में राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था का दशवर्षीय कार्यक्रम स्वीकार किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह संभवतः कब आरम्भ किया जायेगा ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये कुल कितनी रकम मंजूर की गयी है ; और

(घ) दशवर्षीय कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) उप-कुलपति की सद्भावना से उस्मानिया विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं में अनुसंधान कार्य पहले ही आरम्भ किया जा चुका है ।

(ग) तीसरी योजना की अवधि में ५० लाख रुपये ।

(घ) अनुसंधान निम्नलिखित पांच डिविजनों में संगठित और संचालित किया जायेगा :—

(१) ग्रैवेटी एण्ड मैग्नेटिक्स

(२) इंलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोमैग्नटिक्स

(३) सीस्मोलोजी एण्ड सीस्मीक क्रस्टलस्टडीज

(४) फीजीकल प्रापरटीज

(५) जिओक्रानोलोजी, जिओकेमिस्ट्री एण्ड ट्रोलोजी ओशोनोग्राफी रिसर्च विंग भी कोचीन से संगठित किया जा रहा है ।

गांधी दर्शन

†६९२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक सरकारी योजना के अधीन कुमारी मनुबेन ने गांधी दर्शन के विकास के लिय स्कूलों में भाषण-दौरे किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के दौरान उस ने अब तक कितने स्कूलों का दौरा किया और वे कौन कौन से स्कूल हैं ; और

(ग) इस योजना के अधीन अब तक कुल कितना व्यय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विभिन्न राज्य/संघीय राज्यक्षेत्रों में कुमारी गांधी के भाषण दौरों पर अभी तक १२,३८० रुपया खर्च किया गया है ।

पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†६९३. **श्री सिद्धय्या :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में १९६२–६३ में मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां देने के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कितने छात्रों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में अब तक उनमें से कितने छात्रों को छात्र वृत्तियां दी गयी हैं ; और

(ग) सभी छात्रवृत्तियों का फैसला कब तक हो जायगा ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :

अनुसूचित जातियां :	२,९५०
अनुसूचित आदिम जातियां :	२७
अन्य पिछड़े वर्ग :	२,५६४

(ख)

अनुसूचित जातियां :	१,१९८
अनुसूचित आदिम जातियां :	२४
अन्य पिछड़े वर्ग	५,१८

(ग) अनुसूचित जातियां––

३० नवम्बर, १९६२ तक सभी आवेदन पत्रों का फैसला हो जायेगा ।

अनुसूचित आदिम जातियां––

सभी आवेदन पत्रों का फैसला हो चुका है ।

अन्य पिछड़े वर्ग––

'नवीकरण' के सभी मामले तय हो चुके हैं । नये मामले उस समय तय किये जायेंगे जब कि राज्य सरकार अन्य पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर लेगी ।

मैसूर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को विधि विधेयक सहायता

†६९४. **श्री सिद्धय्या :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ में अब तक मैसूर सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को विधि विषयक कोई सहायता दी है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी रकम खर्च की गयी है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). जानकारी मैसूर सरकार से मंगायी गयी है । जब जानकारी उपलब्ध हो जायगी तब एक विवरण सभा पटल रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोठागुडम में कोयले के निक्षेप

†६९५. **श्री इ० मधुसूदन रावः** क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में कोठागुदम के पास अभी हाल में कोयले के कुछ नये निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) इस नये स्थल से कुल कितना कोयला निकाला जायेगा ; और

(ग) कोयला निकालने की लागत कितनी होगी ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) एक बड़े दोष के कारण जहां पहले काम रोक दिया गया था, उस लाइन के आगे किये गये भू-छिद्रण कार्य से १२०० से १४०० फुट की गहराई तक कोयले की दो परतों का पता लगा है और आगे भी छिद्रण कार्य किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). निक्षेपों का अनुमान लगाने से पहले और छिद्रों की आवश्यकता होती है । कोयला निकालने के खर्च का अनुमान भी उसी समय लगाया जा सकता है जब कि खोजबीन का काम पूरा हो चुका हो ।

दिल्ली में भाषाएं

†६९६. **श्री अ० सिं० सहगल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में हिन्दी-पंजाबी-उर्दू बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं ; और

(ख) क्या पंजाबी दिल्ली की एक प्रादेशिक भाषा मान ली गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । १९६१ की जनगणना में अलग से इन भाषाओं के लिए आंकड़े तैयार नहीं किय गये थे और भाषा के सम्बन्ध में १९६१ की जनगणना की सारणियां अभी तक तैयार नहीं की गयी हैं ।

ख) दिल्ली प्रशासन से कहा गया है कि दिल्ली में प्रयुक्त सभी भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन दिया जाये । इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय का पत्र संख्या १३/१/५७-ओ एल दिनांक ३० जुलाई, १९५८ की ओर ध्यान दिलाया जाता है । इसकी प्रति २९ सितम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रख दी गयी थी ।

नजफगढ़ सड़क पर आग लगने की दुर्घटना

†६९७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री कमलनयन बजाज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ नवम्बर, १९६२ को दिल्ली में नजफगढ़ रोड़ पर आग लग जाने से छः कारखाने जल कर नष्ट हो गये ; और

(ख) यदि हां, तो आग लगने के क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). ११ नवम्बर, १९६२ को दिल्ली के नजफगढ़ सड़क पर जो आग लगी थी उसमें वे सभी इमारतें जल् गई थीं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के आठ उद्योग चल रहे थे। अनेक मशीनें, लेथ, बेल्ट ड्राइव द्वारा चलने वाले विद्युत प्रेषण आदि भी जल गये थे। जांच पड़ताल से आग का निश्चित कारण नहीं पता लग सका। आग शायद बिजली के शार्ट सर्किट के कारण लग गयी थी।

चीनियों द्वारा युद्ध विराम के कथित प्रस्ताव के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं आपको और सभा को अपने नये प्रतिरक्षा मंत्री श्री यशवन्त राव चौहान का परिचय दे दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में उनका हार्दिक स्वागत किया है। मैं भी अपनी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : रेडियो प्रसारणों से पता चलता है कि चीन सरकार ने घोषणा की है कि वे २१/२२ नवम्बर को आधी रात से युद्ध विराम कर देंगे और पहली दिसम्बर से वर्तमान स्थिति से अपनी सेना को पीछे हटाना आरम्भ कर देंगे। यह एकतरफी घोषणा है। अभी तक सरकारी तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है।ज योंही चीन सरकार से सरकारी सन्देश मिलेगा, हम पूर्ण रूप से उस पर विचार करेंगे। तब तक चीनी प्रस्तावनाओं पर मैं अपनी राय नहीं दूंगा। बातचीत के बारे में जिस स्थिति की हमने पहले घोषणा की है वही है अर्थात् ८ सितम्बर १९६२ से पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए। हम मित्र देशों से सहायता लेते रहा करेंगे और अपने देश की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने और आर्थिक शक्ति को प्रबल बनाने की कोशिश करते रहेंगे।

हम उन मित्र देशों जिन्होंने कठिनाई के समय हमें सहायता, सहानुभूति और अपने समर्थन की पेशकश की है आभारी हैं।

हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है और हम इसे दोहराते हैं कि किसी भी दिशा में किसी के क्षेत्र पर कब्जा करने की हमारी इच्छा नहीं है और हमारा ध्येय अपने पड़ौसियों के साथ शान्ति से रहना है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : चीन ने युद्ध विराम की घोषणा की है और उस सम्बध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया है, वह भी प्रधान मंत्री जी ने बताई है। क्या इन तमाम बातों को देखते हुए यह संभव प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में आप इस प्रकार की भी कोई योजना बनायेंगे कि जिस आधार पर कुछ मध्यस्थ देशों द्वारा समझौते के प्रयास किए जा रहे थे, उनको आगे बढ़ाया जाए अथवा आप तैयारियों को जिस स्तर पर वे चल रही थीं, उसी स्तर पर बराबर बनाये रखेंगे

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे दिया गया है।

†**श्री हरि विष्णु कामत (हौशंगाबाद)** : चीनी सरकार अपने धोखे की नीति में बहुत होशियार है। जब स्थिति अभी खराब है तो संसद का अधिवेशन जारी रहना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

पहले प्रधान मंत्री ने बातचीत के लिये ८ सितम्बर तक की स्थिति की शर्त रखी थी। अब उन्होंने अपने देश के नाम संदेश में यह कहा है कि कोई बातचीत नहीं की जायेगी जब तक कि चीनियों को देश से निकाला नहीं जाता। आशा है कि प्रधान मंत्री संसद् को आश्वासन देंगे कि वे उस नीति पर डटे रहेंगे।

मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि जिन मित्र देशों ने हमारी सहायता की है उनकी सलाह से इस मामले में कदम उटाए जाएं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): क्या सरकार को चीनियों के सुझाव के बारे में कोई पत्र मिला है और क्या इसका विश्लेषण किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहियें जिन की जानकारी नहीं दी गई है। सदस्य अपने सुझाव दे दें या प्रतिक्रिया बता दें। उन्हें प्रधान मंत्री के वक्तव्य देने के लिये बाधित भी करना चाहिये।

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं श्री कामत से सहमत हूं कि संसद का अधिवेशन बढ़ा देना चाहिये कोई अंतिम निर्णय करने से पहिले जिन मित्र देशों ने हमारी सहायता की है उन की राय ले लेनी चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि कोई निर्णय करने से पहिले सब पहलुओं पर विचार किया जाये और सभा की भी राय ली जाये।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट चीन के रेडियों पर जो युद्ध विराम की खबर आई, उस का मेरे पर और दूसरे बहुत से लोगों के ऊपर जो असर हुआ है वह यह कि पहली बात तो यह हो सकती है कि यह धोखा हो। जान पड़ता है कि उन्होने जो समय मांगा है उस में अपनी स्थिति को मजबूत कर के वे हमें और ज्यादा परेशानी में मुब्तिला करेंगे। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि शायद यह ईमानदारी की बात हो। लेकिन दोनों सूरतों में, चाहे वह ट्रिक अथवा धोखा हो या ईमानदारी हो, हमें अब किसी तरह से अपने प्रयत्नों में रिलैक्सेन नहीं करना है। हमें पूरी यारी करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उन्होने ही कहा है।

श्री राम सेवक यादव : दूसरी बात यह कि प्रधान मंत्री के रेडियों भाषण, इस सदन के कल के बयान और आज की मौजूदा स्थिति के बाद फिर ८ सितम्बर की बात आज मेरे ऐसे लोगों को थोड़ी खटकती है।

तीसरी बात यह है कि मैं श्री कामत के सुझाव से सहमत हूं कि मौजूदा स्थिति में पार्लियामेंट का चलना नितांत आवश्यक है।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नाम निर्देशित–आंग्ल-भारतीय) : यह चीनियों के धोखा देने का एक उदाहरण है। उनकी सामरिक नीति प्रधान मंत्री जी को अच्छी तरह पता है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-केन्द्रीय) : हम ने सारी बात प्रधान मंत्री पर छोड़ी है। हमें इस प्रकार वर्ताव करना चाहिये जिस से यह स्पष्ट हो कि सारे देश में एकता है और सारा देश सरकार के पीछे है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : यदि हम संकल्प पर चर्चा देखें तो पता चलेगा कि यह कहना गलत है कि प्रत्येक बात प्रधान मंत्री पर छोड़ दी है। सारी बात तो संसद् के हाथ में है।

संसद् का गोपनीय सत्र होना चाहिये। जितना जल्दी हो उतना ही अच्छा है।

दूसरे संसद् को स्थगित नहीं करना चाहिये। इस मामले में संसद् की सलाह से काम होना चाहिये।

†**श्री बड़े** (खारगोन) : चीनियों का युद्ध विराम का और अपनी सेना को पीछे हटाने का प्रस्ताव संसार की राय को खराब करने और हमारी युद्ध कोशिशों को धीमे करने का है।

मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या युद्ध विराम के प्रस्तावों को प्रधान मंत्री ने नहीं माना है।

श्री मौर्य (अलीगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह जो सूचना पीकिंग से आयी है कि सीज फायर किया जाएगा, यदि चह सूचना सही होती तो मुझे खुशी होती। लेकिन वास्तव में यह हमारी मनोवृत्ति को जानने के लिये उनकी एक चाल की तरह से है। यह मैंने अपनी छोटी सी बुद्धि से सोचा है। अभी अभी इस सदन में उस का एक असर था। मैं सोचता हूं कि यह जो सीज फायर की सूचना है यह एक शान्तिभरे सागर की तरह है। जब सागर में शान्ति होती है तो वह बहुत बड़ी अशान्ति की सूचक होती है। ह म अभी तक जिस ताकत से तैयारी कर रहे हैं हमको उससे भी ज्यादा ताकत से तैयारी करनी चाहिये। हमें इस सूचना से आरामतलबी में नहीं पड़ना चाहिये।

साथ ही साथ मेरी एक और बिनती है कि जो हमारे बीच में इस जरा सी खबर के आने से यह असर हुआ है यह नहीं होना चाहिये। मैं सोचता हूं कि हम अपनी ही मातृभूमि में बीस किलोमीटर पीछे कैसे हट सकते हैं। यह तो समझ में आने की बात नहीं। हमें अपनी तमाम ताकतों को पूरी तरह लगाये रखना चाहिये। मालूम होता है कि यह किसी प्रैशर के अन्तर्गत हो रहा है, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इन चालों से होशियार रह कर हमें पूरी ताकत के साथ मुकाबले के लिये तैयार रहना है।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा, अभी उनके पास कोई आफिशियल सूचना पेकिंग से नहीं आयी है। मैं समझता हूं कि जब तक कोई आफिशियल सूचना न आ जाये तक तब गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन इस के बारे में होना भी नहीं चाहिये। लेकिन जैसा कि और लोगों ने भी कहा है, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमें सतर्क होना जरूरी है। चाइनीज की बात सत्य मानना बड़ा दुखद होगा क्योंकि अब तक का हमारा अनुभव बहुत विपरीत रहा है।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं आपको इजाजत दे दूंगा तो और मेम्बर भी बोलना चाहेंगे। आपकी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब बोल देंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैंने अपने कुछ समय पहले दिये गये छोटे वक्तव्य में बताया है कि हम चीनी सरकार के पत्र पर विचार करेंगे और उस पर तब राए देंगे। मैंने इस पर विचार नहीं किया है और इस के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है। कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

प्रतिक्रियाएं बनाई हैं और मैं ने उन्हें सुना है। इस प्रकार के या किसी गम्भीर विषय में सरकार को इस के सब पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ता है और फिर राए बना कर उसे कार्यान्वित करना होता है। मैं और नहीं कहना चाहता। श्री कामत ने मेरे संदेश का जिक्र किया जैसा कि मैंने जो सदन को यहां बताया है और राष्ट्र के नाम सन्देश में बताया है उनमें कुछ अन्तर है। हम ने काफी विचार के बाद कुछ समय पहले कहा कि ८ सितम्बर से पहले की स्थिति बहाल कर दी जाए। हम सदैव उस पर डटे रहे हैं और अब भी उसी को ठीक मानते हैं।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : ८ सितम्बर ? भारत के लोग ऐसा नहीं चाहते। मुख्य संकल्प में उन्हों ने ऐसा नहीं कहा।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले के सम्बन्ध में हमारी जो स्थिति रही है मैं उसे ही बता रहा हूं। हर २४ घण्टे के बाद हम उसे नहीं बदलते। यह बड़ी अच्छी और मजबूत स्थिति है और जैसा मैं ने पहले कहा है जब तक वह स्थिति बहाल नहीं हो जाती हम बातचीत नहीं करना चाहते। बातचीत की कई अवस्थाये हंगी और जब बातचीत होगी तो पहली अवस्था में इस बात पर विचार होगा कि बातचीत करने के लिये परिस्थितियां कैसे बनाई जाएं।

एक दो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि चीनी सरकार को उत्तर भेजने से पहले हमें उस पर यहां विचार करना चाहिये। यह बड़ी अजीब प्रक्रिया है। यहां तो सामान्य सिद्धान्तों पर विचार किया जाता है और सभा जो भी फैसला करे हम उस के अनुसार चलते हैं। सरकारों के आपस के पत्र व्यवहार पर चर्चा करना बहुत असामान्य बात है। ऐसा करना अवांछनीय है और हानिकारक है। हम इस प्रकार सरकारों के साथ बातचीत नहीं कर सकते।

चौथे, एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि संसद् का सत्र बढ़ा दिया जाए। इस बात का आपने और सदन ने निर्णय करना है। इस में मुझे कुछ नहीं कहना है। चीन सरकार से जो पत्र आता है हम ने उस पर केवल ध्यानपूर्वक विचार ही नहीं करना है, परन्न अपनी राए बनाने से पहले देखना है कि वे उसे कैसे कार्यान्वित करते है। उन के अनुसार भी विराम युद्ध जो आज रात से होगा उसे के अतिरिक्त—वे पहली दिसम्बर से पीछे हटना आरम्भ करेंगे। अतः वे क्या करते हैं इसे देखने में कुछ समय लगेगा। यह संसद् का सत्र कुछ दिन बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : जो संकल्प सभा ने मंजूर किया उस में ८ सितम्बर की लाइन का कोई जिक्र नहीं है।

डा० गोविन्द दास : मैं एक बात कहना चाहता हूं जो अभी तक किसी ने नहीं कही है। इसके लिये मुझे एक मिनट का समय दिया जाए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर जितने भाषण हुये उन भाषणों में और श्री हीरेन मुखर्जी के भाषण में कितना फर्क है इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिये। हमारे देश के अन्दर हमारे साथ कितने लोग हैं और कितने अन्दर ही अन्दर हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं उसका कुछ आभास श्री हीरेन मुखर्जी के भाषण से मिलता है। इस लिये हम को उनके दल से बहुत आगाह रहने की आवश्यकता है। मैंने पहले भी यह कहा था और आज भी कहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। यह ऐसी बातें कहने का समय नहीं है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : ये शब्द या तो वापस लिये जाएं या अभिलेखों में से हटाए जाएं।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये था। इतना ही काफी है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**खान और ईंधन मंत्रालय में मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा ३१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४४४ में प्रकाशित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५६२/६२]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (बजट और लेखे) नियम

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम १९५६ की धारा २५ की उज-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१८ में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (बजट और लेखे) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५६३।६२]

कापी राइट अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : मैं कापी राइट अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

(एक) दिनांक १८ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २६०० में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (छटा संशोधन) आदेश, १९६२।

(दो) दिनांक १८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८७८ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (सातवां संशोधन) आदेश, १९६२।

(तीन) दिनांक १८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २९४४ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (आठवां संशोधन) आदेश, १९६२।

(चार) दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३१९५ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (नवां संशोधन) आदेश, १९६२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिय संख्या एल० टी० ५६४/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न अधिवेशनों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला विवरण

†**प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री राघुरामैया)** : मैं श्री सत्यनारायण सिंह की ओर से विभिन्न सत्रों में, जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, बचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३]

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ पहला सत्र , १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७४]

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ४ सोलहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक सभा)
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७५]

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या ७ पन्द्रहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या ८, चौदहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)
[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूचि ३ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) दिनांक १९ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६७८ ।

(ख) दिनांक २६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७०२ ।

(ग) दिनांक ९ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७५५ ।

(घ) दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९९६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४३७/६२]

मैं मनीपुर लगान और भूमि सुधार एक्ट, १९६० की धारा १६९ के अन्तर्गत दिनांक २९ जून, १९६२ के मनीपुर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १४० की एक प्रति जिसमें मनीपुर लगान और भूमि सुधार (भूमि का आवंटन) नियम, १९६२ दिये हुय हैं सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५७०/६२]

मैं विदेशियों का पंजीयन एक्ट, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत छूट की निम्न-लिखित घोषणाओं की एक-एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं ।

(क) दिनांक २३ जून, १९६२ की संख्या १।१६।६२—एफ १ (२ घोषणायें)

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक २८ अगस्त, १९६२ की संख्या ६/३१/६२-एफ १ (१० घोषणायें)

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५७१/६२]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा अपनी २० नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १९ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये धातु के टोकन (संशोधन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी २० नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १९ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये पैट्रोलियम की पाइप लाइन (भूमि के प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(तीन) कि राज्य सभा अपनी २० नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १९ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये विदेशियों संबंधी विधि (लागू करना तथा संशोधन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

लोक लेखा समिति

दूसरा प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं विनियोग लेखा (डाक तथा तार), १९६०-६१ और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (डाक व तार), १९६२ के बारे में लोक लेखा समिति का दूसरा प्रतिवेदन पेश करता

सीमा शुल्क विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय:** अब हम २० नवम्बर, १९६२ को बा० रा० भगत द्वारा पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रखेंगे :—

"कि सीमाशुल्क संबंधी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।"

श्री बड़े अपना भाषण जारी रखें । उन्होंने १४ मिनट ले लिये हैं । वे और ६ मिनटों में अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय, कल मैं डिलेज के बारे में बतला रहा था कि कलक्टर्स आफिस और सैंट्रल बोर्ड औफ रेवेन्यू में अपीलेट प्रोसीडिंग्स के कम्प्लीशन में बहुत सीरियस डिलेज होती हैं । उनके बारे में बुधवार कस्टम्स रिआर्गेनाइजेशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है :—

"क्लैक्टर आफिस और सैंट्रल बोर्ड आफ रैवेन्यू दोनों में अपीलीय कार्यवाई पूरा करने में बहुत देर लगती है । सरकार ऐसी और अन्य देरियों को दूर करने के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं और अन्य कदम उठाने का इरादा है ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

इसी प्रकार से कस्टम कमिश्नर और एपैलेट एथारिटी के यहां बहुत डिले होती है और बधवार कमेटी मे उसके बारे में जिक्र किया है।

क्लाज १४२(१) के संबंध में मैंने अपना नोट आफ डिस्सैंट दिया है। मैंने इस पर अपना औवजैक्शन दिया है। इसके अनुसार जो एजेंट होगा वह उस सोने के ओनर, इम्पोर्टर और ऐक्सपोर्टर के किसी भी औफेंस और ड्यूज के लिये कस्टम आफिस द्वारा जिम्मेदार ठहराया जायगा और उससे कस्टम ड्यूज वसूल किया जायेगा। जैसा कि मैंने अपने मिनिट औफ डिस्सैंट में भी कहा है क्लिएरिंग एजेंट किसी नियत समय तक के लिये ही जिम्मेदार समझा जाना चाहिये। इसमें यह नहीं दिया है कि वह ६, ८ या ९ महीने अथवा कितने समय तक के लिये जिम्मेदार ठहराया जायेगा। इसके अलावा ओनर की गलती के लिये एजेंट लाएबिल टु पनिशमेंट नहीं होना चाहिये।

क्लाज १०२(१) सर्च वारेंट्स के बारे में है। उसके बारे में श्री कामथ ने जो नोट औफ डिस्सैंट दिया है उससे मैं भी सहमत हूं। यदि ऐसा व्यक्ति इस प्रकार चाहता पर मेरी आपत्ति है। यदि अपराधी इस प्रयोजन से अनभिज्ञ है तो यहां ८० परसेंट जनता अशिक्षित है। ऐसी सूरत में अपराधी की इच्छा पर वह नहीं होना चाहिये। इस क्लाज में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति की तलाशी लेते समय उसको वगैर देरी के नजदीक के गजेटेड आफिसर औफ कस्टम्स या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जायेगा। अब इसमें कस्टम आफिसर को जो सर्च लेने का अधिकार दिया गया है उसमें मेरी आपत्ति है। कस्टम आफिसर को सर्च लेते वक्त मजिस्ट्रेट के सामने जाना ही चाहिये अपराधी को लेकर। जो विटनैसेज आई थीं उन्होंने भी इसके बारे में आपत्ति की थी।

इसी तरह से सैक्शन १०५(१) पावर टु सर्च प्रीमिसेज के बारे में है। इसमें कोई भी आफिसर औफ कस्टम्स सर्च ले सकता है। ऐनी आफिसर औफ कस्टम को जो सर्च वारन्ट लेने और सर्च करने का आप अधिकार देते हैं यह कुछ उचित नहीं जंचता है। अब् अगर कोई बदला लेना चाहता है तो वह उस आदमी के खिलाफ सर्च वारन्ट ले सकता है। इसके बारे में हमने औवजैक्शन दिया है। यह जरूरी है कि इसमें एथारिटी के पौसिवल मिस्यूज के खिलाफ सेफगार्ड प्रोवाइड हो। मजिस्ट्रेट, जज या किसी जुडिशिएल आफिसर से सर्च वारन्ट लेने के बाद आफिसर औफ कस्टम सर्च ले सके, ऐसा इसमें प्राविजन जोड़ा जाना चाहिये। पावर का मिस्यूज़ इसी तरह रोका जा सकता है कि हम इसमें यह व्यवस्था कर दें कि कोई भी सर्च वगैर मजिस्ट्रेट के वारन्ट के नहीं की जा सकेगी। लेकिन इसमें यह प्राविजन न रख कर यह लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट के सामने जाने की जरूरत नहीं है। विद्आउट गोइंग टु मजिस्ट्रेट कोई भी नौन गजेटेड आफिसर औफ कस्टम सर्च ले सकता है। मेरी आपत्ति इस बारे में है और मैं तो चाहता हूं कि इसमें एक प्रभावशाली प्रतिबन्ध कि मैजिस्ट्रेट के वारन्ट के बिना कोई तलाशी नहीं ली जायेगी।

इसके बाद मैं १२०(२) की बाबत कहना चाहता हूं कि इसमें जो दिया हुआ है कि स्मगल्ड गुड्स दूसरे गुड्स के साथ इस तरह से अगर मिले हों कि वे दूसरे गुड्स से अलग न किये जा सकते हों तो वह तमाम के तमाम गुड्स कौनफिसिकेट हो जायेंगे। इसके बारे में बुलियन मर्चेंट्स असोसियेशन की तरफ से जो लोग आये थे उन्होंने कमेटी के सामने अपनी गवाही में इस पर आपत्ति की थी। यदि कोई स्मगल्ड गोल्ड किसी ऐसे गोल्ड में मिक्स कर दिया जाय जोकि स्मगल्ड नहीं है लेकिन चूंकि उन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है इसलिये वह पूरा का पूरा गोल्ड जब्त किया

जायगा । १२०(२) में दिया हुआ है :—

"यहां चोरी छिपे लाया हुआ सामान अन्य सामानों में मिला हुआ हो और उन्हें अलेहदा करना कठिन हो, तो सारा सामान जब्द हो जायेगा ।"

सोने के व्यापारियों ने इस बारे में यह आपत्ति उठाई थी कि वर्तमान सैक्शन के कारण यदि कोई गोल्ड प्राप्त किया जाय और उसे वह अपने पास के दूसरे सोने में मिक्स करके गहना बना ले और बाद में मालूम पड़े कि जो सोना उसने लिया था वह स्मगल्ड है तो उसका पूरा का पूरा ओरनामैंट जब्त कर लिया जायगा । चूंकि इस प्राविजन पर हमने औबजैक्शन दिया इसलिये महज आईवाश की गरज से गवर्नमेंट ने उसमें यह डाल दिया है :

"सामान का केवल ऐसा भाग जिसकी कीमत चोरी किये गये माल के बराबर होगी जब्त किया जा सकेगा ।"

इस तरह का सबसैक्शन उसमें डाल दिया है । लेकिन इस प्रोवीजन से मेरा समाधान नहीं होता है । ए० आई० आर० १९६१ बम्बई पेज ४८ पर सोनावाला केस में लिखा हुआ है :—

"कोई सरकार ऐसी सम्पत्ति को जब्त नहीं कर सकती जो कि चोरी छिपे लाये गये सोने से मिली हुई है ।"

उस सोनावाला केस में बम्बई हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको नलिफाई करने के लिये यह प्राविजन रक्खा गया है । पहले इसमें इस तरह का प्राविजन नहीं था । सेलेक्ट कमेटी में मैंने और दूसरे बहुत से मेम्बरों ने इस पर आपत्ति की थी कि इस तरह का प्राविजन नहीं रक्खा जाना चाहिये लेकिन जैसा मैंने कहा सोनावाला केस में बम्बई हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको नलिफाई करने के लिये यह प्राविजन रक्खा गया है । चूंकि यह नैचुरल जस्टिस और जुरिसप्रुडेंस के खिलाफ जाता है इसलिये ऐसा प्राविजन नहीं होना चाहिये ।

१२९(१) जोकि डिपाजिट्स के बारे में है और जिसमें कहा है कि वगैर ड्यूटी या पैनाल्टी डिपाजिट कराये अपील नहीं कर सकता । मैंने यह औबजैक्शन लिया था कि ऐसा प्राविजन इस में नहीं होना चाहिये ।

इसके साथ मैं सुप्रीम कोर्ट जजमैंट १९६२ रिपोटड इन ए आई आर १९६२ पेज ३१६ क्लक्टर आफ कस्टम्स वरसेज नथेला चेट्टी, इसको मंत्री महोदय ने रैफर किया है । उन्होंने कहा है कि यह बडन औफ प्रूफ आलट्रा वायर्स नहीं है । लेकिन मेरा कहना है कि यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है । मेरा कहना है कि माननीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट जजनैंट के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दिया है और इसलिये उनका इस तरह का प्राविजन इसमें रखना यह नेचुरल जस्टिस और जुरिसप्रुडैंस के विरुद्ध है ।

सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट मैं यहां ले आया हूं.....

श्री ब० रा० भगत : जजमैंट में क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : जजमैंट को माननीय सदस्य हाउस में पढ़ने का कष्ट न करें । उसको वह मंत्री महोदय को पास औन कर दें ।

श्री बड़े : अब यह सीजर की तरह से कि जो सीजर अपराध इनवैस्टिगेट करे और वही सीजर जजमैंट दे इसके बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट का सन् ६१ का जो जजमैंट है उसके विरुद्ध मेरा कहना है कि ऐपेलेट अथारिटी अलग रखना चाहिये और रिवीजन ट्रिब्यूनल अलग रखना चाहिये और कस्टम्ज कमिश्नर या कस्टम्ज आफिसर उसमें नहीं होने चाहिये । मेरी बिनती है कि यह हाउस हमारे मिनट आफ डिसेंट को पढ़े । हमारे सामने चेम्बर्ज आफ मरचेंट्स और ट्रेडर्ज एसोसियेशंज के लगभग चालीस पचास मेमोरेंडम आये, जिनमें उन्होंने सर्च वारन्ट, कान्फिस्केशन आफ गोल्ड और बर्डन आफ प्रूफ के बारे में इन प्राविजन्ज के खिलाफ अपने विचार प्रकट किये हैं । मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि हाउस को इस बिल को पास करने से पहले इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

†**श्री फतहसिंह राव गायकवाड़** (बड़ौदा) : मैं इस विधेयक को लाने के लिये सरकार को बधाई देता हूं ।

यह वर्तमान कानूनों की त्रुटियों को दूर करता है । फिर भी मुझे सन्देह है कि तस्कर व्यापार का बन्द होना कठिन है । मनुष्य की प्रकृति ऐसी है । हमारे देश के समुद्रीय तथा अन्य भूमि पर के सीमांत बड़े विस्तृत हैं और इससे तस्कर व्यापार को बढ़ावा मिलता है । इतने विस्तत सीमांत पर निगरानी करना बड़ा कठिन है ।

हमारे देश में सीमा शुल्क कर्मचारी अत्यन्त भ्रष्ट हैं । इसमें उनका भी अधिक दोष नहीं । आखिर वे भी इन्सान हैं और दौलत के प्रलोभन से वे नहीं बच सकते और यही कारण है कि अधिकतर तस्कर व्यापार उनके जरिये ही होता है । उनसे परिचय रहने पर कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक तस्कर व्यापार कर सकता है । इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि किसी भी सीमा शुल्क कर्मचारी को एक स्थान पर एक वर्ष से अधिक नहीं रहने दिया जाना चाहिये । अधिक समय एक स्थान पर रहने पर तस्कर व्यापार करने वालों का उनसे परिचय हो जाता है और इस से घूसखोरी शुरू हो जाती है ।

हमारे देश में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उन्हें सब से अधिक कठिनाई कस्टम पोस्ट पर होती है क्योंकि उन्हें तस्कर व्यापारी की नजर से देखा जाता है । पर्यटकों के बारे में नियम कुछ सुगम बनाये जाने चाहियें अन्यथा हमारे देश में पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल सकता । पर्यटक यदि कोई चीजें लाते हैं तो उन्हें उन वस्तुओं की एक रसीद दी जानी चाहिये जो जाते समय वे दिखा कर जायें ।

मैं पुनः इस बिल का स्वागत करता हूं ।

†**श्री शंकरय्या** (मैसूर) : मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । यह बिल तीन वर्तमान अधिनियमों, जिनमें इतने संशोधन हो चुके हैं कि उन्हें समझना मुश्किल हो गया था, के उपबन्धों को समेकित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है । इसमें कई कड़े उपबन्ध होते हुये भी मुझे सन्देह है कि सरकार तस्कर व्यापार और करापवंचन को रोक नहीं पायेगी । हमारे वित्त मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि हर साल ४० या ५० करोड़ रुपये का सोना चोरी छिपे देश में लाया जाता है । सरकार बड़ी मुश्किल से ५ या १० प्रतिशत तस्कर व्यापार पकड़ पाती है । इसीसे अन्दाजा लग सकता है कि देश में कितने ऊंचे पैमाने पर तस्कर व्यापार हो रहा है जिसे रोकने के लिये इस विधेयक के उपबन्धों के अतिरिक्त कुछ अन्य बड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्तमान आपातकाल में सरकार को इस बात के लिये विवश कर दिया कि सोने के वायदा बाजार पर रोक लगाई जाय। इसका अच्छा असर पड़ा परन्तु इसके अलावा कड़ी कार्यवाही की जरूरत है।

कम बीचक बनाने और अधिक बीचक बनाने का गहरा तालुक तस्कर व्यापार से है। निर्यात करते समय व्यापारी कम बीचक बनाकर अधिक माल भेज देते हैं और अतिरिक्त माल के बदले में अन्य वस्तुओं का तस्कर व्यापार करते हैं। कई व्यापारियों और उद्योगपतियों ने विदेशों में बैंक खाते खोल रखे हैं जिसे वे आपातकाल में भी प्रकट करने को तैयार नहीं है। सरकार इन अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ है। और यदि कोई पकड़ा जाता है तो वही गरीब आदमी जिसके जरिये धनवान तस्कर व्यापारी अपना कारोबार चलाते हैं। आयात शुल्क निर्धारित करते समय वित्त मंत्रालय को चाहिये कि वह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से परामर्श कर ले। तस्कर व्यापार और कम तथा अधिक बीचक बनाने की बुराइयों को रोकने के लिये दोनों मंत्रालयों को मिलकर काम करना चाहिये।

हमें दक्षिण में समुद्री तट पर और उत्तर में अपने सीमांत पर पूर्ण निगरानी रखनी चाहिये। प्रायः सोना जमीन के रास्तों से ही लाया जाता है और अरब देशों में अधिक धन होने के कारण वहां के लोगों में सोने का तस्कर व्यापार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इतने विस्तृत सीमांत की निगरानी करने के लिये विशेष व्यवस्था की जरूरत है। दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में चोरी से बहुत सोना लाया जाता है। एक सप्ताह में सीमा शुल्क कर्मचारियों ने एक करोड़ रुपय का सोना पकड़ा। यह समाचार तो हाल ही का है।

इन सुझावों के अतिरिक्त मैं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों से यह जानना चाहता था कि क्या वे सोने के तस्कर व्यापार को रोकने में सरकार को सहयोग देंगे। क्योंकि वे लोग भली प्रकार जानते हैं कि कौन व्यापारी चोरी से लाये गये सोने को खरीदता और बेचता है और कौन व्यक्ति चोरी से सोना लाता है परन्तु उन्होंने आश्वासन देने के बावजूद भी अभी तक किसी का नाम नहीं बताया। ४० या ५० करोड़ रुपये का सोना जो देश में आता है वह साधारण लोग नहीं खरीदते बल्कि वे धनवान लोग खरीदते हैं जिन के पास विदेशी मुद्रा होती है, जिन्होंने चोर बाजार में पैसा कमा रखा है जिसे वे सोने के रूप में छिपा कर रखना चाहते हैं। इसे प्रकट करने में कोई ढील नहीं बरती जानी चाहिये बल्कि और कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रवर समिति ने इस पर काफी विचार किया है। यदि उपबन्धों में कुछ ढील दी गई तो तस्कर व्यापार को और भी बढ़ावा मिलेगा।

श्री बड़े ने कहा कि अपीलीय न्यायाधिकरणों में उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश होना चाहिये और उसमें अन्य सीमा शुल्क कर्मचारी नहीं होने चाहियें। यह सुझाव तो स्वीकार कर लिया गया है कि जो सीमा शुल्क अधिकारी न्यायाधिकरण में कार्य करे उससे अन्य एग्जैक्टिव काम न लिया जाये। यदि इसे सही ढंग से कार्यान्वित किया गया तो यह बहुत लाभप्रद साबित होगा।

सोने का कारोबार करने वालों के लिये लाइसेंस प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिये। साथ ही यह भी कोशिश की जानी चाहिये कि इनको संख्या कम से कम हो। आशा है कि वित्त मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय आपस में परामर्श करके लाइसेंस देने की प्रथा आरम्भ करेंगे जिससे विधेयक के उपबन्ध ठीक मानें में प्रभावी सिद्ध हो सकेंगे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : यह विधेयक बहुत समय पूर्व पेश किया जाना चाहिये था फिर भी हम इसका स्वागत करते हैं ।

सरकार ने १९५७ में श्री बधवार के नेतृत्व में एक सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति नियुक्त की जिसने १९५८ के अन्त में अपना प्रतिवेदन पेश किया । यह विधेयक दो वर्ष पूर्व लाया जाना चाहिये था परन्तु सरकारी काम में इसी प्रकार विलम्ब होता है ।

हर आदमी जानता है कि केन्द्रीय राजस्व में काफी हानि सीमा शुल्क न प्राप्त होने के कारण होती है । इसलिये इस बिल पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये । यदि कड़े नियम बना कर कुछ सख्ती से काम लिया जाये तो कुछ एक करोड़ रुपये की राजस्व में वृद्धि अवश्य होगी ।

विधेयक के उपबन्धों द्वारा वर्तमान में अवश्य सुधार हुआ है ।

मैं यह निवेदन कर दूं कि चोरी से सामान लाने और ले जाने की समस्या के प्रति सम्पूर्ण दृष्टिकोण जागृत हो उठा है । यदि यह प्रवृत्ति इतना व्यापक रूप धारण नहीं करती तो हमें आज इसे रोकने के लिये इतने कठोर उपाय उठाने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती । यह प्रवृत्ति अत्यंत पुरातन है और कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' में भी इसका उल्लेख मिलता है । तीन चार वर्ष पूर्व तो इस समस्या ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया था कि भारत सरकार को तस्कर व्यापारियों की खोज के लिये एक विशेष पदाधिकारी यूरोप भेजना पड़ा था । इस प्रश्न पर सभा में प्रश्नों और वाद-विवाद के दौरान चर्चा हुई है । हम श्री अजय मित्रा की वीयना में हुई मृत्यु को नहीं भूले हैं । आस्ट्रिया सरकार की रिपोर्ट से यह पूरी तरह प्रमाणित नहीं हुआ है कि श्री मित्रा की हत्या की गई थी अथवा यह आत्महत्या का मामला था । उन्होंने भारत सरकार को जो अन्तरिम रिपोर्ट पेश की थी उसमें बताया गया है कि इस देश के कुछ उच्च पदाधिकारी भी चोरी से सामान लाने और ले जाने के मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं । अन्य मामलों की भांति इस क्षेत्र में भी यही हो रहा है कि मामूली व्यक्ति तो पकड़े जाते हैं किन्तु बड़े बड़े अपराधी सर्वथा छूट जाते हैं । विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के सामान की तलाशी के सम्बन्ध में प्रवर समिति में विस्तृत चर्चा की गई थी । इस समय सभा में केवल उपमंत्री ही उपस्थित हैं और वह भी किसी से बातचीत में मग्न हैं । सभा के प्रति उनका यह रवैया उचित नहीं है । भाषण न सुन कर किसी व्यक्ति से बातचीत करना शोभास्पद नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं विश्वास दिलाता हूं कि माननीय मंत्री उनकी बात सुनेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यद्यपि यह बात नैतिक दृष्टि से सत्य होते हुए भी कानूनी दृष्टि से प्रमाणित नहीं है कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति जैसे कूटनीतिज्ञ और उनके कार्यालय के कर्मचारी, राजनीतिक मिशनों के अन्य सदस्य, भारत और विदेशों के बीच काम करने वाले विमान चालक तथा इसी श्रेणी के अन्य व्यक्ति तस्कर व्यापार में संलग्न होते हैं । वित्त मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है । कई बार सीमा शुल्क अधिकारी भी इनसे मिले रहते हैं । यह किसी अदालत में सिद्ध नहीं किया जा सकता है । इन व्यक्तियों की तलाशी नहीं ली जाती है । राजदूतों को छोड़ कर कूटनीतिज्ञ मिशनों के अन्य सदस्यों और विमान चालकों की अन्य सामान यात्रियों की भांति पूरी तलाशी लेना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं निजी अनुभव का वर्णन करता हूं । सन् १९३५ में मैं इंडियन सिविल सर्विस में था । यद्यपि यह बात पुरानी है किन्तु परिस्थितियों में आज भी उतनी ही साम्यता है । मैं यूरोप और रूस की यात्रा पर गया था । जब मैं लौट कर बम्बई में उतरा तो मेरे एक साथी के सामान की कोई तलाशी नहीं ली गई । किन्तु मुझ से कहा गया कि अपने सूटकेसों को खोल कर तलाशी करने दूं । मेरे पास चोरी से लाई गई कोई वस्तु नहीं थी ; केवल पुस्तकें और कपड़े थे । पुस्तकें फासिज्म, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद से सम्बन्धित थीं । सीमा शुल्क अधिकारी ने कदाचित यह समझा कि मैं निसिद्ध साहित्य लाया हूं । प्लेटो कृत "रिपब्लिक", मुसोलिनी कृत "इटली", एच. डाल्टन कृत "सोशलिज्म" जर्मनी और आस्ट्रिया के शाकाहारी रेस्तरां की सूची—जर्मन भाषा में थी । यह सब पुस्तकें रख ली गईं। मुझ से कहा गया कि उनकी जांच की जायेगी । मैं ने सीमा शुल्क कलक्टर से उसी दिन शिकायत की । उन्होंने क्षमा मांगी । छः सप्ताह बाद मुझे एक पत्र मिला जिसमें बताया गया था कि "हेण्डबुक आफ भार्झिज्य" (एमिल बर्न्स) के अतिरिक्त सब पुस्तकें लौटाई जा रही हैं । यह एक दिलचस्प बात थी । वह पुस्तक रूस, फ्रांस या जर्मनी में नहीं परन्तु लन्दन से खरीदी गई थी ।

मेरे कथन का अभिप्राय यह है कि जो वस्तुतः अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाना चाहिये । अधिकार व्यक्ति को मदान्ध बना देता है । हमें अधिकार के दुरुपयोग के विरुद्ध संरक्षण रखना चाहिये । नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं किया जाना चाहिये । यह व्यवस्था करना हमारा कर्त्तव्य है कि जब तक सीमा शुल्क अधिकारी को मजिस्ट्रेट से वारण्ट फार्म न मिला हो वह तलाशी न कर सके । किसी भी व्यक्ति का निवास दुर्ग की भांति होता है । उसमें किसी को भी अवैध रूप से प्रवेश करने का अधिकार नहीं होना चाहिये । हम सरकार के इस विचार से सहमत हैं कि तस्कर व्यापार की बुराई का कठोरतापूर्वक अंत करना चाहिये । किन्तु हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस दोष का दमन करते समय निर्धन, ईमानदार और निरपराध नागरिक अथवा व्यापारी को प्रपीड़ित नहीं किया जाना चाहिये । जिस व्यक्ति के पास वस्तु पकड़ी गई है उसे चोरी से लाई गई न होने के प्रमाण का भार उस व्यक्ति पर नहीं होना चाहिये । यह न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन है ।

अपीलीय और पुनर्विचार व्यवस्था पृथक रूप में होना चाहिये । मैं इस विधेयक की बहुत सी बातों का स्वागत करता हूं । सम्पूर्ण उपबंधों का हार्दिक स्वागत नहीं कर सकता हूं । यदि संशोधन स्वीकार कर लिये गये तो सीमा शुल्क सम्बन्धी कानून अधिक स्वस्थ, श्लाघनीय और सशक्त बन जायेगा ।

†**श्री मु० इस्माइल** (मंजेरी) : मैं विधेयक की उपबंधों की ओर नहीं परन्तु सीमा शुल्क की जांच के तरीके के बारे में संक्षिप्त उल्लेख करूंगा । हमारे हजारों देशवासी मलाया, बर्मा और श्रीलंका में प्रायः कुली, क्लर्क और साधारण दुकानदारों का काम करते हैं । कई वर्ष बाद घर लौटने पर वे वस्त्र आदि छोटी छोटी वस्तुएं तथा ऐसा ही अन्य सामान लाते हैं । इनके सामान की जांच करने में कभी कभी तो सोलह घंटे तक लग जाते हैं और इन यात्रियों को अत्यंत असुविधा का सामना करना पड़ता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसके बाद काफी फासले पर स्थित द्वार पर पहुंचने पर फिर सामान की जांच की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मु० इस्माल]

जाती है । यात्री एसोसियेशनों और वाणिज्य मण्डलों ने इस सम्बन्ध में अधिकारियों को अभ्यावेदन दिये हैं किन्तु अभी तक इन निर्धन व्यक्तियों की सहायता नहीं की गई है ।

बधवार समिति की सिफारिश से श्री बड़े, श्री महीडा और अन्य सदस्य सहमत हैं कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की भांति तस्कर व्यापार के मामलों में भी पृथक व्यवस्था होनी चाहिये । कुछ वर्ष पहले उन्हें ५००० रुपये तक फ्री एलाउन्स दिया जाता था । अब यह घटाकर केवल ५०० रुपये कर दिया गया है । वर्षों तक काम करने पर जब वे कुछ बचा पाते हैं तो उनसे दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुएं स्वयं अथवा परिवार के लिये कुछ वस्तुएं खरीद कर लाते हैं । इन पर सीमा शुल्क चुकाने के लिये भी उन के पास कुछ नकद नहीं बच पाता । यहां कुछ दिन काम कर पैसा इकट्ठा होने पर वे पुनः विदेशों में लौट जाते हैं । इनके प्रति सहानुभूति और शिष्टाचार युक्त व्यवहार अपनाये जाने की आवश्यकता है । वे जो सामान लाते हैं उसका कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं होता है । मुझे मालूम है कि कई बार उनके नये वस्त्रों पर भी सीमा शुल्क वसूल कर लिया जाता है । मैं तस्कर कार्य में संलग्न व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा हूं । उनका दमन तो करना ही है । इस विषय में जनता सरकार के साथ है ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मुझे हर्ष है कि प्रवर समिति से आने के बाद इस विधेयक का सदस्यों ने समर्थन किया है । विमति टिप्पणों का उत्तर देने से पहले, मैं कुछ छोटी छोटी बातों का, जो कि सदस्यों ने उठाई हैं, उल्लेख करूंगा ।

उदाहरणतया श्री वारियर चाहते थे कि समाशोधन अभिकर्ता का दायित्व केवल ६ महीने होना चाहिये । सदन सहमत होगा कि ६ महीने की अवधि इन मामलों में पर्याप्त समय नहीं है । उन का कहना था कि खण्ड १२० भी न्यायपूर्ण नहीं है । किन्तु उन्होंने इस खंड के परन्तुक पर ध्यान नहीं दिया । इस परन्तुक के द्वारा निर्दोष व्यक्ति का आवश्यक संरक्षण मिल जाता है । कुछ माननीय सदस्यों ने, विशेष कर, श्री कामत ने सीमा शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाया है और कहा है कि सीमा शुल्क अधिकारियों को दी गई शक्तियों का दुरुपयोग होने की संभावना है । सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के प्रश्न पर इस सदन में कई बार विचार हो चुका है । सरकार की ओर से हम कहते रहे हैं कि यह सब प्रशासनीय नियन्त्रण का मामला है । हमें भ्रष्ट अफसरों को निकालना है । मैं यह समझता हूं कि अधिकतर पदाधिकारी अच्छे, कार्यक्षम और ईमानदार हैं । उनमें से केवल कुछ ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं और अधिकतर चौर्यानयन उन की ओर से बेईमान व्यापारियों के साथ मिल कर होता है । जहां तक ऐसे पदाधिकारियों का सम्बन्ध है, हमारा यह कर्तव्य होना चाहिये कि इन्हें सख्ती से दबाया जाये और उन पर जुर्माना किया जाये और उन्हें अलग किया जाये । इस पर दो रायें नहीं हैं । सीमा शुल्क विभाग या अन्य किसी विभाग के, जिसका इस के साथ सम्बन्ध है कार्य को ठीक करने की आवश्यकता है । किन्तु प्रश्न यह है कि चौर्यानयन, विशेषकर घड़ियों, हीरों आदि का बहुत बढ़ चुका है । हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना है और प्राधिकारियों को इसे सख्ती से दबाने के लिए आवश्यक शक्तियां देनी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्यों ने जिन्होंने सीमाशुल्क विभाग का अध्ययन किया है देखा होगा कि चौर्यानपन करने वाले को क्या सुविधायें प्राप्त होती हैं। एक ओर तो सदस्य चाहते हैं कि चौर्यानपन बिल्कुल बन्द किया जाये, क्योंकि इस से बहुत सी विदेशी मुद्रा व्यर्थ जाती है, दूसरी ओर यह चाहते हुए कि प्रत्येक पदाधिकारी अपना कर्त्तव्य पूरा करे, हम उन्हें शक्तियां देने से कतराते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हम केवल इतना चाहते हैं कि शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : जब कोई पदाधिकारी जानबूझ कर शक्तियों का दुरुपयोग करे, तो उस पर मुकदमा चलाने का उपबन्ध है ।

श्री वारियर ने कहा है कि बीजक का अधोमूलयन कुछ व्यापारों में खतरनाक हद तक बढ़ गया है । यदि वे विधेयक के उपबन्धों को देखें, तो वे देखेंगे कि खंड १११ और ११३ में बीजक के अधोमूलयन या अधिमूलयन के बारे में व्यवस्था कर दी गई है । इन दोनों हातलों में माल के जब्त कर लिये जाने का उपबन्ध है । इसी तरह खंड ११४ में ऐसा अपराध करने वाले पर माल के मूल्य का पांच गुणा तक जुर्माना किया जा सकता है। फिर खंड १३५ में ऐसे व्यवितयों को दो वर्षों की कैद भी दी जा सकती है ?

इसी प्रकार विभिन्न खंडों के अन्तर्गत जुर्माने या कैद या जब्ती के द्वारा बीजक के अधोमूलयन या अधिमूलयन को रोकने का प्रयत्न किया गया है । फिर माननीय सदस्य ने कहा है कि सजा सख्त से सख्त दी जाये। विधेयक में अधिक से अधिक दो वर्ष की सजा का उपबन्ध है ? यह देखा गया है कि यह काफी सख्त सिद्ध हुई है केवल बड़े बड़े अन्तर्राष्ट्रीय चौर्यानयन गिरोहों को छोड़ कर। दूर के मामलों में हम ने पांच वर्ष की सजा का उपबन्ध किया है । कम से कम सजा ६ मासों की है । अतः यह देखा जायेगा कि ये सजायें काफी सख्त हैं ।

फिर माननीय सदस्य ने कहा है कि न्यायालय की प्रक्रिया बहुत लम्बी है और ऐसे मामलों में संक्षेपण-ऊन्वीक्षा होनी चाहिये। इस के लिए भी खंड १३८ में व्यवस्था की गई है ।

श्री वारियर ने कहा है कि यह विधेयक सीमाशुल्क विधान नहीं है बल्कि चौर्यानयन विरोधी विधेयक है । यह वर्णन ठीक नहीं है, क्योंकि ईमानदार व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं और माननीय सदस्यों ने इसका स्वागत किया है । इस के साथ साथ हम ने सख्त चौर्यानयन विरोधी उपाय भी किये हैं, यद्यपि ऐसे कुछ उपायों पर सदस्यों ने आपत्ति की है और कहा है कि जो शक्तियां हम ने दी हैं, उन से चौर्यानयन तो नहीं रुकेगा बल्कि लोगों को परेशानी होगी।

खंड १०५ में जो तलाशी की शक्तियां दी गई हैं । उस पर भी आपत्ति की गई है क्योंकि कुछ माननीय सदस्यों को ख्याल है कि इस से निर्दोष व्यक्तियों को परेशानी होगी। स्वयं विधेयक में कहा है कि ऐसी शक्ति न केवल सीमाशुल्क विभाग बल्कि अल्प राजस्व विभागों को भी पहले से प्राप्त हैं और इससे निर्दोष व्यक्तियों को कोई परेशानी नहीं हुई। अतः इस डर को बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि ये शक्तियां दी भी जानी हैं, तो उचित परित्राण भी दिये जाने चाहियें। ऐसा पहले से ही खंड १०५ के उपखंड (२) में कर दिया गया है ।

खंड ११८ के बारे में कहा गया है कि यदि एक पैकेट में १० हीरों में से एक चोरी से लाया गया हो, तो १० के १० को जब्त किया जा सकेगा । प्रवर समिति ने इस बात पर विचार किया था और उसने कुछ ढील देने के लिये कुछ परिवर्तन कर दिया है । संशोधित खंड के अनुसार यह अधिग्रहण के ऐसे मामलों पर लागू नहीं होगा, यह केवल आयात के मामलों पर लागू होगा । यदि एक पैकेट में १० हीरे आयात किये गये हैं, तो या तो वे सारे चौर्यानयन से लाये गये हैं या चौर्यानयन से नहीं लाये गये। अतः हम ने यह विभेद कर दिया है । ब्रिटेन के सीमाशुल्क अधिनियम में भी ऐसा उपबन्ध है ।

खंड १२३ के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इससे निर्दोष व्यापारियों को परेशानी होगी क्योंकि साबित करने का भार उन पर होगा । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि य खंड १९५५ से है, अर्थात् सात वर्षों से और व्यापारी अपना काम इस के बावजूद अच्छी तरह करते रहे हैं। सरकार ने इसको अत्यन्त सावधानी से लागू किया है ।

कुछ सोने चांदी के व्यापारियों ने उच्चतम न्यायालय से अभ्यावेदन किया है कि यह उपबन्ध संविधान के शक्ति परस्तात है, क्योंकि यह अनुचित प्रतिबन्ध लगाता है । मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उस न्यायालय ने सोने के चौर्यानयन को देखते हुए इस प्रतिबन्ध को उचित ठहराया है । स्वयं अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि इस मामले में समाज के हित में नैसर्गिक न्याय को छोड़ दिया गया है ।

श्री कामत ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि यदि आयात का स्रोत साबित हो जाये, तो सबूत का भार समाप्त समझना चाहिये। मेरे विचार में यह भ्रमात्मक है । यह सुझाव उच्चतम न्यायालय के सामने भी किया गया था किन्तु वह इसके पक्ष में नहीं था।

मान लीजिये एक व्यापारी 'क' चोरी से लाये हुए सोना 'ख' के पास बेच देता है श्री कामत के अनुसार मान लीजिये 'ख' कहता है कि यह उसने 'क' से लिया है, जैसा कि वह कहेगा, तो प्रमाण का भार समाप्त हो जाता है यद्यपि सोना चोरी से लाया हुआ रहता है और हम इस परन्तुक को स्वीकार कर के कुछ नहीं कर सकते । अतः हम ऐसे सोने पर हाथ नहीं डाल सकेंगे। इन कारणों से हम यह सुझाव स्वीकार नहीं कर सकते । यदि हम सोने के चौर्यानयन को या ऐसी कार्यवाहियों को रोकना चाहते हैं...

†**श्री हरि विष्णु कामत** : तो आप सोने पर कब्जा कर रहे हैं केवल अपराधी को दण्ड नहीं दिया जायेगा ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इस सम्बन्ध में चुराये गये माल के बारे में कहा गया था कि ऐसे माल को खरीदने वाले निरपराधी को दण्ड नहीं दिया जाता । किन्तु उस व्यक्ति से माल ले लिया जाता है और उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जिसका माल चोरी हुआ था । यदि किसी के पास तस्कर व्यापार का सोना हो और उसे पता न हो कि वह सोना तस्कर व्यापार का है तो उसे दण्ड नहीं दिया जायेगा लेकिन सोना उससे ले लिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ माननीय सदस्यों ने खण्ड १३१ की ओर निर्देश करते हुए सुझाव दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये । उस विधेयक का खण्ड १०५ जो प्रवर समिति को सौंपा गया था, विस्तृत वक्तव्य दिया गया है कि हमें क्यों अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं करनी चाहिये । कराधान जांच आयोग ने जब इस की सिफारिश की थी उस समय इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया गया था । आयकर के मामले तो कानून सम्बन्धी मामले होते हैं जिन्हें न्यायाधिकरण को सौंपा जाता है । सीमा शुल्क के मामलों में अधिकांश का सम्बन्ध तथ्य से होता है जिनमें विधि सम्बन्धी जटिलताओं को नहीं लेना चाहिये । इन मामलों में बहुत सी अनुषंगिक बातों का भी ध्यान रखना होता है । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के निर्णयों का विश्लेषण किया जाये तो उससे पता लगेगा कि उनमें राजस्व प्राप्ति का कभी ध्यान नहीं रखा गया बल्कि अपराधी के ही संदेह का लाभ प्रदान किया गया है । प्रत्यक्ष राजस्व सम्बन्धी मामलों की बजाय अप्रत्यक्ष मामलों में अधिकांशतः विधि की बजाये तथ्यों को जानने का प्रश्न होता है । १९६० में केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को ४२१ अपीलें की गईं जिनमें से १६० रद्द कर दी गईं । १९६१ में ३९४ मामलों में से १५५ को रद्द किया गया था। १९६२ में १९६ मामलों का निर्णय किया गया था और उसमें से ५० प्रतिशत मामलों को रद्द किया गया है ।

इस प्रक्रिया के कार्य से आप देख सकते हैं कि पूर्ण न्याय किया गया है और अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करके आतंकित नहीं किया गया और लोगों को आवश्यक सहायता दी गई है । अतः स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि सीमा शुल्क सम्बन्धी विधि को समेकित तथा संशोधित करने वाले विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड २ (परिभाषायें)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन संख्या १३ और १४ प्रस्तुत करता हूं ।

इस विधेयक के प्रारूप निर्माता ने व्याकरण का अत्यधिक ध्यान रखा है और "आपात" तथा "निर्यात" शब्दों के साथ यह भी लिखा है कि "व्याकरण और संयोग की दृष्टि से विभिन्न अर्थों सहित । वास्तव में हर भाषा में शब्द के साथ व्याकरण और संयोग सम्बन्धी अर्थों का भाव रहता ही है। अतः इसका यहां उल्लेख अनावश्यक है । मेरे संशोधनों का उद्देश्य इन अनावश्यक शब्दों को हटाना है ।

श्री मोरारजी देसाई : वे चाहते है कि मैं विषयनिष्ठ रहूं किन्तु वे स्वयं व्यक्तिनिष्ठ हैं क्योंकि उनके मन में एक बात आ जाती है तो वे उसे छोड़ना नहीं चाहते ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधनों पर जोर देना चाहते है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं इसे मतदान के लिए रखना चाहता हूं जो कि २-३० बजे से पहले नहीं हो सकता ।

†**वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई** : यदि वे जोर न दें तो इसे मौखिक मतदान के लिए अभी रखा जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० आ० श्री० अणे** (नागपुर) : मुझे यह कहना है कि यह संशोधन युक्तिसंगत है और अनावश्यक शब्दों को निकाल देना चाहिये। यदि 'आयात' 'निर्यात' का वे कोई अन्य अर्थ लेना चाहते हैं तो उसका स्पष्ट उल्लेख क्यों नहीं कर देते? माननीय मंत्री को स्पष्टतः बताना चाहिये कि इन शब्दों की गलत व्याख्या भी हो सकती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम इस खंड को बाद में लेंगे। अब अन्य खडों को लेते है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ से ७३ तक विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ३ से ७३ तक विधेयक में जोड़ दिये गय।

खण्ड ७४ (शुल्क प्रदत्त सामान के पुनर्निर्यात पर देय प्रत्याहृत)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस खंड में प्रत्याहृत शुल्क का उपबन्ध किया गया है। प्रवर समिति में सुझाव दिया गया था कि ९८ प्रतिशत प्रत्याहृत को बढ़ा कर ९९ प्रतिशत कर देना चाहिये। जिस का अभिप्राय प्रायः पूर्ण प्रत्याहृत से ही है। १०० प्रतिशत से कुछ कम का उपबन्ध इस लिये चाहते थे कि इस प्रथा को प्रोत्साहन न मिले। किन्तु ९९ प्रतिशत का उपबन्ध बहुत सराहनीय होगा।

†**श्री बड़े** : मैंने समिति में कई राज्यों के कानूनों का उल्लेख किया था जहां १०० प्रतिशत प्रत्याहृत दिया जाता है। मेरा अब भी यही मत है यह उपबन्ध १०० प्रतिशत का ही होना चाहिये।

†**श्री ब० रा० भगत** : समिति में इसी पर सहमति प्रकट की गई थी यह उपबन्ध ९८ प्रतिशत प्रत्याहृत का हो। अतः माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे उस सहमति को भंग न करें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ७४ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ७४ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड ७५ से ८९ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री कामत्त।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अब जबकि खण्ड ७४ पारित हो गया है मैं खण्ड ९० पर नहीं बोलना चाहता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ९० विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खण्ड ९० विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड ९१ से १०० तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १०१—(कतिपय अन्य मामलों में सन्दिग्ध व्यक्ति की तलाशी करने का अधिकार)

†**श्री यु० सिं० चौधरी** (महेन्द्रगढ़) : मैं संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं ।

इस क्लाज़ में, जोकि पावर टु सर्च सस्पेक्टिड पर्सन्ज़ के बारे में है, यह व्यवस्था की गई है कि कलक्टर किसी भी आदमी को सर्च करने के लिए एम्पावर कर सकता है । अगर किसी आर्डिनरी आदमी, क्लार्क के लैवल के किसी व्यक्ति या किसी कांस्टेबल, को इस काम के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उस के द्वारा कोई ग़ैरज़िम्मेदाराना हरकत किये जाने का खतरा रहेगा, जिस से शक पैदा होगा और इन्नोसेंट लोगों को तक्लीफ होगी । मेरे एमेंडमेंट का मतलब यह है कि सिर्फ गज़ेटिड आफ़िसर्ज़ को ही सर्च करने के लिए भेजा जाये, जिन पर यकीन किया जा सकता है और जो इस काम को ज्यादा अच्छी तरह अंजाम दे सकते हैं ।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने जो तरमीम रखी है, मैं उस को मन्जूर करने से लाचार हूं । अगर माननीय सदस्य की तरमीम को मान लिया जाये, तो बहुत बड़ी संख्या में गज़ेटिड आफिसर्ज को बहाल करना पड़ेगा । हमारा वार्डर बहुत लम्बा है और इस लिए हम को बहुत सी जगहों पर, जोकि बहुत दूर हैं, जो शहरों से दूर हैं, गज़ेटिड आफिसर्ज को रखना पड़ेगा । इसके लिए हम को वहां भी गजेटिड आफिसर्ज को रखना पड़ेगा, जहां उन की जरूरत नहीं है और इस पर बहुत खर्चा पड़ेगा । इस क्लाज में कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया है कि वह सर्च करने के लिए कस्टम्ज के किसी आफिसर को अथोराइज करे । वह आफिसर जिम्मेदार हो, इस के लिए यह प्राविजन रखा गया है कि वह कलेक्टर के द्वारा ड्यूली अथोराइजड हो । इस में सिद्धांत का कोई झगड़ा नहीं है कि गजेटिड अफिसर न हो । अगर सब जगहों पर रखने के लिए गजेटिड आफिसर्ज मिलें, तो रखने में कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन प्रशासन की व्यावहारिक दिक्कत यह है कि हम ऐसे आफिसर्ज को हर जगह नहीं रख सकते । इस लिए काम्प्रोमाइज के तौर पर यह इन्तजाम किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है कि :—

"खण्ड १०१ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १०१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १०२—(जिन व्यक्तियों की तलाशी लेनी हो उन्हें सीमाशुल्क विभाग के गजेटेड अधिकारी या दण्डाधिकारी के सामने ले जाया जाये ।)

†**श्री यु० सिं० चौधरी :** मैं संशोधन संख्या २, ३ और ४ प्रस्तुत करता हूं ।

मैंने पेज ३४, लाइन १६ में से ये शब्द ओमिट करने के लिए एमेंडमेंट दिया है :

"यदि ऐसा व्यक्ति यह चाहे ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री म० सी० चौधरी]

जैसे इसको रखा गया है उसका मतलब यह होता है कि अगर कोई आदमी चाहेगा तो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा वर्ना नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में ८०-९० परसंट आदमी देहातों में रहते हैं और आम तौर से अनपढ़ होते हैं। उनको कानून की तमाम पेचीदगियों का पता नहीं होता है। जिस तरह से यह क्लाज है, इस में उनका कोई दखल नहीं हो सकेगा और सारे के सारे जाल के अन्दर आ जायेंगे अगर इसको उसकी मर्जी पर छोड़ दिया जाएगा कि अगर वह चाहेतो उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा अन्यथा नहीं। मेरी एमेंडमेंट का मतलब यह होगा कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने तो ले जाया ही जाएगा। जो आदमी कानून को लागू करते हैं, वे तो इसकी बारीकियों को अच्छी तरह से समझते हैं और वे इसके लिए जिम्मेवार भी हैं लेकिन जो कामन आदमी हैं, उसको अगर मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है तो उसके साथ ज्यादा अच्छी तरह से इंसाफ हो सकता है बजाय इसके कि इस चीज को उसकी इच्छा पर छोड़ दिया जाए। जहां तक इच्छा का सम्बन्ध है, वह बात कभी भी नहीं हो सकेगी।

एक और भी चीज है, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिये। जो कस्टम्ज के आदमी हैं, उनके दिमाग में तो यह रहेगी ही कि किसी तरह से केस को डिपार्टमेंटल केस बनाया जाए और उस में डिपार्टमेंट के दखल को ही कायम रखा जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने वह पेश न हो। जिस तरह से पुलिस की टैंडेंसी होती है कि लोगों को मुकदमों की शक्ल में फंसाया जाए, अगर यही टैंडेंसी यहां भी दिखाई गई तो किस तरह से उसको इंसाफ मिल सकता है। इस वास्ते अगर यहां पर कर दिया जाए कि उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाया ही जाएगा, उसके सामने पेश किया ही जाएगा और ऐसा करने के बाद कारंवाई चलेगी तो मेरे ख्याल में यह ज्यादा अच्छा होगा।

†श्री बड़े : मैं संशोधन का समर्थन करता हूं। तलाशी के वारंट ले जाने वाले अधिकारी को स्वविवेक अधिकार नहीं होना चाहिये प्रत्युत उसे उस व्यक्ति के जिस की तलाशी लेनी हो, दण्डाधीश के पास ले जाना चाहिये। दण्ड प्रक्रिया संहिता में उपबंध होते हुये भी आम लोग इसे नहीं जानते।

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपने संशोधन संख्या १५ और १६ प्रस्तुत करता हूं। इतने बड़े देश में अधिकांश लोग अर्द्ध-शिक्षित हैं। जब अधिकारी किसी व्यक्ति को तलाशी के लिये पकड़ेगा तो क्या वह उससे कहेगा कि क्या तुम दण्डाधीश के सामने जाना चाहते हो। वह तो सीधे उसकी तलाशी ले लेगा और बाद में न्यायालय में कह देगा कि उसने यह कहा ही नहीं कि दण्डाधीश के पास ले जाया जाये।

मैं संशोधन संख्या १६ के अन्तर्गत "बिना अनावश्यक बिलम्ब" शब्दों के स्थान पर "तुरन्त" शब्द रखना चाहता हूं क्योंकि अधिकारी कह सकता है कि एक या दो दिन अनावश्यक नहीं थे। अतः संशोधन का अभिप्राय है कि अधिकारी अपने अधिकार का दुरुपयोग न कर सके।

†श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

†श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है कि मैं संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि ये तथ्य सर्वथा विपरीत हैं। यह आश्चर्यजनक बात है कि माननीय सदस्य तस्कर व्यापारियों को अशिक्षित और भोले भाले समझ रहे हैं। ये लोग बहुत चालाक होते हैं और हम से अधिक

†मूल अंग्रेजी में

कानून को जानते हैं। इस खण्ड का सम्बन्ध केवल तलाशी से है। सीमा शुल्क विभाग वाले प्रायः सदा भोले भाले निरपराधी लोगों क सामान की तलाशी लेते रहते हैं। तस्कर व्यापारी बड़े चालाक होते हैं। यह भ्रम है कि इस विधेयक से वे लोग आतंकित होंगे।

यदि संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो जब ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जायेगा तो उसे दण्डाधीश या गजेटेड अधिकारी के पास ले जाना होगा। कभी कभी २५ मील या ५० मील दूर ले जाना पड़ेगा। इससे बिलम्ब होगा। अतः यदि वह व्यक्ति आपत्ति न करे और तलाशी ली जाये तो तुरन्त यह स्पष्ट हो जायेगा कि वह निरपराधी है या अपराधी। अन्यथा ४० या ५० मील की दूरी पर ले जाने में उसे और प्रशासन दोनों को असुविधा होगी।

इसी प्रकार "बिना अनावश्यक बिलम्ब" के स्थान "तुरन्त" शब्द रखने के बारे में माननीय सदस्य का तर्क यही हो सकता है दूसरा पक्ष विषयनिष्ठ नहीं। इस का यही अर्थ है कि उनके पास कोई तर्क नहीं। इस विषय पर समिति में चर्चा की गई थी। यही शब्द दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी प्रयोग किये गये हैं। "तुरंत" शब्द के प्रयोग से तो यदि तनिक भी देरी हुई तो उसे अवैध समझा जायेगा। कभी कभी अनिवार्यतः एक दो घंटे का बिलम्ब हो जाने से ऐसा अवैध स्थिति पैदा हो जायेगी, अब "बिना अनावश्यक बिलम्ब के" शब्द ही ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २, ३ और ४ मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री कामत का संशोधन संख्या अग्राह्य है क्योंकि यह संशोधन संख्या २ जैसा है। मैं संशोधन संख्या १६ को रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ ३४ पंक्ति १६ और १७ में "बिना अनावश्यक विलम्ब के" शब्दों के स्थान पर तुरंत "शब्द रखा जाये।" (१६)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में ३२; विपक्ष में ११३

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १०२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड १०२ विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड २ —(परिभाषाएं)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन संख्या १३ और १४ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १३ और १४ मतदान के लिये रखे गये।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*पक्ष में ३७ ; विपक्ष में १३४

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १०३ और १०४ विधेयक के अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १०३ और १०४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १०५—(भू-गृहादि की तलाशी का अधिकार)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस खण्ड में यह उपबंध किया गया है कि अधिकारी को *यदि* संदेह हो कि किसी के पास तस्कर व्यापार का माल है तो वह भू-गृहादि की तलाशी ले सकता है। अन्य कानूनों में तो दण्डाधीश जो पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उस द्वारा जारी किये गये वारंट पर तालाशी की जा सकती है। अत: मंत्री महोदय को स्वयं इस सम्बन्ध में कोई बचाव का उपबंध करना चाहिये ।

मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया था जिसे अध्यक्ष महोदय ने कालातीत घोषित कर दिया है। किन्तु इस विधेयक का समय तो सरकार ने बाद में बदला है। अत: मेरे संशोधन में बिलम्ब हो गया ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : मैं भी यह निवेदन करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर अब भी विचार करें। हमने निर्यात टिप्पण में कहा था कि इससे नागरिक के अधिकार का अतिक्रमण होता है अत: तलाशी से पूर्व दण्डाधीश द्वारा वारंट जारी होना चाहिये ।

†**श्री बड़े** : मैंने भी विमति टिप्पण पर हस्ताक्षर किये थे । सरकार को इस पर पुन: विचार के लिये अनुरोध करता हूं ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं ने आज ही उत्तर में इस विषय पर कोई विचार व्यक्त किया है कि ऐसे अधिकार की आवश्यकता क्यों है। मुख्य कारण यही है कि भू-गृहादि की तलाशी से सम्बन्धित मामले न्यायिक इतने नहीं जितने कार्यपर्गलिका से सम्बन्ध रखते हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है

"कि खण्ड १०५ विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १०५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १०६ से ११० तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*इस मतविभाजन का परिणाम दोनों संशोधनों पर पृथक् रूप से लागू होता है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १११ और ११२ विधेयक का अंग बने ?"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड १११ और ११२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड ११३—(अनुपयुक्त रूप में जिस माल का निर्यात करने के लिये प्रयत्न किया गया हो उसे जब्त करना)

खण्ड ११४—(माल को अनुपयुक्त ढंग से निर्यात करने के प्रयत्न के लिये दण्ड)

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि मुझे इस पर अमेन्डमेंट देने का समय न मिल सका क्योंकि कस्टम्स बिल अचानक आ गया और इस से भी आश्चर्यजनक बात यह है कि जनरल डिस्कशन के समय मैंने इस पर बोलने के लिये अपना नाम भेजा था लेकिन पता नहीं किसी तरह मेरा नाम बुलाने से रह गया और तब मुझे इस पर बोलने का समय नहीं मिला ।

क्लाज ११३ और ११४ पर मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता इसलिये पड़ी क्योंकि मालूम ऐसा होता है कि हमारे अधिकारीगण और हमारे माननीय सदस्यों के दिमागों में सोने, ज़वाहरात और घड़ी इत्यादि की बात मशहूर हो गई है और ऐक्सपोर्ट के मामले में वह शायद यह समझते हैं कि इन के अलावा कोई और ऐसी अहम चीज़ नहीं है जिस के लिये कोई बड़ी सज़ा दी जाती। मैं सदन के सामने और आप के द्वारा मिनिस्टर महोदय के सामने एक बात लाना चाहता हूं । और वह यह है कि अफ़ीम में स्मगलिंग होती है और उसका भी जो ऐक्सपोर्ट होता वह एक बहुत बड़ी चीज़ है ।

अभी कल ही श्री वारियर बतला रहे थे कि सोने से लोगों का पतन होता है । मेरा निवेदन है कि जो अफ़ीम की बाहर स्मगलिंग होती है और जिसका कि केवल सरकार ही व्यापार करती है और दूसरा कोई नहीं कर सकता है, उस के कारण भी नीचे से ऊपर तक जो लोग होते हैं उनका नैतिक पतन होता है । किसानों का पतन होता है और सारी जनता का पतन होता है ।

एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारे देश के भीतर अफ़ीम की स्मगलिंग हो रही है और यह मशहूर है कि किस प्रकार से बाहर स्मगल होती है और किस प्रकार से उस का रेट यहां से वहां तक बढ़ता चला जाता है ।

मुझे आश्चर्य हुआ जब माननीय सदस्य श्री बड़े जिनके कि क्षेत्र से बहुत अफ़ीम जाती है वह सेलेक्ट कमेटी में होते हुये भी इस बात को भूल गये और इसलिये मैं उन्हें भी याद दिलाना चाहता हूं कि केवल अफ़सरों द्वारा जो बातें रखी जाती हैं और बिल बना कर रख दिये जाते हैं केवल उन्हीं पर विचार नहीं करना चाहिये बल्कि जो बातें उन में रह गई हों और जो कि शामिल की जानी चाहियें उन के बारे में भी विचार करना चाहिये । इसलिये मैं अधिक समय न ले कर माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि अब भी हांलाकि बहुत समय नहीं रहा तो भी वह इस के बारे में सोच लें । मेरा तो कहना यह है कि अफ़ीम का तस्कर व्यापार करने वाले से आप बतौर जुर्माना पांच गुना पैसा भी वसूल कर लें तो भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता है जब तक कि उसे काफ़ी सज़ा न दी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री काशी राम गुप्त]

जाय। मेरी तो मान्यता है कि सोने के बजाय अफ़ीम का तस्कर व्यापार करने वाले आदमी को उस से भी कड़ी सज़ा देनी चाहिये ख़ास कर जब कि ऐक्साइज ड्यूटी वाले देश के भीतर उन लोगों को सज़ा करवाते हैं तो कोई वजह नहीं है कि जो अफ़ीम को देश से बाहर ले जाने वाले हैं वह सज़ा से बचें और केवल उन पर जुर्माना हो जाय। यह एक अहम सवाल है। करोड़ों रुपया बाहर से इसमें आता है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में आप पुनर्विचार करें और अफ़ीम के तस्कर व्यापार को उसी स्थिति में लाना चाहिये जैसे कि दफ़ा १११ के तहत पांच वर्ष की सज़ा आपने रखी है वह पांच वर्ष की सज़ा इसमें भी होनी चाहिये। बस इतना ही मुझे कहना है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ११३ और ११४ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ११३ और ११४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ११५ से ११७ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड ११८—(बंडलों और उन की वस्तुओं को जब्त करना)

†**श्री यू० सि० चौधरी** : मैं संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं।

श्री बड़े : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि श्री गुप्त ने मेरा जिक्र किया इसलिये मुझे बोलने की आवश्यकता महसूस हुई। श्री गुप्त ने कहा कि बड़े साहब के यहां बहुत अफ़ीम होती है तो भी उन्होंने उसकी बाबत कुछ नहीं कहा। मेरा कहना यह है कि हमारे यहां ऐक्साइज़ ऐक्ट है। ऐक्साइज़ ऐक्ट के अन्तर्गत अफ़ीम का ऐक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। अफ़ीम का जो ऐक्सपोर्ट होता है उस के वास्ते अलग प्राविज़न है। उस के वास्ते ऐक्साइज़ ऐक्ट सेंटर का अलग है। यह शायद हमारे माननीय सदस्य को मालूम नहीं है कि यह केवल कस्टम्स बिल है यानी कस्टम्स की ड्यूटी ली जाती है। ऐक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जब बढ़ता है या कम होता है तो उस के वास्ते टैरिफ़ या कस्टम ड्यूटी ली जाती है। अफ़ीम में ऐक्सपोर्ट होता नहीं है। अफ़ीम में अगर ऐक्सपोर्ट होता होगा तो उस के वास्ते भी इसमें कस्टम ड्यूटी ली जायेगी। ऐनी प्राहिब्टेड गुड्स भी इस में है और प्राहिब्टेड गुड्स में अफ़ीम भी आती है। अफ़ीम के केसेज़ बहुत पकड़े जाते हैं और अफ़ीम के वास्ते इसमें विचार करने की ज़रूरत नहीं है। उस में कस्टम नहीं लिया जाता है। अब जिसके वास्ते सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन है कि चीन को अफ़ीम का ऐक्सपोर्ट हो या अमरीका को हो उस के वास्ते कस्टम लिया जाता है और इस वास्ते इस में हम ने उस पर विचार नहीं किया।

श्री ब० रा० भगत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस के जवाब में यही कहना है कि अफ़ीम पर भी रुकावट है। उस में जो चोरी होती है और अफ़ीम को चोरी छिपे ले जाते हैं उस के लिये हम ने एक कानून बनाया हुआ है और जैसा कि हमारे श्री बड़े ने कहा है उस कानून के अन्दर इसके लिये काफ़ी रुकावट है और पूरी निगरानी है। इस में स्टेट सरकारें भी हैं और केन्द्रीय सरकार भी है।

श्री यू० सी० चौधरी (महेन्द्रगढ़) : हमारे उपमंत्री महोदय ने पहले भाषण देते समय बतलाया था कि अगर एक बंडल पकड़ा जाता है जिसमें कि डायमण्ड्स या गोल्ड आदि चीजें हों और अगर उसमें एक चीज़ ऐसी हो जो कि स्मगल्ड की हुई है और बाकी चीजें स्मगल्ड नहीं करी हुई हों, अगर

---

†मूल अंग्रेजी में

ऐसा बंडल पकड़ा जाता है तो हमारे पास ऐसा कोई हार्ड और फ़ास्ट रूल नहीं है और हम किसी तरीक़े से यह पता नहीं कर सकते हैं कि वह सारी की सारी चीज़ तस्कर की है या यह कि सारी चीजें तस्कर की नहीं हैं इसलिये इस के अन्दर उन्होंने ऐसा कर रक्खा है कि अगर एक भी चीज़ उस डल के अन्दर ऐसी मिल जाती है जो कि स्मगल्ड है तो उस तमाम सारी की सारी चीज़ को पकड़ लिया जायेगा और तमाम चीज़ पर काबू कर लिया जायेगा। इस सिलसिले में मेरा कहना यह है कि जहां उन्होंने एक तरफ यह बात कही वहां इस बात का दूसरा पहलू भी है कि जिस तरह से आप यह कहते हैं कि हमारे पास इस बात का कोई इलाज नहीं है कि हम इस तरह की चीजों को अलग अलग कर के बांट सकें। कि अमुक अमुक स्मगल्ड हैं और अमुक अमुक स्मगल्ड नहीं हैं और इस बारे में शक़ बना रहने से सही सही फैसला या निर्णय करना मुश्किल होता है, तो दूसरी तरफ़ बात यह है कि अगर एक आदमी बेगुनाह है और उस के पास केवल एक ही चीज़ ऐसी है जो कि उस को तस्कर व्यापार के द्वारा मिलती है और बाकी १५०–२०० चीजें स्मगल्ड नहीं हैं और यह साबित हो जाता है और आपको इस बात का पता लग जाता है कि दरअसल इस तरीक़े से स्मगलिंग से वे चीजें नहीं आई हैं तो उन को आप छोड़ते हैं और केवल एक वही स्मगल्ड चीज़ ले कर आप उन बाक़ी तमाम चीजों पर कब्जा नहीं करते या बाक़ी चीजों के ऊपर अगर यह तस्कर का लेबिल नहीं लगाते हैं तो इस तरह शायद ज्यादा इंसाफ रहेगा।

इसी लिये क्लाज ११८ के लिये हम ने यह अमेंडमेंट संख्या ७ दिया है। दूसरे गुड्स उसी हालत में जब्त किये जायेंगे जब कि उनका ओनर यह जानते हुये कि कुछ गुड्स स्मगल्ड हैं, उन के साथ उनको रखता है, अन्यथा नहीं। जैसा कि क्रिमिनल ला में भी प्रोवाइडेड है कि प्रायर नौलेज होना जुर्म साबित होने के लिये जरूरी है। सब जगह यह बात लिखी हुई है कि अगर आदमी को किसी बात का पहले से पता है तो वह फिर सेंट परसेंट जिम्मेदार है। लेकिन अगर उसको नौलेज नहीं है, वह इन्नोसेंट है और उसको इस बात का ज्ञान नहीं है तो उसको उसके लिये जिम्मेदार ठहराना इंसाफ का तकाजा नहीं होगा। अगर उसको इस बात का पता है कि यह सब चीजें तस्कर से सम्बन्धित हैं तब तो ठीक बात है और वह खतावार और मुजरिम साबित होता है लेकिन यदि उसका तस्कर व्यापार से कोई ताल्लुक और सम्बन्ध नहीं है तो उन को उससे अलग रक्खा जाय और ऐसा करके हम इंसाफ ही करेंगे।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : मैं माननीय उपमंत्री को हीरों तथा सोने के व्यवहार में असमानता की बात बताना चाहता हूं। वह कहते हैं कि हीरों का पूरा 'पेकेज' जब्त कर लिया जायेगा जबकि सोने के मामले में मूल्य का केवल कुछ भाग ही लिया जायेगा। मेरा सुझाव है कि वह "पेकेज" की परिभाषा बतायें।

†**श्री ब० रा० भगत** : खंड ११८ और १२० में कोई अन्तर नहीं है। वे दोनों दो विभिन्न बातों के बारे में हैं। सोने का रूप बदल सकता है। इसका उपबन्ध करने के लिये कि सोना, चांदी के वास्तविक विक्रेता को परेशानी न हो, यह उपबन्ध किया गया है कि वस्तु का या मूल्य कोई भाग, जो वस्तु के मूल्य के बराबर हो, जब्त कर लिया जायेगा। हीरों के बारे में ऐसी समस्या पैदा नहीं होती। यदि हम माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार करते हैं, तो उसका अर्थ होगा कि यदि कुछ प्रतिबन्धित सोना एक छोटे कपड़े के थेले में रख दिया जाता है और वह सूटकेस में रख दिया जाता है, तो उनकी परिभाषा के अनुसार केवल कपड़े का थेला ही जब्त किया जायेगा। अतः हम अन्तर नहीं कर सकते। परिभाषा से अधिक कठिनाई पैदा होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : चोरी से लाये गये हीरे जब्त करके और अन्य को किस खंड के अन्तर्गत लौटाया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : नगरों में खंड ११८ में यह उपबन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ११९ विधेयक का भाग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ११८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड ११९ से १२२ । कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है :

"खंड ११९ से १२२ विधेयक के भाग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ११९ से १२२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १२३—(कुछ मामलों में दोष-सिद्धि का भार)

†**श्री यु० सिं० चौधरी** : मैं अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, ओनस का सवाल बड़ा इम्पार्टेंट है। हर एक जूरिस्प्रूडेंस में और सब कानूनों में ओनस हमेशा प्रासीक्यूशन के ऊपर रहता है। जिस आदमी ने गुनाह किया है, अगर उसको कहा जायगा कि वह यह साबित करे कि उसने गुनाह नहीं किया है, तो यह बड़ा इनजस्टिस होगा। कानून की जो अलग अलग ब्रांचिज हैं, उनमें कहीं भी यह व्यवस्था नहीं है कि प्रासीक्यूशन के अलावा दूसरी पार्टी साबित करे कि उसने गुनाह नहीं किया है। अगर इस मामले में भी ओनस को क्रिमिनल और सिविल केसिज की तरह से प्रासीक्यूशन पर यानी कस्टम्ज अधिकारिय पर ही रखा जाये, तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी अमेंडमेंट का उद्देश्य इस प्राविजन को बिल्कुल हटाना नहीं है, बल्कि उसमें यह एक्स्प्लेनेशन दी गई है कि फर्ज कीजिये, किए यह साबित कर दे कि उसने सारे का सारा सामान बी से खरीदा है और वह बात पूरी तरह से, कानूनी तरीके से, साबित हो जाये, तो समझ लेना चाहिये कि बर्डन आफ प्रूफ डिस्चार्ज हो गया।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं श्री चौधरी के विचारों का समथन करता हूं। हमें वस्तु जब्त करने के विध्याधीन इस अधिकार पर आपत्ति नहीं है। वह जब्त की जा सकती है, परन्तु यदि अभियुक्त व्यक्ति सिद्ध करता है कि उसने यह किसी अन्य व्यक्ति से ली थी, तो वह दूसरे व्यक्ति को पकड़ें, यदि उन्हें ऐसा करने की क्षमता हो। मान लीजिये कि आप सोने की घड़ी या सोने के पैन या अन्य किसी वस्तु के रखने पर पकड़ लिये जाते हैं, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वह चोरी से लाई हुई नहीं है। मुझे विश्वास है कि आप न्यायालय में सिद्ध कर सकेंगे कि वह किसी ने आपको दी थी। हम वस्तुएं खरीदने के रसीदें भी पास नहीं रखते। अतः दोषसिद्धि का भार समाप्त हुआ समझा जाना चाहिये बशर्ते कि वह सन्तुष्ट करदे कि उसने उसे खरीदा था या किसी अमुक साधन से प्राप्त किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यही व्याख्या जोड़ना चाहता हूं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : यह खंड बहुत ही आपत्तिजनक है । दोषी सिद्ध होने तक व्यक्ति को निरपराध समझा जाना चाहिये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे खेद है कि माननीय सदस्यों की आपत्ति नहीं समझ सका ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : खंड १२३ के अन्तर्गत जो वस्तुएं चोरी से लाई गई समझकर पकड़ी जाती हैं, उन्हें चोरी से न लाई हुई सिद्ध करने का भार पकड़े हुय व्यक्ति पर आ जाता है। मेरा विचार है कि अनुदेशों की भाषा ऐसी होनी चाहिये कि मेजिस्ट्रेट को विश्वास अवश्य होना चाहिये कि वस्तुओं को चोरी से लाया समझने का पर्याप्त कारण है । ऐसा न होने पर इसका दुरोपयोग होने की बहुत संभावना है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : श्रीमान्, यह उपबन्ध वर्ष १९५५ से है । अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिसमें माननीय सदस्यों की शंकायें ठीक सिद्ध हुई हों । माननीय सदस्य खंड १३६ को भी भूल जाते हैं जिसमें उल्लेख है कि यदि उचित विश्वास न हुआ तो संबंधित अधिकारी पर अभियोग चलाया जायगा । उस संरक्षण का उपबन्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या १७ वाधित है । मैं खंड १२३ सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खड १२३ विधेयक का भाग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १२३ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १२४ से १३० तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड १३१ लेंगे ।

श्री यु० सिं० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, एक्ट में प्रोवाइड किया गया है कि जो अपील, रिविजन या रिफ्रेंस है, वह उन्हीं आथोरिटीज़ को जायगी जो उसी महकमे की हैं, यानी जो कस्टम्ज की हैं । इसमें १२ से लेकर २८ तक की लाइनों को हम सबस्टीट्यूट करवाना चाहते हैं। हमने चाहा है कि कम से कम एक मैम्बर जो हो, वह हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या को ऐसा व्यक्ति हो जोकि ज्यूडिशरी का मैम्बर जरहा हो । अगर ऐसा कर दिया जायेगा तो उसको ज्यादा अच्छी तरह से साफ मिल सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हर इनक्वायरी के अन्दर और हर किसी महकमे के अन्दर जिसका पब्लिक के साथ ज्यादा संबन्ध रहता है, यह देखा गया र और यह सारी दुनिया के कानून में प्रेक्टिस भी है कि जो आदमी कानून के महकमे से संबंध रखता है, जो आदमी ज्यूडिशरी से ताल्लुक रखता है, उसी के पास इस तरह की रिविजंज अपील्ज या रेफ्रेंसिस आती हैं। अगर किसी गिल्टी

†मूल अंग्रेजी में

[श्री यु० सि० चौधरी]

आ मी को पकड़ा जाता है और उसको गिल्टी साबित किया जाता है, तो उसकी अपील को उसी महकमे के बड़े अफसर के पास अगर भेजा जाता है तो उसके साथ इंसाफ नहीं हो सकता है। वह आदमी प्रेजुडस हो जायेगा और जो बात महकमे के निचले अफसर ने कही है, उसी बात को वह डिटो कर देगा। इसलिये अगर १२ से लेकर २८ तक की लाइनों की जगह पर संशोधन संख्या ९ सब्स्टिट्यूट कर दिया जाये तो ज्यादा इन्साफ हो सकता है। मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं।

इसी में दूसरा भाग और भी है जिसका इन्हीं बातों से संबंध है। जब रिवीजन या रेफरेंस ऊपर जायेगा तो वह आफिसरों के पास नहीं जायेगा जो यहां पर पहले से थे। ट्रिब्यूनल जब अप्वाइंट हो जायेगा तो रिवीजन या रिफ्रेंस उसी ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहिये और जो ट्रिब्यूनल ही उसी को इन बातों का फैसला करना चाहिये बजाय दूसरे आदमियों के।

†**श्री बड़े** : श्रीमान्, सरकार ने सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति बनाई है और उसने सिफारिश की है कि पुनरीक्षण स्तर पर न्यायधिकरण होना चाहिये। सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार न कर के पुनर्गठन समिति बनाई है। पता नहीं इसका क्या प्रयोजन है। सरकार सारे अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती र और इसीलिये उन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती जो उसके पक्ष में नहीं हैं। क्या स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होनी चाहिये।

कराधान के जांच आयोग और सीमा शुल्क पुनर्गठन समिति दोनों इससे सहमत हैं। कि एक स्वतंत्र न्यायधिकरण हो। सरकार इन दोनों निकायों का प्रस्ताव स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं फिर सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस मामले पर फिर विचार करे। मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करता हूं कि वह श्री चौधरी के संशोधन को स्वीकार करे।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं संशोधन का समर्थन करता हूं और समझता हूं कि माननीय विधि मंत्री संशोधन का उद्देश्य समझेंगे।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : मैं कम से कम पिछले आयोगों की सिफारिशों पर विचार करने के लिए मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं। ऐसा लगता हैपकि कार्यपालिका सभी अधिकार अपने पास रखना चाहती है। मुझे विश्वास है कि माननीय विधि मंत्री इससे सहमत हैं कि कार्यपालिका को इतना अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिये।

†**श्री ब० रा० भगत** : हमने प्रवर समिति में भी इस पर विचार किया था और प्रवर समिति ने उपबन्ध किया था कि स्वतंत्र अपीलीय कलक्टर हो जिनका कार्यपालिका से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। (**अन्तर्बाधा**)।

†**श्री बड़े** : धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ मतदान के लिये रखा गया।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में २५ ; विपक्ष में १०१।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब में खंड १३१ को सभा के मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड १३१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १३१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड १३२ से १५८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड १५९ का एक संशोधन है ।

(खंड १५९—संसद् में रखे जाने वाले नियम तथा कुछ अधिसूचनायें)

श्री यु० सिं० चौधरी (महेन्द्र गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या १२ प्रस्तुत करता हूं ।

अक्सर ऐसा होता है कि इस बारे में क्या रुल्स और रेग्यलेशन्स हैं और क्या कानून है इसका लोगों को पता नहीं होता । अगर मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया गया तो उनको पता लगता रहेगा कि आप क्या लागू करना चाहते हैं। यह जरुरी है । इससे मुहकमे के काम का बोझ भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा और यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिये यह कहा जा सके क मुहकमा अपनी जम्मेदारी से बाहर जा कर यह काम कर रहा है । मेरा संशोधन यह है कि दो साल के अन्दर जो बातें आपके सामने आएं और उनके बारे में आप जो नोटिफिकेशन आदि निकालें और जो रुल्स आदि लागू करें उनको आप छाप कर आप पब्लिक को बांटें ताकि लोगों को उसका ज्ञान हो सके और कोई यह न कह सके कि हमको जो चीज आपने लागू की उसका ज्ञान नहीं था।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री ब० रा० भगत** : श्रीमान्, यह एक अच्छा उपबन्ध है जो किसी अधिनियम में नहीं है । ऐसा करने में कुछ कठिनाई है । यदि हम को वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं जिसमें हमें चाहिये कि हम इसे पुस्तक रूप में छाप कर बेचे, तो इससे कठिनाई होगी । हो सकता है कि कभी हम इसे न छाप सके क्योंकि हमारे प्रेसों के पास बहुत काम है । अतः माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे इस उपबन्ध को ज्यों का त्यों रहने दें।

संशोधन संख्या १२ सभा की अनमति से वापस लिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंड १६० तथा १६१ लेते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : खंड १५९ में उपबन्ध है कि इस अधिनियम के अधीन बना प्रत्येक नियम और जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के समक्ष रखी जायेगी ताकि वह उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सके। यदिप्हम इस खंड में भी खंड १५९ जैसा एक उपबन्ध कर दें कि प्रत्येक अधिसूचना संसद् के समक्ष रखी जायेगी तो मेरे मित्र को प्रसन्नता होगी। यह कोई असंभव बात नहीं है । संसद् सहर्ष उनका अनुमोदन करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० रा० भगत :** हम यह बात स्वीकार नहीं कर सकते।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** वाह वाह।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, क्या सरकार के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह विरोधी पक्ष के साथ यहां अधिक सम्मान का व्यवहार करे? यदि सरकार कहती है कि हम सुझाव नहीं मानते तो वे कारण और तर्क दें। परन्तु मंत्री महोदय कहते हैं "वाह" और हम इस पर गम्भीर आपत्ति करते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** सचमुच इसका कुछ और अधिक कारण बताया जाना चाहिये कि सरकार माननीय सदस्य को स्वीकार क्यों नहीं कर सकती। उनका तर्क है कि खंड १६१ के अन्तर्गत निकाले गये आदेश भी सभा पटल पर रखे जायेंगे। अतः यदि ऐसा करने में कोई विशेष कठिनाई है तो वह बताई जानी चाहिये।

†**श्री ब० रा० भगत :** श्रीमान् जब मैं ने कहा था कि हम यह स्वीकार नहीं कर सकते, उससे मेरा अभियुक्त माननीय सदस्य का अपमान करना न था। वास्तव में अनेक अधिनियमों में ऐसा उपबन्ध है लेकिन प्रथा यह है कि व्यवहार रुप में वे संसद् के समक्ष नहीं रखे जाते। मेरा यही अभिप्राय था।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमान्, मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले सत्र में मैं ने और एक अन्य साथी ने इसी प्रकार के संशोधन रखे थे। आपने उनपर जोर दिया था और सरकार ने वे स्वीकार कर लिये थे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं माननीय मंत्री से कहता हूं कि इसकी व्याख्या करें और ऐसा न करने के कारण बतायें। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान खंड १५९ की ओर आकर्षित करता हूं जिसमें उल्लेख है :

> "इस अधिनियम के अन्तर्गत बना प्रत्येक नियम और धाराओं के अन्तर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना।"

आदि। यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत बना प्रत्येक नियम सभा पटल पर रखा जाता है, तो खंड १६१ के अन्तर्गत बना प्रत्येक नियम भी आ जायेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यहां उल्लेख "आदेश" का है।

†**अध्यक्ष महोदय :** आदेश के बारे में मैं नहीं जानता कि सरकार व्यवहार में क्या महसूस करें। निश्चय ही माननीय मंत्री हमें होने वाली कुछ और कठिनाइयों के बारे में बता सकते हैं।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** क्या मैं इसे बता दूं। जैसा कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि और जसा कि आपने अनेक विधानों में देखा है, यह परिचित उपबन्ध है, जो हम बनाते हैं जबकि क्या विधान किसी पुराने विधान के क्षेत्र को अपनाता है, क्योंकि नये विधान से अन्तःकाल में विभिन्न कठिनाइयां हो सकती हैं। हो सकता है अनेक ऐसी बाधायें पैदा हों जिनका हम अभी पूर्वानुमान नहीं कर सकते। इसी कारण सरकार को अधिकार के अनुकूल बनने का यह अधिकार दिया जा रहा है ताकि अधिनियम को लागू करने में पैदा होने वाली कठिनाइयों को दूर कर सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोरारजी देसाई)** : क्या व्याख्या के सम्बन्ध में मैं कुछ बता दूं। प्रवर समिति के जितना मैंने सुझावों को माना है, उतना कोई भी व्यक्ति नहीं मानता। इतने पर भी, वह यहां आ कर किसी बात के तत्काल स्वीकार न किये जाने पर कुछ कहते हैं। मैं इसे बहुत ही अनुचित समझता हूं।

आपने जो कहा था, वह सर्वथा सच है। परन्तु इसके साथ एक बात और है। जब इन बातों का ठीक करना होता है तो हो सकता है कि व्यक्ति सदैव इसे गलती ठीक करना न समझे। फिर, यदि यह सभा के समक्ष नहीं रखी जाती, तो तत्काल ही इससे कठिन स्थिति पैदा हो जाती है। मुझ पर किसी बात के उल्लंघन का आरोप लगाया जायेगा। फिर, इसे अवैध माना जा सकता है। अतः, इन सब आदेशों को सभा के समक्ष लाना बहुत कठिन है।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १६० और १६१ विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड १६० और १६१ विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में, पारित किया जाय।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारत की प्रतिरिक्षा विधेयक

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : गृह-कार्य मंत्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि जनता की सुरक्षा तथा हित, भारत की प्रतिरक्षा और नागरिक प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करने तथा कुछ अपराधों पर मुकदमे चलाने के लिए विशेष उपायों तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

विधेयक के सिद्धान्तों का सर्वसम्मति से पहिले ही समर्थन, ८ नवम्बर, १९६२ को मंत्री द्वारा रखे गये संकल्प को स्वीकार करके तथा राष्ट्रपति द्वारा आयात की उद्घोषणा का इस द्वारा अनुमोदन करने से पहिले ही हो गया है ।

सभा को याद होगा कि सभा की बैठक होने से पहिले देश पर भारी संकट आ गया था जब कि चीनियों ने हमारे देश पर बड़े पैमाने पर आक्रमण किया था और नेफा तथा लद्दाख में हजारों सैनिक सीमा के इस पार पहुंचा दिये थे । अतः सभा की बैठक निश्चित समय से पहिले बुलाई गई और सभा की बैठक होने से पहिले अनेक महत्वपूर्ण संकटकालीन कार्यवाही करनी पड़ी जिनमें आपत्तिकाल की उद्घोषणा और भारत प्रतिरक्षा अध्यादेश जारी करना शामिल है ।

यह सभा पहिले ही संकल्प कर चुकी है और समूचे राष्ट्र को वचनवद्ध बना चुकी है कि विजय प्राप्त न होने तक कोई ढील न होगी । यदि मैं कह सकूं कि विजय केवल संकल्प से नहीं अपितु संकल्प को कार्य रूप में बदलने वाली कार्यवाही ही से जीती जा सकती है । राष्ट्र के उस संकल्प को कार्यरूप देने के हमें एक हमहत्वपूर्ण कार्य यह करना है कि हमारे राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सरकार के लिए आवश्यक सभी अधिकार ले लिये जायें जो कि देश की सशस्त्र शक्ति को ही बढ़ाने के लिए नहीं अपितु राष्ट्र के औद्योगिक तथा अन्य संसाधनों को भी बढ़ाने के लिए होंगे । इनका प्रयोग इस अधिकतम आवश्यकता के लिए, अर्थात् चीनी सैनिकों तथा सेना को परास्त करने के लिए होगा । अतः उद्देश्य के बारे में कोई मतभेद नहीं है ।

इसके फलस्वरूप जो उपबन्ध होंगे उन पर निश्चय ही अब सभा विचार करेगी, विशेषकर, उन नियमों पर जो पहिले ही बना जा चुके हैं और जो समय समय† पर बनाये जायेंगे । अब तक बने सब नियम सभा पटल पर रखे जा चुके हैं और जैसे जैसे और बनेंगे वे भी यथा समय रख दिये जायेंगे ।

विधेयक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड ३ है जो केन्द्रीय सरकार को निम्न अधिकार देता है :—

> "केन्द्रीय सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना निकालकर ऐसे नियम बना सकती है, जो, उसे भारत की प्रतिरक्षा और नागरिक प्रतिरक्षा, जनता की सुरक्षा, जन-व्यवस्था को बनाये रखने का सैनिक-कार्य को सकुशल ढंग से चलाने या राष्ट्र के जीवन के लिए आवश्यक उपलब्धियों तथा सेवायें बनाये रखने के लिए आवश्यक या कालोचित प्रतीत हो ।"

फिर संकट का सामने करने के लिए सरकार को नागरिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के अधिकार देने की बात आती है ताकि सरकार को लोकतन्त्रात्मक संविधान के कारण लगे प्रतिबन्धों के फलस्वरूप कार्यवाही करने में बाधा हो । क्योंकि लोकतन्त्र जनता की अनुमति पर आधारित है, अतः वह सामान्य काल में लिखित संविधान की सीमायें स्वेच्छा से मान लेता है । इसी प्रकार लोकतंत्र युद्ध काल में भी सकुशल कार्य करता है क्योंकि आवश्यक अधिकार सरकार को यह देखने के लिए इस सभा द्वारा मिल जाते हैं कि युद्ध में विजय प्राप्त करने का प्रत्येक प्रयास इस कारण नहीं रुकता कि उसे आवश्यक अधिकार नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राय: यह कहा जाता है कि एकाधिकारवादी सरकार सदैव कार्यकुशल और शीघ्रता से काम करने वाली होती है और लोकतंत्र सरकार शान्ति काल और विशेषतया युद्ध काल में कमजोर और अयोग्य होती है । इन बातों की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है । यह बात सही है क्योंकि लोकतंत्र सरकार में हर बात के लिये कुछ शर्तों को पूरा करना होता है और उसकी नीतियों तथा कार्यक्रमों को पहले तैयार किया जाता है और उसके बाद उन्हें एक निश्चित प्रक्रिया से कार्य में परिणित करना होता है जिसमें स्वभावत: कुछ समय लगता है और जिसमें कुछ शक्ति भी बरबाद हो जाती है ।

युद्ध के समय में भी हम कुछ आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है और इस बात का ध्यान रखना है कि सरकार जो आपातकालीन अधिकार ले रही है वह समुचित ढंग से स्वीकृत किये जायें और इन अधिकारों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन न किया जाये । इस प्रकार के आपात संबंधी विधान के बारे में भी संसद कुछ बचाव के उपायों की सीमा निर्धारित करती है । ये बचाव के उपाय संविधान संबंधी बचाव के उपाय नहीं होंगे क्योंकि संविधान के भाग ८ के अनेक उपबंध भंग या निलम्बित कर दिये जायेंगे । अनुसूची ७, सूची १, २ और तीन के अधीन सरकार के अधिकारों और वैधानिक प्राधिकारों की विशिष्ट सूची निष्क्रिय हो जायेगी क्योंकि आपात काल की घोषणा के बाद संसद राष्ट्रीय जीवन के किसी भी विषय पर कानून बनाव के लिये सक्षम हो जायेगी । और इस बात को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि संसद ने जो कुछ किया वह राज्य के क्षेत्राधिकार का विषय है, या राज्य के अधिकारियों को कुछ एसे अधिकार दिये गये हैं जिनको व सूची १, २ और ३ के अधीन वे करने के अधिकारी नहीं हैं । अत: जब तक आपात की स्थिति रहेगी तब तक हमें जिस संविधान के अधीन काम करना है वह भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के रूप में संसद द्वारा बनाया गया संविधान होगा । अब यही नियम और यही अधिनियम व सीमायें होगी जिनके अधीन सरकार को हर क्षेत्र में काम करना होगा ।

श्री रंगा (चितूर) : क्या इसके द्वारा संविधान को सीमित कर दिया गया है ?

श्री अ० कु० सेन : ऐसी बात नहीं है । संविधान में इसकी अनुमति दी हुई है । संविधान में कहा गया है कि सरकार को आपात कालीन अधिकार दिये जायेंगे । अनुच्छेद ३५२ से आगे के सभी अनुच्छेदों में विधान तथा प्रशासन संबंधी आपात कालीन शक्तियों के बारे में है और ये शक्तियां संविधान की साधारण प्रक्रिया के होते हुये भी प्रयोग में लाई जाती है या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आपात कालीन शक्तियों के बीज संविधान में ही निहित हैं । आप ने जो यह कहा कि संविधान का, परित्याग किया गया है, यह बात सही नहीं है । आपात कालीन शक्तियों की व्यवस्था संविधान में ही की गई है परन्तु जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं सरकार के अधिकारों और कृत्यों की सीमा भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बनाय जाने वाले नियनों और भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित की जानी है। आपात कालीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी उन सीमाओं के भीतर रहते हुये ही कार्य करेंगे जो हम आज निर्धारित करेंगे । और जो नियम जब कभी भी बनाये जायेंगे और स्वीकृत किये जायेंगे, उन्हें सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

[श्री अ० कुसेन]

हमारे इतिहास में हमारे संविधान की यह सबसे पहली और सबसे बड़ी परीषा होगी। पहली बार हम यह देखेंगे कि हमारे देश का लोकतंत्रात्मक शासन जिसे साधारणतया बहुत सीमित अधिकार दिये जाते हैं एक प्रभावशाली और कार्यकुशल ढंग से काम करते हुये एक एकाधिकार वाले शासन का मुकाबला कर सकता है जिसने हमारे सीमान्त पर आकर हमें चुनौती दी है ।

यह सही है कि हमें जिस एकाधिकार वाले शासन का मुकाबला करना पड़ रहा है उसने प्रारम्भ में कुछ सफलतायें प्राप्त की हैं और उस शासन प्रणाली में विश्वास रखने वाले व्यक्ति इसमें काफी गर्व महसूस करेंगे परन्तु इतिहास में आपको ऐसे कई उदाहरण मिलगे जबकि प्रारम्भिक सफलताओं का अन्त सर्वनाश में हुआ और इतिहास इस बात का समसाक्षी है कि एकाधिकार वाले शासन इसी प्रकार नष्ट होते रहे हैं । वही शासन स्थायी है जो जनता की सहमति पर आधारित है और वह शांति में विश्वास रखता है ।

इसलिये यह बहुत जरूरी है कि यह सभा सर्व प्रभुत्व सम्पन्न संस्था होने के नाते सरकार को सैनिक तथा नागरिक जीवन से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिये अधिकार दे । इस आपात काल में संसद द्वारा केवल नीति ही निर्धारित नहीं की जायेगी बल्कि वह इसे वह प्रक्रिया भी निर्धारित करनी पड़ेगी जिसका अनुसरण करते हुये हमारी सरकार विजय प्राप्त करे। यह कानून पास करते समय हमारा मुख्य उद्देश्य यही होना चाहिये कि हम युद्ध में विजयी हों और चीनी आक्रमणकारियों को शिकस्त दे सकें। हमें एक क्षण के लिये भी अपने इस उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिये। इसीलिये हमने इस विधेयक का उद्देश्य बड़ा साधारण सा रखा कि आपात काल की घोषणा की जा चुकी है जिसे देखते हुये यह विधेयक पेश करना जरूरी है। इसी उद्देश्य को सामने रखते हुये इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने जायगे और जो भी शक्तियां प्रदान अथवा प्राप्त की जायगी और इस अधिनियम के अन्तर्गत जो भी उपाय किये जायेंगे उनका उद्देश्य यही होगा। मुझे आशा है कि इस विधेयक का उसी प्रकार समर्थन किया जायेगा जैसे कि ८ नवम्बर को प्रधान मंत्री द्वारा पेश किये गये संकल्प का।

कुछ उपबन्धों के वारे में मतभेद हो सकता है और उसका कारण यह है कि हम वही उपबन्ध रखना चाहते हैं जिनकी सहायता से हम चीनी फौजों को शीघ्र परास्त करके युद्ध को जल्दी ही समाप्त कर सकें। हमारा केवल यही उद्देश्य है ।। सबसे महत्वपूर्ण उपबन्ध खंड ३ है जिसङ यह व्यवस्था की गई है कि सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना देकर नियम बना सकती है। किस प्रकार के नियम बनाये जायेंगे यह बात उन नियमों से स्पष्ट हो जाती है जो पहले बनाये जा चुके हैं अथवा पटल पर रखे जा चुके हैं । बनाये जाने वाले नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिये दंड देने की व्यवस्था हमने कर दी है। हमने कुछ विधियों जैसे कि इंडियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट वगैरह वगैरह में कुछ आवश्यक परिवर्तन किये हैं ताकि उन्हें भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के अनुकूल बना दिया जाये । हमने नागरिक बल प्रतिरक्षा सेवाओं की स्थापना की भी व्यवस्था कर दी है ताकि नागरिकों पर होने वाले आक्रमणों का सामना किया जा सके क्योंकि अगर हिमालय के इस पार युद्ध शुरू हो जाता है तो वह केवल सेनाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि सारे राष्ट्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा और जनता को भी उसमें शामिल होना पड़ेगा। हमने विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने का उपबन्ध किया है जिसमें न्यायिक अधिकारियों को रखा जा जायेगा जो खंड ३ के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंड देंगे। या उसे अपराधों का फैसला करेंगे जिनमें मृत्यु दंड अथवा सात वर्ष से अधिक कारावास का दंड दिया जा

सकता है । यदि मृत्यु दंड अथवा दस वर्ष से अधिक कारावास का दंड दिया गया हो तो उसके लिये हमने अपील करने का उपबन्ध किया है। कारावास की अवधि १० वर्ष से कम करके ५ वर्ष करने के प्रयोजन से और उस विषय में स्वत: अपील की व्यवस्था करने के लिये हमें एक संशोधन लाना होगा।

इसके अलावा केवल सैनिक सेवाओं के लिये ही नहीं बल्कि असैनिक सेवाओं के लिये भी हमने अनिवार्य रूप से लोगों को नौकरी में रखने का उपबन्ध किया है ताकि उद्योगों में उत्पादन के लिये हमें आवश्यकतानुसार के टैकिनकल तथा अन्य प्रकार के व्यक्ति मिल सकें।

इसके अलावा हमने संपत्ति की अधियाचना और अर्जन के लिये भी उपबन्ध किया है क्योंकि इस संबंध में सामान्य कानून में बहुत देर होती है जो युद्धकाल में तेज काम करने में बाधक है।

यह है उस विधेयक का स्वरूप जो मैं आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राष्ट्र के सामने आर्य सब से बड़े संकट के समय सभा के सामने पेश कर रहा हूं । सभा को इसे उसी एकता की भावना से पारित करना चाहिय जो यहां उसके विचार विमर्ष में रही है और जब से हमारे सामने संकट आया है तब से समस्त राष्ट्र के कार्य में रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

फिलहाल सामान्य चर्चा के लिय मैं ५ घंटे का समय नियत कर रहा हूं ।

†**श्री रंगा** : जैसाकि विधि मंत्री ने बताया है यह एक व्यापक विधेयक है जिसके अधीन सरकार को बहुत बड़े-बड़े अधिकार दिये गये हैं । चूंकि हम सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि पवित्र मातृभूमि को चीनी आक्रान्ताओं से खाली कराने के लिये सरकार को अधिक कार्यकुशल और शक्तिशाली बनाना जरूरी है । परन्तु इस प्रकार के अधिकार देकर हम सरकार को एक ऐकाधिकारवादी शासन जैसे अधिकार दे रहे हैं अत: इस विधेयक से सहमत होते हुये हर एक व्यक्ति शंका कर सकता है ।

देश की रक्षा के लिये हम सब इस विधेयक से सहमत हैं परन्तु हमें इस बात पर विचार करना है कि हमारे देश और राज्यों की सरकारें विभिन्न व्यक्तियों, समुदायों तथा विभिन्न संस्थाओं के प्रति जो इस युद्ध में हमारी विजय के लिये प्रयत्नशील हैं, न्याय कर सकेंगी।

इस विधेयक और अध्यादेश का मैंने कई बार सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और मैं इसकी व्यवस्था से सामान्यत: सहमत भी हूं परन्तु हम से एक बहुत बड़े बलिदान की मांग की जा रही है और संविधान द्वारा दिये गये मौलिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओंकी बलि हमें दे रहें ।

मैं नहीं समझता कि हमारी सरकार नागरिकों के अधिकार का उतना ध्यान रखती है जितना अन्य देशों की लोकतंत्र सरकारें रखती हैं। अन्य देशों में जहां प्रतिनिधि शासन है वहां हमारे देश की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली विरोधी दल हैं और वहां की सरकारें जनता और व्यक्तियों की मांग का विशेष ध्यान रखती हैं। मैं नहीं कह सकता कि हमारे देश में वैसा विरोधी दल है या वैसी सरकार है जो जनता और विरोधी दल की मांग या इच्छा का उतना ध्यान रखती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री रंगा]

आज हमारा एक ही राष्ट्रीय लक्ष्य है विजय। विजय प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु हमें इस दिशा में पूर्ण सावधान रहना चाहिए कि जनता के मूलभूत अधिकारों का हनन न किया जाये ; सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं का दमन न किया जाये और जनता में आत्म सम्मान और आत्म निर्भरता यथावत बनी रहे । युद्ध में विजय प्राप्त करने के पश्चात् संसदीय पद्धति के जारी रहने के साथ ही पूर्ण प्रतिनिधित्व सम्पन्न सरकार का बना रहना भी आवश्यक है । मैं इस विषय में कुछ और कहने में समर्थ नहीं हूं क्योंकि हमें केन्द्र और राज्यों में वर्तमान सरकारों पर निर्भर रहना है । उनके पीछे भारी बहुमत है । बहुमत दल का यह विशेषाधिकार है कि वह देश में आदर्श सरकार की स्थापना करे। विरोधी दलों की ओर से ही नहीं किन्तु सत्तारुढ़ दल के कुछ सदस्यों ने भी यह मांग की है कि हमें आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो अधिक प्रभावपूर्ण कुशलता सम्पन्न और शक्तिशाली हो। देश आज ऐसी सरकार की स्थापना की आशा रखता है और सत्ताधारी दल को इस पर विचार करना चाहिए। देश के करोड़ों लोगों ने उनके और हमारे पक्ष में मतदान किया है। अतः हमारा यह कर्त्तव्य है कि इन करोड़ों मतदाताओं की इच्छा का सम्मान करते हुए उनकी आवश्यकताओं और महत्वकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम एक समर्थ, सशक्त, कुशल, उत्तरदायित्वपूर्ण और गरिमा सम्पन्न सरकार की स्थापान करें । व्यक्ति की तुलना में सरकार अधिक सशक्त होती है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि सरकार और व्यक्ति अथवा संस्था में संघर्ष होने पर सदा सरकार की विजय होती है। इसलिए हमारा उद्देश्य केवल कानून पास करना ही नहीं है किन्तु अच्छे शासन की स्थापना करना भी है । सत्ता के वशीभूत हो कर हमें मदान्ध और भ्रष्ट नहीं हो जाना चाहिए। सब देशों में महान दार्शनिक और राजनीतिक विचारक सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहे हैं कि सरकार की शक्तियों को नियंत्रित और सीमित किया जाये। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संकट स्थिति की संभावना का अनुमान लगा लिया था। स्वतंत्रता की रक्षा संसद् और सरकार का पुनीत कर्त्तव्य है । अधिकार का पौधा आज पूर्ण वृक्ष का रूप धारण कर चुका है । किन्तु यह वृक्ष केवल अपना ही लाभ नहीं देखता है इसकी विस्तृत शाखाओं और घनी छाया में सबको ही शरण मिलना चाहिये। मुझे आशा है कि माननीय विधि मंत्री और माननीय गृह-कार्य मंत्री हमारे संशोधनों पर विचार कर उन्हें स्वीकार करेंगे तथा इस दिशा में अभिव्यक्त भय और आशंका को निर्मूल करेंगे।

मेरे पास यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण है कि सामान्य प्रशासन के मामले में भी सरकारी शक्तियों का पक्षपातपूर्ण प्रयो · किया जा रहा है । इस विधेयक के अधीन सरकार को इतनी अधिक शक्तियां दी जा रही हैं कि उनके विचारमात्र से हृदय कम्पायमान हो जाता है । अभी परसों सत्तारूढ़ दल के उच्चतम कार्यालय द्वारा इस आशय का परिपत्र जारी किया गया है कि जो भी व्यक्ति श्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध कोई ऐसी बात कहता है जो सम्मानजनक और सहायतापूरक नहीं है तो वह व्यक्ति देशद्रोही है।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) : आप यह बात बिना प्रसंग कह रहे हैं। यह लज्जानक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा** : उस सर्कुलर में स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ के नामों की उल्लेख करते हुए कहा गया है कि ये पार्टियां पण्डित नेहरू को बदनाम कर रही हैं अतः इन्हें देशद्रोही समझा जाये। सर्कुलर में कहा गया है कि संकट स्थिति का लाभ उठाकर कांग्रेस के विरुद्ध कीचड़ उछालने का अवसर विरोधी पार्टियों को देना गलत है। यह सत्तारूढ़ शासन का रवेया है। हम इतनी विशद शक्ति इन्हें दे कर किस प्रकार विश्वास कर सकते हैं। हम किस प्रकार यह आशा रख सकते हैं कि इन शक्तियों का उचित उपयोग किया जायेगा? किसी घर में घुस कर तलाशी ली जा सकती है; जो चाहे वस्तु ली जा सकती है; कोई कभी वस्तु वहां रखी जा सकती है; कारखानों और सम्पत्ति पर अधिकार किया जा सकता है; किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन कर उसे जेल में अनेक वर्ष तक रखा जा सकता है। फिर प्रक्रिया इतनी कठिन है कि निर्णय और दण्ड के विरुद्ध अपील करना सरल नहीं है। प्रधान मंत्री को नागरिक स्वतंत्रता के प्रति गहन सम्मान और उत्कट प्रेम है। अतः मुझे इस प्रकार की आशंका नहीं है कि वह इन शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। किन्तु हम ये आशा नहीं रखते कि हर राज्य में श्री जवाहरलाल नेहरू की भांति नेता हैं। अतः हम सत्तारूढ़ दल से यह पूछते हैं कि इन शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में क्या किया जायेगा। उन्हें इस विषय पर निष्पज और निस्पष भाव में विचार करना चाहिये। प्रधान मंत्री ने कहा है कि संकट स्थिति काफी समय तक बनी रहेगी और संभवतः इस स्थिति के दौरान चुनाव नहीं होंगें। इस के परिणामस्वरुप सरकार में वर्तमान नेतृत्व की स्थिति यथावत् बनी रहेगी। यह अत्यन्त आवश्यक है कि राज्यों और केन्द्र में व्यापक आधार वाली सरकारें बनायी जानी चाहिये। उप-अनुच्छेद (१०छ) में सुरक्षा का उल्लेख करते हुए खानों, तेल क्षेत्र, कारखांने, औद्योगिक और वाणिज्यिक उप-क्रमों पर नियंत्रण ही नहीं किन्तु उन्हें हटाने, नष्ट करने, बेकार कर देने आदि की बात कही गई है। संकट स्थिति के कारण सरकार को कृषक वर्ग की आर्थिक स्वतंत्रता का दमन नहीं करना चाहिये। लगान में वृद्धि करना किसानों के प्रति अपराध है। कई स्थानों में तो इस की १०० प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है। जब सरकार यह आशा रखती है कि किसान और श्रमिक हड़ताल आदि न करें तो सरकार का भी यह कर्त्तव्य है कि वह किसानों पर अतिरिक्त भार न डाले। सरकार को चाहिये कि वे इस संकट स्थिति में व्यापारियों और उद्योगपतियों का सहयोग प्राप्त करे। सरकार को सत्ता का प्रतीक ही न बनना चाहिये किन्तु उन्हें जनता के प्रति मैत्री और सहयोग की भावना का विकास करना चाहिये। साम्यवादी चीन के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष में सफलता प्राप्त करने के लिये जन सहयोग परम आवश्यक है।

सभा का कार्य

†**संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : श्रीमान् आप की अनुमति से २२ और २३. नवम्बर, के सरकारी कार्य के क्रम में साधारण परिवर्तन की घोषणा कर रहा हूं।

सभा २२ नवम्बर, को सर्वप्रथम पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक १९६२ और भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक १९६२ पर चर्चा करेगा। इसके पश्चात् भारत के प्रतिरक्षा विधेयक तथा कार्यसूची में निर्धारित अन्य सरकारी कार्यों पर विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्य नारायण सिंह]

कार्यसूची में यह परिवर्तन इसलिये आवश्यक हो गया है कि अध्यादेश के स्थान पर पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक पारित कर दिया जाये और भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक जो धन विधेयक है राज्य सभा द्वारा २३ तारीख को लौटाया जा रहा है ।

कुछ सदस्यों की इच्छा है कि सभा का अधिवेशन २३ तारीख को स्थगित कर दिसम्बर, में फिर बुलाया जाये। कुछ अन्य सदस्यों का विचार है कि २ अथवा ३ या चार दिसम्बर, तक अधिवेशन जारी रहे। इस कठिनाई को हल करने के लिये मैंने दोनों सदनों के ग्रूप नेताओं को कल १२–३० म० प० बजे चर्चा के लिये आमंत्रित किया है । यदि सदस्य चाहें तो हम अधिवेशन जारी रखने के लिये तैयार हैं। अधिवेशन के लिये हमारे पास पर्याप्त कार्य है । इस कार्य के समाप्त हो जाने पर दिसम्बर, में अधिवेशन बुलाना कठिन होगा। मैं यह सब प्रस्ताव उन के सामने रख दूंगा। सरकार इस पक्ष में है कि अधिवेशन २३ नवम्बर को समाप्त न कर १ दिसम्बर तक जारी रखा जाये। मैं आमंत्रित माननीय सदस्यों के सामने यह सब बातें स्पष्ट कर दूंगा और जिस प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत होगा सरकार उसे स्वीकार कर लेगी।

[इस के पश्चात लोक-सभा गुरुवार, २२ नवम्बर, १९६२/१ अग्रहायण, १८८४ (शक) के गयारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— ११४७—७३

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२९०	पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	११४७–४८
२९१	पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	११४८—५२
२९२	गुजरात तेल शोधक कारखाना	११५२–५३
२९३	दिल्ली में पटाखों का विस्फोट	११५३—५५
२९४	शारीरिक शिक्षा और युवक कल्याण सम्बन्धी समन्वय समिति	११५५–५६
२९५	सीमित आई० ए० एस० परीक्षा	११५६–५७
२९६	गोहाटी तेल और कारखाना	११५८
२९७	व्हिटले परिषदें	११५९–६०
२९८	दिल्ली में मोटल	११६०–६१
२९९	खेल कूद जांच समिति की रिपोर्ट	११६१—६३
३००	दिल्ली स्कूल आफ प्लानिग एण्ड आर्किटक्चर के छात्रों द्वारा हड़ताल	११६३–६४
३०२	सिंगरौली कोयला खान में कोयला	११६४–६५
३०३	प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी का प्रतिवेदन	११६५—६९
३०४	अपाहिजों की शिक्षा	११७०–७१
३०५	पंजाब में तेल	११७१–७२
३०६	छात्रावासों में न रहने वाले विद्यार्थियों के लिये छात्रगृह	११७२
३०८	स्नेहन तेल संयंत्र	११७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर— ११७४—१२०१

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३०१	पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण	११७४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
३०७	अभिलेख विधान समिति का प्रतिवेदन	११७४
३०९	कोयले का उत्पादन	११७४–७५
३१०	दिल्ली में अपराध	११७५
३११	प्रशासन की राष्ट्रीय अकादमी का स्थानान्तरण	११७५
३१२	दिल्ली में इंडियन आयल कम्पनी के पेट्रोल के सर्विस स्टेशन	११७६
३१३	पन्त स्मारक	११७६
३१४	तेल शोधक कारखाना	११७६–७७
३१५	कोयले के ऊंचे मुल्य	११७७
३१६	बिहार-बंगाल के कोयला क्षेत्रों में कोयला	११७७–७८
३१७	ब्रिटिश साम्राज्य तथा राष्ट्रमंडल खेल कूद	११७८
३१८	विज्ञान शिक्षा के विकास के लिये यूनेस्को को सहायता	११७८

अतारांकित प्रश्न संख्या		
६४२	जामा मस्जिद के पास विस्फोट	११७९
६४३	विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये गरीब विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्तिया	११७९
६४४	गांधी दर्शन	११७९
६४५	आन्ध्र प्रदेश में स्कूलों तथा कालेजों में ,आडिटोरियिम	११८०
६४६	व्यावहारिक प्रशिक्षण	११८०
६४७	वानस्पतिक उद्यान	११८०–८१
६४८	अपाहिजों के लिए काम दिलाऊ दफ्तर	११८१
६४९	दिल्ली में स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का संघ २	११८१–८२
६५०	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	११८२
६५१	अपराधियों की परिवीक्षा	११८२–८३
६५२	हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थायें	११८३
६५३	विशेष पुलिस संस्थान	११८३
६५४	अनैतिक पण्य दमन अधिनियम	११८४
६५५	मद्रास संग्रहालय में स्पिट्ज प्लेनेटेरियम	११८४
६५६	औद्योगिक डिजायइन प्रशिक्षण केन्द्र	११८४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या		
६५७	कला क्रय समिति	११८५
६५८	आर्थिक तथा सांख्यकीय सेवा	११८५
६५९	विश्वविद्यालय परीक्षाओं सम्बन्धी समिति	११८५–८६
६६०	दिल्ली में पुलिस गश्त पद्धति	११८६
६६१	सबरूम (त्रिपुरा) के आदिम जाति विद्यार्थियों को छात्र-वृत्तियां	११८६–८७
६६२	मनजास (त्रिपुरा) की सीमाओं का पुनर्सीमांकन	११८७
६६३	आदिम चाति लोगों से गैर आदिम जाति लोगों को भूमि का हस्तांतरण	११८७
६६४	खोवाई में आदिम जाति छात्राओं के लिये होस्टल	११८७–८८
६६५	ग्रामीण उच्च शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्	११८८
६६६	केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति	११८८–८९
६६७	इण्डियन आयल कम्पनी का पेट्रोल डिपो	११८९
६६८	दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश	११८९
६६९	प्रगति विद्यालय, अगरतला	११८९–९०
६७०	पोर्ट ब्लेयर में बिटुमन का नान	११९०
६७१	केन बदी (बांदा) में पत्थर	११९०
६७२	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी	११९०–९१
६७३	एम० बी० बी० कालेज, त्रिपुरा	११९१
६७४	त्रिपुरा में अनुसूचित चातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये बोर्डिंग हाउस छात्रवृत्तियां	११९१
६७५	तेल और कोयले के विकास के लिये रूसी सहयोग	११९१–९२
६७६	बालोपयोगी पुस्तकें	११९२
६७७	विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना	११९२
६७८	रुद्रसागर कुएं में तेल की पाइपलाइन से रिसाव	११९३
६७९	विश्व प्रजेता प्रतियोगिता के लिए बिलियर्ड्स टीम	११९३
६८०	भारतीय क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रशिक्षण	११९३–९४
६८१	संघ लोक सेवा आयोग	११९४
६८२	अंदमान में बंगला की पढ़ाई	११९४–९५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६८३	आदिम जाति खंडों और क्षेत्रों में कर्मचारी	११९५
६८४	त्रिपुरा में भस्मसात् बाजार	११९५–९६
६८५	दिल्ली के स्कूलों में फीस	११९६
६८६	भारत में रुमानिया के तेल विशेषज्ञ	११९६
६८७	हिन्दी में पत्रव्यावहार	११९७
६८८	अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्तियां	११९७
६८९	चीनियों की जासूसी कार्यवाइयां	११९७
६९०	इंडियन आयल कम्पनी	११९७–९८
६९१	हैदरागाद में राष्ट्रीय भूभौतिकीय संस्था	११९८
६९२	गांधी दर्शन	११९८–९९
६९३	पिछड़े वर्ग के छात्रों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	११९९
६९४	मैसूर में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को विधि विषयक सहायता	११९९
६९५	कोठागुडम में कोयले के निक्षेप	१२००
६९६	दिल्ली में भाषाएं	१२००
६९७	नजफगढ़ सड़क पर आग लगने की दुर्घटना	१२००–०१
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य		१२०१—०५

प्रधानमंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने चीनी आक्रमण के सम्बन्ध में नई स्थिति के बारे में एक व्यक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२०५—०७

(१) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा ३१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १४४४ में प्रकाशित लेख और प्राकृतिक गैस आयोग (तीसरा संशोधन) नियम, १९६२ की । एक प्रति ।

(२) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२१८ में प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (बजट और लेखे) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

विषय **पृष्ठ**

(३) कापी राइट अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक एक प्रति :—

(एक) दिनांक १८ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २६०० में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (छठा संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक १८ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २८७८ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (सातवां संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(तीन) दिनांक २५ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २९४४ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (आठवां संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(चार) दिनांक १८ अक्तूबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३१९५ में प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट (नवां संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(४) विभिन्न अधिवेशनों में, जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ४ पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ४ सोलहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक-सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या ७ पन्द्रहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या ८ चौदहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(५) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूचि ३ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १९ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६७८ ।

(ख) दिनांक २६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७०२ ।

विषय **पृष्ठ**

(ग) दिनांक ६ जून, १९६२ की जी०एस० आर० संख्या ७५५ ।

(घ) दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९९६ ।

(६) मनीपुर लगान और भूमि सुधार एक्ट, १९६० की धारा १६९ के अन्तर्गत दिनांक २९ जून, १९६२ के मनीपुर गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या १४०/१/६२—एम० की एक प्रति जिसमें मनीपुर लगान और भूमि सुधार (भूमि का आवंटन) नियम, १९६२ दिये हुए हैं ।

(७) विदेशियों का पंजीयन अधिनियम १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत छूट की निम्नलिखित घोषणाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २३ जून, १९६२ की संख्या १/१६/६२—एफ १ (२ घोषणायें)

(ख) दिनांक २८ अगस्त, १९६२ की संख्या ६/३१/६२—एफ १ (१० घोषणायें)

राज्य सभा से सन्देश १२०७

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा अपनी २० नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक सभा द्वारा १९ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये धातु के टोकन (संशोधन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा अपनी २० नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १९ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये पैट्रोलियम की पाइप लाइन (भूमि के प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई ।

(तीन) कि राज्य सभा अपनी २० नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा १९ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये विदेशियों सम्बन्धी विधि (लाग करना तथा संशोधन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . १२०७

दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विषय पृष्ठ

विधेयक पारित १२०७--३१

२०-११-१९६२ को सीमा शुल्क विधेयक पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही।

विचार करने का प्रस्ताव पारित हुआ। खंडवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

विधेयक विचाराधीन १२३१--३८

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि भारत की प्रतिरक्षा विधेयक, १९६२, पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार २२ नवम्बर, १९६२/१ अग्रहायण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

(१) पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक, (२) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक तथा (३) भारत की प्रतिरक्षा विधेयक पर विचार तथा पारित करना।